लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खंड २७, १९५९/१८८० (शक)

[६ से १९ मार्च १९५९/१५ से २८ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २७ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंड २७, अंक २१ से अंक ३०—६ से १९ मार्च, १९५९
१५ से २८ फाल्गुन १८८० (शक)]

पृष्ठ

अंक २१—शुक्रवार, ६ मार्च, १९५९/१५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ९६४ से ९७०, ९७३ से ९७५ और ९७७ से ९८१ . . . २४३७—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९७१, ९७२, ९७६ और ९८२ से १०१२ . . . २४६२—७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८२ से १५३८ और १५४० से १५४५ . . . २४७५—२५०१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अमरीका पाकिस्तान प्रतिरक्षा संधि . . . . . २५०१—०३

आयव्ययक पत्रों का समय से पहले प्रकट हो जाने के बारे में . . . २५०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २५०४

विशेषाधिकार समिति

नवां प्रतिवेदन २५०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आसाम में विद्रोही नागाओं का उपद्रव . . . २५०५-०६

महेश्वरी देवी जूट मिल्स के बंद होने के बारे में वक्तव्य . . . २५०६-०७

सभा का कार्य २५०७

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पुरःस्थापित . . . २५०८

कार्य मंत्रणा समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन २५०८

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९५८-५९ . . . २५०८—२१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन २५२२

विधेयक पुरःस्थापित . . . २५२२, २५२४-२५

(१) तेलों का जमाना (अपराध) विधेयक . . . २५२२

(२) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक . . . २५२४

(३) बैंक ऑफ पटियाला विलय विधेयक . . . २५२५

सहकारी समितियां विधेयक—

पुरःस्थापन की अनुमति नहीं दी गयी . . . . २५२२—२४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापिस लिया गया . . . २५२५—३६

भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक . . . . . . २५३७—३९

दैनिक संक्षेपिका . . . . २५४०—४६

पृष्ठ

अंक २२—सोमवार, ६ मार्च, १९५६/१८ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०१६, १०१८, १०२०, १०२२ से १०२६, १०२८ और १०२९ . . . २५४७–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१९, १०२१, १०२७, १०३० और १०३२ से १०४६ . . . २५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४६ से १६३८ . . . २५८०—२६१९

स्थगन प्रस्ताव

पंजाब में सुधार शुल्क . . . २६१९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २६१९-२०

सभा का कार्य

अनुदानों की मांगों के लिये समय का आवंटन . २६२०-२१

विधेयक पुरःस्थापित किये गये . . २६२१-२२

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक . २६२१

(२) भारतीय प्रकाश-स्तम्भ (संशोधन) विधेयक २६२२

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पारित . . २६२२

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा २६२२–६४

दैनिक संक्षेपिका २६६५–७०

अंक २३—मंगलवार, १० मार्च, १९५९/१९ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७ से १०५६, १०७५ और १०५७ से १०६० २६७१–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६१ से १०७४ और १०७७ से १०९६ २६९६–२७१३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३९ से १७०६ . . २७१३–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९ दिनांक १९-११-५८ के उत्तर में शुद्धि २७४१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २७४१-४२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २७४२

राज्य सभा से सन्देश . . २७४२

विशेषाधिकार का प्रश्न

मनीपुर आयव्ययक प्राक्कलनों का समय से पहले पता लग जाना २७४३–४५

सामान्य आयव्ययक के बारे में विशेषाधिकार का कथित उल्लंघन २७४५–४७

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
गिरिडीह कोयला खान में अग्निकांड . . . २७४७—४६
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पारित . . . २७४६
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . २७४६—८५
दैनिक संक्षेपिका . . . २७८६—६१

अंक २४—बुधवार, ११ मार्च, १६५६/२० फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १०६७ से ११०५, ११०७ से ११०६ तथा १११२ से १११५ . . . २७६३—२८१६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ११०६, १११०, ११११, १११६ से ११२५, ११२७ से ११३७ तथा ११३६ से ११४५ . . . २८१७—३१
अतारांकित प्रश्न संख्या १७०७ से १७७८ . . . २८३१—६१
डा० एम० आर० जयकर का निधन . . . २८६२
सरकारी कर्मचारी आचार नियमों के बारे में . . . २८६२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २८६३
सदस्य की गिरफ्तारी . . . २८६३
सदस्य को सजा . . . २८६३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
सैंतीसवां प्रतिवेदन . . . २८६४
सरकारी समवायों के प्रतिवेदन के बारे में घोषणा . . . २८६४
आसाम सीमा पर गोली वर्षा के बारे में वक्तव्य . . . २८६४—६५
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . २८६५—६४
दैनिक संक्षेपिका . . . २८६५—२६००

अंक २५—गुरुवार, १२ मार्च, १६५६/२१ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ११४६ से ११५३, ११५५ से ११५८, ११६० से ११६२ और ११६४ . . . २६०१—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ११५४, ११५६, ११६३ और ११६५ से ११६० . . . २६२६—३६
अतारांकित प्रश्न संख्या १७७६ से १८६५ . . . २६३६—७५

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव

सीमा पर गोली वर्षा . . . . . २९७६—८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९८०–८१

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २९८१—३०२२

लेखानुदानों की मांगें . . . . . ३०२२—२७

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पुरःस्थापित . . . ३०२८

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पारित . . . ३०२८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ३०२९—३२

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोली वर्षा . . ३०३२—४२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३०४३—४९

अंक २६—शुक्रवार, १३ मार्च, १९५९/२२ फागुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९२ से ११९४, ११९६, ११९८ से १२०१, १२०३, १२०५, १२०८, १२०९, १२१२, १२१३, १२१६, १२१८, १२२० तथा १२३० . . . . . ३०५१—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९१, ११९५, ११९७, १२०४, १२०६, १२०७, १२१०, १२११, १२१४, १२१५, १२१७, १२१९, १२२१ से १२२९ तथा १२३१ से १२३५ . ३०७६—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८६६ से १९३३ . . . ३०८७—३११५

स्थगन प्रस्ताव—

पंजाब में सुधार शुल्क ३११६-१७

अमरीका और टर्की, ईरान और पाकिस्तान के बीच सैनिक सहायता के लिये हुए करार के बारे में वक्तव्य . . . ३११७—२१

सभा पटल पर रखे गये पर ३१२१-२२

सभा का कार्य ३१२२-२३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक . . . . ३१२३—३७

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३१२३—३५

खण्ड २ से २६, १ और अधिनियमन सूत्र ३१३६-३७

पारित करने का प्रस्ताव ३१३७

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन ३१३७

नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने की नीति के सम्बन्ध में संकल्प ३१३८—५५

सहकारी कृषि के सम्बन्ध में संकल्प . . . ३१५५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ३१५७—६३

अंक २७—सोमवार, १६ मार्च, १९५९/२५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३६ से १२४२, १२४४, १२४६, १२४८, १२४९, १२५१ से १२५३ और १२५६ से १२५९ . . ३१६५—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४३, १२४५, १२४७, १२५०, १२५४, १२५५, १२६० से १२८७ और १२८९ . . . ३१९०—३२०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३४ से १९५९, १९६१ से १९९३ और १९९५ से १९९९ . ३२०७—३७

श्री काशीनाथ राव वैद्य का निधन ३२३७

सभा पटल पर रखा गया पत्र . ३२३७

राज्य सभा से सन्देश . ३२३८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३२३८

सदस्य का निकाला जाना ३२३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पुनर्वास विभाग का बन्द किया जाना . . ३२३८—४२

घरेलू कर्मचारियों की मांगों के बारे में वक्तव्य . . ३२४१

अनुदानों की मांगें . . . ३२४२—९४

अणु शक्ति विभाग . . . ३२४२—५६

वैदेशिक कार्य मंत्रालय . . . ३२५६—९४

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२९५—३३००

अंक २८—मंगलवार, १७ मार्च, १९५९/२६ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९१ से १२९८, १३००, १३०१, १३०४, १३०७, १३०९, १३१०, १३१३, १३१४, १३१६, १३१८, १३१९, १३२१ और १३२२ . . . ३३०१—२८

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६०, १२६६, १३०२, १३०३, १३०५, १३०६, १३०८, १३११, १३१२, १३१५, १३१७, १३२०, १३२३ और १३२४ . . . ३३२८–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या २००० से २०६३ ३३३४–५६

स्थगन प्रस्ताव—

मालद्वीप में रायल एअर फोर्स स्टेशन . ३३५६–६०

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . ३३६१

चिनाकुरी खान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ३३६१

अनुदानों की मांगें . ३३६२–३४२७

वैदेशिक कार्य मंत्रालय ३३६२–७४

शिक्षा मंत्रालय ३३७५–३४२७

दैनिक संक्षेपिका . . ३३२८–३२

अंक २६—बुधवार, १८ मार्च, १६५६/२७ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२६ से १३२८, १३३० से १३३४, १३३६, १३३७, १३३६ से १३४१, १३४५, १३४८ और १३४७ . ३४३३–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२५, १३२६, १३३५, १३३८, १३४२ से १३४४, १३४६ और १३४६ से १३६३ . . ३४५६–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६४ से २१३५ ३४६५–६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३४६५

राज्य सभा से सन्देश ३४६६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन . ३४६६

लोक लेखा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन . ३४६६

प्राक्कलन समिति—

बयालीसवां प्रतिवेदन ३४६६–६७

अनुदानों की मांगें ३४६७–३५३६

विधि मंत्रालय ३४६७–३५३६

मध्य प्रदेश में धान के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३४३७–४२

दैनिक संक्षेपिका . ३५४३–४८

अंक ३०—गुरुवार, १९ मार्च, १९५९/२८ फाल्गुन, १८८० (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६४ और १३७३, १३६५ से १३६७, १३६९ से १३७२, १३९४, १३७४, १३७५ और १३७७ से १३८१ . ३५४९–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६८, १३७६, १३८२ से १३९३ और १३९५ से १४०४ . . . . ३५७९–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३६ से २१७९ . . . ३५९०–३६०८

उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक सदस्य के निलम्बन के बारे में . . ३६०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६०९

अनुदानों की मांगें ३६१०–६४

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ३६१०–६४

दैनिक संक्षेपिका . ३६६५–६८

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

शुक्रवार, १३ मार्च, १९५९

२२ फाल्गुन, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राइफल शूटिंग क्लब

†*११९२. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ५ मार्च, १९५४ को लोक-सभा द्वारा संकल्प स्वीकार किये जाने के बाद से असैनिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिये कितने नये राइफल शूटिंग क्लबों की स्थापना की गई है ;

(ख) किस राज्य में ऐसे सब से अधिक क्लब हैं ; और

(ग) नेशनल राइफल एसोसियेशन ने राइफल शूटिंग क्लबों के विकास के लिये जो योजना दी थी क्या उसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है ?

†***गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी नहीं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या असैनिक लोगों के प्रशिक्षण के लिये अब तक कोई व्यवस्था की गई है ?

†**श्री दातार** : कई राज्यों में व्यवस्था की जा रही है और कुछ क्लबों की स्थापना भी की गई है । मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है । इसलिये पूरी जानकारी आ जाने के बाद एक विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

408 (Ai) LSD—1

†**श्री स० चं० सामन्त** : इस संकल्प के स्वीकृत होने के बाद से अब किस प्रकार का प्रोत्साहन और सुविधायें प्रदान की जा रही हैं ?

†**श्री दातार** : उन्हें कई प्रकार की सुविधायें दी जाने वाली हैं । पुलिस या सैनिक अधिकारियों की सेवायें उन्हें उपलब्ध कर दी जायेंगी । वे अपने युद्धोपकरण भी पुलिस से ले सकते हैं । कई अन्य बातों की भी उन को अनुमति दी जाती है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकार सभी, कम से कम सीमावर्त्ती क्षेत्रों के, पुलिस थानों को यह हिदायत दे देगी कि वे सभी असैनिक व्यक्तियों को राइफल चलाना सिखा दें ?

†**श्री दातार** : इन विभिन्न क्लबों की स्थापना के बाद भी यदि मांग रही तो इस प्रश्न पर विचार किया जायगा । सरकार इस बात के लिये बहुत उत्सुक है कि और भी राइफल क्लबों की स्थापना की जाये और यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया जाय ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : सीमावर्त्ती क्षेत्रों का क्या हुआ ?

†**श्री दातार** : इस प्रश्न पर भी विचार किया जायगा ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : राज्यों की पुलिस विभिन्न स्थानों से जो हथियार जब्त करती है क्या उन हथियारों को इन क्लबों के सदस्यों को बेच देने की कोई व्यवस्था है ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख किया है इस प्रकार की तो कोई व्यवस्था नहीं है । उन्हें विभिन्न रियायतें दी जाती हैं और जब इन क्लबों को मान्यता प्रदान कर दी जाती है तब इन को ये राइफलें प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या केन्द्रीय सरकार ने फ्लाइंग क्लबों की तरह ही राज्य सरकारों से इन राइफल क्लबों को राज-सहायता प्रदान करने के लिये कहा है ?

†**श्री दातार** : जी हां, हम ने उन से इन क्लबों को प्रोत्साहन देने के लिये कहा है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : क्या सरकार ने हमारे सीमावर्त्ती विवादों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए राज्यों से इस मामले में शीघ्रता करने को कहा है ?

†**श्री दातार** : हम ने राज्यों के सभी भागों में ऐसे क्लबों की स्थापना में शीघ्रता करने पर जोर दिया है ।

श्री पद्म देव : क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, सब के लिये राइफल की ट्रेनिंग अनिवार्य घोषित की जाय ?

†**श्री दातार** : यह तो नीति विषयक बड़ा व्यापक प्रश्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक वित्त निगम

+

†*११९३. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में औद्योगिक वित्त निगम का भवन बनाने के लिये खरीदी गई भूमि को बेच देने में हुई हानि के कारणों की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस हानि के लिये कौन उत्तरदायी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) लोक-लेखा समिति के कहने पर इस मामले की छानबीन की जा रही है ।

(ख) और (ग). जांच पूरी हो जाने के बाद ही इन प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : यह जांच कब तक चलेगी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : और आगे जांच के लिये लोक-लेखा समिति की बैठक २९ जनवरी, १९५९ को ही हुई थी और उन्हों ने और आगे स्पष्टीकरण मांगा है । वह उन्हें भेजा जा रहा है । इस के बाद उस पर विचार किया जायगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : कुल कितनी हानि हुई है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : निगम को कुल १,९८,४६६ रुपये का घाटा हुआ है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इस मामले में कोई विभागीय जांच की गई थी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : लोक-लेखा समिति ने इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था । बात यह थी कि इस के भारसाधक डाइरेक्टरगण निगम की नौकरी छोड़ चुके थे । इसलिये इस मामले में किसी को उत्तरदायी ठहराना कुछ कठिन था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई विभागीय जांच की गई थी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जब लोक-लेखा समिति ने यह बात बताई थी तो विभागीय जांच की गई थी । लेकिन लोक-लेखा समिति इस जांच से संतुष्ट नहीं हुई और वह चाहती थी कि कुछ अधिकारियों को इस के लिये उत्तरदायी ठहराया जाय । क्योंकि अधिकांश अधिकारीगण निगम की नौकरी छोड़ चुके हैं इसलिये किसी को उत्तरदायी ठहराना कठिन है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कुछ विचित्र बात है । सारे कागजात यहीं हैं । उन व्यक्तियों को भी बुलाया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : वे नौकरी छोड़ चुके हैं। इसलिये किसी को उत्तरदायी ठहराना कठिन था। मैं यह नहीं कहती कि वे आये नहीं या कि उन्हों ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। उन्हों ने लोक-लेखा समिति के समक्ष तथ्यों का स्पष्टीकरण कर दिया है। लेकिन लोक-लेखा समिति की इच्छानुसार इस के लिये किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराना कठिन था क्योंकि निगम के बोर्ड ने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। लेकिन क्या मंत्री महोदया यह समझती हैं कि जो लोग इस बात के लिये उत्तरदायी थे वे आ कर उसे स्वीकार कर लेंगे ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जी नहीं, लेकिन जैसा मैं ने कहा निगम ने सर्वसम्मति से इस बात का निर्णय किया था . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : तब सभी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : समिति चाहती थी कि हम किसी व्यक्ति पर निश्चित रूप से उत्तरदायित्व डालें। लेकिन अब कुछ व्यक्ति निगम की नौकरी छोड़ चुके हैं और कुछ लोग तो सरकारी नौकरी से भी अलग हो चुके हैं।

†**अध्यक्ष महोदय**: मुझे वाकई बड़ी हैरानी है। जब तक वे जिन्दा हैं आप इस बारे में आगे कार्यवाही कर सकते हैं। यदि वे मर भी चुके हैं तो भी आगे कार्यवाही की जा सकती है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह कुछ कठिन है क्योंकि बोर्ड के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया था।

: तो वे सभी जिम्मेदार हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस भूमि को बेचा किस ढंग से गया था ? क्या यह विज्ञापन दिया गया था कि यह भूमि बिकाऊ है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह भूमि उसी कीमत पर सरकार को लौटा दी गई थी।

†**श्री वारियर** : विभागीय जांच के लिये निर्देश-पद तैयार करते समय यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निश्चित करने का विशिष्ट विषय उस में शामिल क्यों नहीं किया गया था ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं कह चुकी हूं कि सरकार उत्तरदायित्व निश्चित करना चाहती थी। उस पर लोक-लेखा समिति ने और स्पष्टीकरण मांगा। इस मामले पर अब भी विचार हो रहा है। लोक-लेखा समिति द्वारा सारी बात का निबटारा हो जाने के बाद ही कोई इस मसले में कुछ कह सकता है।

प्रशासनिक पदों के लिये प्रविधिक कर्मचारी

†*११६४. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग के आठवें प्रतिवेदन में यह कहा गया कि प्रविधिक अर्हता वाले व्यक्तियों में प्रशासनिक सेवाओं में घुसने का प्रयास करने की प्रवृत्ति पाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि प्रविधिक अर्हताप्राप्त व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं को बेहतर क्यों समझते हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है कि प्रशासनिक सेवाओं में जा कर प्रविधिक प्रतिभा व्यर्थ न जा सके ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यह प्रश्न विचाराधीन है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि कुल कितने प्रविधिक अर्हता वाले व्यक्ति इस समय शुद्ध प्रशासनिक पदों पर कार्य कर रहे हैं, और यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का क्या फल निकला है ?

†**श्री दातार** : मैं ने सामान्य रूप से कोई अनुमान नहीं लगाया है । लेकिन उन प्रविधिक कर्मचारियों के आंकड़े मेरे पास हैं जो भारत प्रशासन सेवा परीक्षा और औद्योगिक प्रबन्ध पूल में शामिल हुए हैं । जहां तक मुझे पता है समस्या उतनी गम्भीर नहीं है जितनी माननीय सदस्य समझते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि इंजीनियर और गवेषक बार-बार प्रशासनिक सेवाओं में जाने लगें . . . . .

†**श्री दातार** : उन्हें प्रविधिक कर्मचारी नहीं माना जाता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्ट ही माननीय सदस्य यह प्रश्न यह जानने के लिये पूछ रहे हैं कि क्या प्रविधिक कर्मचारियों का उपयोग करने की कोई योजना है । यदि प्रविधिक, इंजीनियरिंग और चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों के लिये प्रशिक्षित किये गये लोग प्रशासनिक पदों पर जाने लगें तो उन की सूचियां तैयार करने का उद्देश्य ही क्या रह जाता है ?

†**श्री दातार** : यह बात बिल्कुल ठीक है । वास्तव में मेरे पास जो आंकड़े हैं उन से पता चलता है हम ने बहुत से प्रविधिक लोगों को नहीं लिया है । मैं यहां यह बता दूं . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सिद्धान्त का प्रश्न है ।

†**श्री दातार** : मैं आप की इस बात से सहमत हूं कि प्रविधिक कर्मचारियों को प्रविधिक पदों पर ही नियुक्त किया जाय और जहां ऐसा करना अनिवार्य ही न हो उन को छोड़ कर उन्हें प्रशासनिक पदों पर न भेजा जाय ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि यह समस्या उतनी गम्भीर नहीं है जितनी मैं समझता हूं लेकिन यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं वह पढ़ कर सुना दूं जो संघ लोक सेवा आयोग ने इस सम्बन्ध में कहा है । उन्हों ने इस बात को बहुत गम्भीर माना है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब तो प्रश्न यह होगा : क्या संघ लोक सेवा आयोग ने इस बात को बहुत गम्भीर माना है ?

†**श्री दातार** : उन्होंने एक विचार कायम किया है और उस विचार को प्रगट भी कर दिया है । लेकिन जैसा मैं आप को बता चुका हूं, पिछले तीन वर्षों, १९५६, १९५७ और १९५८ की भारत प्रशासन सेवा परीक्षा में प्रविधिक कर्मचारियों में से केवल तीन ही सफल हुए हैं । १९५६ की भारत प्रशासन सेवा की विशेष परीक्षा में १०२ में से केवल ८ सफल हुए थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह सच नहीं है कि संघ लोक सेवा आयोग ने यह सुझाव दिया है कि वैज्ञानिक और प्रविधिक कर्मचारियों की नौकरी सम्बन्धी शर्तों में उपयुक्त सुधार किया जाना चाहिये ? यदि हां तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई या की जाने वाली है ?

†**श्री दातार** : सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है । माननीय सदस्य ने जिस अंश का उल्लेख किया है उस में सिर्फ इतना ही कहा गया है :

"अन्यों की अपेक्षा भारत प्रशासन सेवा में अधिक प्रलोभन है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात उसी में से निकलती है । आप इस अधिक प्रलोभन से कैसे बचेंगे ?

†**श्री दातार** : वास्तव में १९५४ से पहले हम ने जो अर्हतायें निश्चित की थीं वह कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक होने की थीं । बाद में जब मांग बहुत बढ़ गयी तो हम ने वास्तविक प्रविधिक कर्मचारियों को छोड़ कर कृषि और इंजीनियरिंग में बी० एस० सी० डिग्रीधारियों के लिये भी अनुमति दे दी ।

†**श्री रंगा** : यह सच नहीं है कि जहां तक इंजिनियरों का सम्बन्ध है, सरकार को कर्मचारियों की कमी की शिकायत रही है ? अब जबकि आपात काल बीत चुका है तो भी सरकार ने भारत प्रशासन सेवा की अर्हताओं में इसे क्यों शामिल कर रखा है ?

†**श्री दातार** : हमें यह प्रविधिक कर्मचारी काफी संख्या में मिल रहे हैं । मैं सभा को यह बता दूं कि १९५६, १९५७ और १९५८ के तीन वर्षों में हमें, मेकैनिकल सिविल और इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सम्बन्धी ९४ कर्मचारी मिल गये हैं ।

सेठ गोविन्द दास : अभी मंत्री महोदय ने यह बतलाया कि इस प्रकार के टेकनिकल लोग जो शासकीय विभाग में जाना चाहते हैं उन की संख्या बहुत कम है लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि संख्या कम होते हुए भी ये लोग बहुत अच्छे टेकनिकल आदमी सिद्ध हो सकते थे और इस परिस्थिति में क्या सरकार इस बात का कोई विचार कर रही है कि इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नियम बना दिये जायें जिस से इस प्रकार के लोग केवल टेकनिकल साइड में ही लिये जा सकें ?

†**श्री दातार** : काफी हद तक ये नियम अब भी मौजूद हैं । अब हम कुछ व्यक्तियों या स्नातकों को तभी अनुमति देते हैं जब वे प्रविधिक कार्यों में न लगे हुए या अर्ह न होते हों । यदि वे सामान्य विज्ञान की शिक्षा प्राप्त हों तब तो उन्हें इस के लिये अनुमति दे ही दी जानी चाहिये ।

†**श्री तंगामणि** : क्या इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि प्रतिरक्षा विभाग में बहुत से चिकित्सक केवल प्रशासनिक कार्य करते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो बात एक से दूसरे पर जाने लगी है ।

†**श्री दातार** : मैं बता चुका हूं कि चिकित्सक इस में नहीं आते ।

विज्ञान मन्दिर

†*११९६. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि जो विज्ञान मन्दिर काम करने लगे हैं क्या उनकी सफलता का अनुमान लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है लेकिन विज्ञान मन्दिरों की प्रगति की समीक्षा निरन्तर ही की जाती है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : १९५८ में हमने इन विज्ञान मन्दिरों पर कितनी राशि व्यय की थी और १९५९ का बजट कितना है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : १९५८–५९ में फरवरी १९५९ तक १,६५,००० रुपये व्यय हो चुके हैं। १९५९–६० के बजट में सभा से १९,३६,००० रुपये की मांग की जायगी।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : किन-किन स्थानों पर हमारे ये केन्द्र मौजूद हैं और किन-किन स्थानों पर नये केन्द्रों की स्थापना की जायगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : पिछले वित्तीय वर्ष के आरम्भ से पहले ऐसे १८ विज्ञान मन्दिर थे। इस समय २१ काम कर रहे हैं। चालू वर्ष के लिये हमने १५ मंजूर किये हैं। आशा की जाती है कि मार्च, १९६० तक देश में लगभग ६० विज्ञान मन्दिर हो जायेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह सारी जानकारी प्रत्येक मन्त्रालय के प्रशासन-प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इसमें से कुछ जानकारी उपलब्ध है, सारी उपलब्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो फिर प्रतिवेदनों को सम्पूर्ण बनाइये। एक बार प्रतिवेदन निकल जाने पर माननीय सदस्यों को मंत्रियों से यह सब ब्यौरे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

†**श्री नाथ पाई** : ये प्रतिवेदन तो सिर्फ दिखावे भर को होते हैं। यदि आप उन्हें खोल कर देखें तो उनमें कोई जानकारी नहीं मिलती। अक्सर वह दिखावे के लिये ही होते हैं।

†**श्री हुमायून् कबिर** : वे काफी व्याख्यात्मक होते हैं। लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि मार्च १९६० में क्या होने वाला है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि प्रतिवेदनों को वे जितना भी सम्पूर्ण बना सकें बना दें।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या यह सच है कि ये विज्ञान मन्दिर मनोरंजन क्लबों का कार्य कर रहे हैं, विज्ञान मन्दिरों का नहीं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हमें जो खबर मिली है वह यह है कि इन्होंने बड़ी दिलचस्पी पैदा कर दी है। उनसे सम्बद्ध साइन्स क्लब होते हैं और उनमें वक्तायें होती हैं। एक दो के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का अनुभव कटु हो सकता है। लेकिन मुझे बताया गया है कि आम तौर पर इनमें अच्छा कार्य हो रहा है।

†**श्री पुन्नूस** : इन केन्द्रों का चुनाव करने में किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है और क्या इसमें राज्य सरकारों का कोई हाथ होता है ?

†**श्री हुमायून कबिर** : राज्य सरकार की सलाह से ही हम इनका चुनाव करते हैं और उनके भवन देने पर ही हम इन्हें शुरू कर पाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास : यह विज्ञान के मन्दिर कहां कहां पर हैं और इन को स्थापित करने के लिये क्या राज्य सरकारों से सिफारिश ली जाती है और उनकी सिफारिश करने पर यह स्थापित होते हैं या केन्द्र सरकार स्वयं इनको स्थापित करती है ?

श्री हुमायूं कबिर : यह सब खबर रिपोर्ट में दी गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसी का जवाब तो उन्होंने अभी दिया है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि सरकार ने विज्ञान मन्दिरों की वर्तमान योजना का पुनरस्थापन करने की जरूरत महसूस करती है, और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है और क्या पुनरस्थापन किया जाने वाला है ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : इस प्रकार के प्रयोगों में समीक्षा और रूपभेद का कार्य सदा होता ही रहता है । मेरे ख्याल से कोई पूर्ण पुनरस्थापन नहीं होने वाला है । हम कुछ कार्यों के बारे में विचार कर रहे हैं । यह उस प्रतिवेदन में दिये हुए हैं जो संसद् के समक्ष रखा गया था ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : इन संस्थाओं के सर्वेक्षण और सफलता नापने का मानदण्ड क्या है ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : इसका मानदण्ड यह है कि हम इसके लिये स्थान ऐसी जगह पर चाहते हैं जो लोक-प्रिय हो, यदि वह राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड या सामुदायिक विकास खण्ड में हो तो ज्यादा अच्छा है, स्थान उपयुक्त हो और उसमें उपयुक्त भवन हों, चारों ओर के गांवों से आने जाने के रास्ते अच्छे हों, अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के क्या उच्चतर माध्यमिक या बहुप्रयोजनीय स्कूल निकट में ही स्थित हों—ग्राम्य बजार और हाट पास ही हों लेकिन शहर दूर हों ।

†**श्री तिरुमल राव** : श्रीमन्, इसका उत्तर भिन्न है । हम यह जानना चाहते हैं कि इन संस्थाओं की सफलता नापने का पैमाना क्या है, इनको किस प्रयोजन से शुरू किया गया था, वह प्रयोजन कहां तक पूरा हुआ है आदि । माननीय मंत्री विज्ञान मन्दिरों की स्थिति और वित्त व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं । यह तो बिल्कुल अलग बात है ।

†**श्री हुमायूं कबिर** : मैंनें प्रश्न यह सुना था कि इनका चुनाव करने का मानदण्ड क्या है । यदि प्रश्न यह हो कि सफलता का मानदण्ड क्या है तो स्पष्ट है कि मैं अचानक इसका उत्तर नहीं दे सकता । सफलता का मानदण्ड जनता की दिलचस्पी होती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन विज्ञान मन्दिरों से संसद्-सदस्य भी बनेंगे ।

†**श्री हुमायूं कबिर** : वे उनमें जाते भी हैं ।

प्रतिरक्षा कॉलेज

+

†*११९८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में लन्दन के इम्पीरियल डिफेन्स कॉलेज की तरह के किसी कॉलेज की स्थापना का निश्चय कर लिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह कॉलेज सम्भवतः किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा और इसकी लागत कितनी कूती गयी है ; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक हो जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) से (ग). समय समय पर कई प्रस्तावों पर विचार किया जा चुका है। अभी तक कुछ भी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस तरह का स्कूल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है या नहीं और यदि है तो जिस स्थान पर इस की स्थापना होने वाली है क्या उसकी जांच कर ली गयी है, और यह स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : उपमंत्री बता चुके हैं कि ये प्रस्ताव विचाराधीन हैं। अभी से यह बतलाना सम्भव नहीं है कि इसे किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा या कि यह क्या रूप लेगा। इसमें कई कृत्यों का समावेश करना है। अब प्रश्न यह है कि इसका वितरण किस प्रकार किया जाय।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस समस्या के कौन-कौन से पहलू विचाराधीन हैं और ये कितने समय से विचाराधीन हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : पिछले वर्ष के अक्तूबर से इस पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। कुछ समय पूर्व प्राक्कलन समिति ने यह सिफारिश की थी कि इन्हें विदेश न भेज कर यहीं प्रशिक्षण दिया जाय। उस समय हमारे पास प्रशिक्षण देने वाले लोग काफी संख्या में नहीं थे। अब हमारा ख्याल है कि हम यह काम कर सकते हैं और हमें आशा है कि यदि पर्याप्त वित्तीय तथा अन्य संसाधन उपलब्ध हो गये तो कुछ ही महीनों में यह संस्था काम करने लगेगी।

†**श्री जोकीम आल्वा** : वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में इम्पीरियल डिफेंस कॉलेज में हमारी प्रतिरक्षा सेनाओं के अफसरों के जाने में लाभ भी है और हानि भी। क्या 'नाटो'[1] सम्बन्धी जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस कॉलेज की स्थापना में शीघ्रता करेगी ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

†**श्री नाथ पाई** : क्या इससे हम यह समझें कि खड़क वसला की राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में पर्याप्त प्रबन्ध नहीं है और यदि हां, तो क्या इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उन सुविधाओं में वृद्धि नहीं की जा सकती है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मेरे ख्याल से स्थिति के सम्बन्ध में कुछ गलत फहमी है। खड़क वसला की राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी १४ से १९ वर्ष तक के लड़कों के लिये है; और वहां के प्रशिक्षण का अधिकांश भाग उनके चरित्र-निर्माण मानव शास्त्र, विज्ञान आदि के प्रशिक्षण के बारे में है। वहां से उन्हें मिलिटरी कालेज में जाना होता है; वास्तव में वह देहरादून के मिलिटरी कालेज के लिये लड़कों को तैयार करता है। उस कालेज से वे स्टाफ कालेज में जाते हैं। लन्दन का यह इम्पीरियल डिफेंस कॉलेज इस समय अन्य बातों की शिक्षा देता है जिनमें पब्लिक अफेयर्स, ग्लोबल स्टैटेजी आदि बातों का अध्ययन शामिल है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या देहरादून के मिलिटरी कॉलेज और वेलिंग्टन के स्टाफ कालेज में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम इस नये स्थापित किये जाने वाले कालेज के पाठयक्रम से भिन्न होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Nato North Atlantic Treaty Organisation.

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी हां। मिलिटरी कालेज का कोर्स सैनिक विज्ञान से संबंधित है। यह भिन्न किस्म का पाठ्यक्रम है। लेकिन यदि माननीय सदस्य देहरादून वाले कालिज का ब्यौरा जानना चाहते हों तो उन्हें पृथक प्रश्न पूछना पड़ेगा।

†**श्री आ० कृ० गायकवाड़** : क्या सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये कुछ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखने वाली है, क्योंकि मुझे बताया गया है कि कुछ संस्थायें ऐसी हैं जिनमें एक भी स्थान सुरक्षित नहीं रखा जाता। इसी लिये मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

†**श्री कृष्ण मेनन** : इन कॉलेजों में भर्त्ती देश के विधान और उन सभी प्रक्रियाओं के अधीन होगी जो देश के समस्त प्रतिरक्षा संस्थापनों पर लागू होते हैं।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या इस कॉलेज की स्थापना के बाद भी हमारे अफसरों को विदेश, विशेष रूप से ब्रिटेन, जाना पड़ेगा या उन्हें सभी शिक्षण यहीं दिया जा सकेगा?

†**श्री कृष्ण मेनन** : स्पष्ट है कि उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि उसके संबंध में भी गलत फहमी है। हम वर्ष में दो ही व्यक्तियों को बाहर भेजते हैं।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या सरकार ने इस अकादमी को रखने के लिये मध्य भारत के किसी स्थान के बारे में विचार किया है?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब विचाराधीन हैं।

सेठ गोविन्द दास उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्ट है कि सेठ गोविन्द दास भी यही सवाल पूछना चाहते हैं। वह तो यही चाहते हैं कि सभी संस्थाओं की स्थापना मध्य प्रदेश में ही की जाय।

ज्यामित्तीय सर्वेक्षण[1]

†*११९९. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी ज्यामितीय सर्वेक्षण पद्धति अन्य देशों से भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में;

(ग) क्या एक सी पद्धति चलाने के संबंध में बातचीत चल रही है; और

(घ) क्या एकसी पद्धति रखने से हमारे सर्वेक्षण कार्य में सहायता मिलेगी?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Geodetic Survey.

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या ज्यामितीय सर्वेक्षण के बारे में पद्धति चलाने के बारे में अन्य देशों के प्रतिनिधियों से कभी भी कोई बातचीत हुई है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मुझे बताया गया है कि मूल सिद्धान्त सभी देशों के लिये एक से होते हैं। संभवत: माननीय सदस्य के दिमाग में जो प्रश्न है वह स्फीयरायड आफ रिफरेंन्स[1] के बारे में है और यह अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न होता है।

†**श्री पुन्नूस** : इस स्फीयरायड आफ रिफरेन्स और ज्यामितीय सर्वेक्षण का अर्थ क्या होता है ? हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आया।

†**अध्यक्ष महोदय** : जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है वही यह समझायें।

†**श्री स० म० बनर्जी** : यह पृथ्वी की वक्रता से संबंधित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय सभा की जानकारी के लिये बतादें कि ज्यामितीय सर्वेक्षण का अर्थ क्या होता है।

†**श्री हुमायून् कबिर** : इसमें त्रिपार्श्व अक्षांस-देशान्तर रेखाओं का निर्धारण और गुरुत्व का निर्धारण किया जाता है और इनसे पृथ्वी की वक्र सतह पर विशिष्ट स्थान बड़े ही शुद्ध ढंग से निश्चित किये जा सकते हैं। इसी को ज्यामितीय सर्वेक्षण कहते हैं।

विदेशियों की मूर्तियां

*१२००. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली व अन्य केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से विदेशियों की मूर्तियां हटाने के कार्य में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के इस महत्वपूर्ण कार्य को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के लिये कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अलावा और किसी यूनियन टेरिटरी में विदेशियों की मूर्तियां नहीं है। हिमाचल प्रदेश में महारानी विक्टोरिया की केवल दो मूर्तियां थीं जिनको हटा दिया गया है। दिल्ली में दस मूर्तियां और हैं लेकिन वे भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली नहीं हैं। इनको नेशनल म्यूजियम का निर्माण पूरा हो जाने पर हटा दिया जायेगा।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : सब से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार की नजर में आफेंसिव होने की क्या परिभाषा है ? किन मूर्तियों को वह आफेंसिव मानती है ?

†**श्री दातार** : माननीय प्रधान मंत्री ने १३ मई, १९५७ को सभा में दिये गये एक वक्व्य में यह पूर्ण रूपेण स्पष्ट कर दिया था कि घृणास्पद मूर्तियां वे हैं जो कि किन्ही कमाण्डरों की है अथवा उन पर ऐसे शब्द तथा वाक्य लिखे हुए हैं जो कि हमारी राष्ट्रीय भावनाओं अथवा स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाती हैं। अन्यथा वे मूर्तियां निर्दोष हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sphereoid of Reference.

†**श्री रंगा :** संसद् भवन ने क्या अपराध किया है कि इसके आस-पास अभी तक विदेशियों की मूर्तियां लगी हुई हैं ? इस प्रकार की तीन मूर्तियां हैं और वे उन व्यक्तियों की हैं जिन्होंने देश की कोई विशेष सेवा भी नहीं की थी । उन्होंने मुश्किल से ५ या ६ वर्ष तक काम किया था ?

†**श्री दातार :** हमने अन्य देशों को वे मूर्तियां उपहार के रूप में देने का प्रस्ताव किया है। एक दो देशों ने उस प्रस्ताव को स्वीकर भी कर लिया है और उन पर विचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय संग्रहालय के तैयार होते ही इन मूर्तियों को यहां से हटा दिया जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जब राष्ट्रीय संग्रहालय यानी नैशनल म्यूजियम में स्थान बन जायेगा, तब इन मूर्तियों को हटा कर के वहां रख दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि भारत के किसी म्यूजियम में इनको न रख कर के, इन्हें ब्रिटिश म्यूजियम में क्यों नहीं भेज दिया जाता है ?

†**श्री दातार :** यदि वे उन मूर्तियों को मांग लें तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। ऐसी दशा में संग्रहालय में केवल वही मूर्तियां रखी जायेंगी जिनका कला की दृष्टि से कोई महत्व होगा।

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर, जो प्रत्यक्ष-रूप से केन्द्रीय प्रशासन के अधीन हैं, लगी हुई मूर्तियां हटाने के प्रश्न पर भी विचार करेगी, जैसे कि पांडीचेरी में डूप्ले की एक आपत्तिजनक मूर्ति है, वह हिन्दू धर्म के एक धार्मिक प्रतीक के ऊपर बैठा है ?

†**श्री दातार :** मैं उस बारे में जांच करूंगा।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या इन मूर्तियों के बारे में केवल उसी स्थिति में आपत्ति की जा सकती है जब कि वे सार्वजनिक स्थानों पर लगी हों अथवा गिरजाघरों और कब्रिस्थानों में लगी हुई मूर्तियों और लिखित वाक्यों के सम्बन्ध में भी आपत्ति की जा सकती है ?

†**श्री दातार :** वह तो एक अलग प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस सभा का गैर-सरकारी गिरजाघरों पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। माननीय सदस्य यदि ऐसा अनुभव करें तो किसी गिरजाघर में कोई ऐसी मूर्ति है तो वे उस गिरजाघर में ही जाना छोड़ दें ।

†**श्री प्र० ना० सिंह :** राष्ट्रीय संग्रहालय कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री दातार :** उस की इमारत बन रही है और आशा है कि कुछ वर्षों में तैयार हो जायेगी।

†**श्री अंसार हरवानी :** माननीय मंत्री ने बताया है कि केवल वही मूर्तियां हटाई गयी हैं जो कि आपत्तिजनक हैं। क्या लार्ड विलिंगडन की मूर्ति आपत्तिजनक नहीं हैं जिसने महात्मा गांधी को जेल भेजा था और अगणित भारतीयों को मरवा दिया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सेवा निवृत्ति की आयु

†*१२०१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की विभिन्न सेवाओं के लिये निर्धारित अतिवयस्कता की आयु अलग-अलग हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या-क्या हैं और इस अन्तर का क्या कारण है ;

(ग) अतिवयस्कता की आयु के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय करने के मामले पर पिछली बार कब विचार किया गया था ; और

(घ) क्या पदाधिकारियों की निवृत्ति और उनकी पुनर्नियुक्ति के बारे में कोई नयी हिदायतें जारी की गयी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) जहां तक गैर-अनुसचिवीय सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनकी अतिवयस्कता की आयु सदा ही ५५ वर्ष रही है जब कि चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की आयु ६० वर्ष है। अनुसचिवीय कर्मचारियों की अतिवयस्कता की आयु १९३८ तक ६० वर्ष थी, परन्तु उसके बाद उसे भी ५५ वर्ष कर दिया गया। परन्तु जिन व्यक्तियों ने अप्रैल, १९३८ से पहले सरकारी नौकरी प्रारम्भ कर दी थी, उसके सम्बन्ध में आयु सीमा ६० वर्ष तक ही रही।

(ग) जून, १९५८ में।

(घ) जी, हां। उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १]** ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरे प्रश्न के भाग (ख) का पूरा उत्तर नहीं मिला है। मैंने पूछा था कि यदि हां, तो वे अलग-अलग सीमायें क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ?

†**श्री दातार** : सामान्यतया आयु सीमा ५५ वर्ष है सिवाय उन लोगों के जो कि एक निश्चित तिथि से पहले ही सरकारी नौकरी में दाखिल हो गये थे। जहां तक चौथी श्रेणी के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनके लिये ६० वर्ष की सीमा निर्धारित करना उचित समझा गया है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि अतिवयस्कता की आयु ५५ से ६५ वर्ष तक है ? मैं जानना चाहता हूं कि इतने अधिक अन्तर के क्या-क्या कारण हैं और क्या किसी विशेषज्ञ समिति ने उस प्रश्न पर विचार किया है ?

†**श्री दातार** : मैंने बता दिया है कि अतिवयस्कता की आयु के सम्बन्ध में कुछ एक निश्चित नियम हैं। कई सेवायें ऐसी हैं जिनके लिये अतिवयस्कता की आयु संविधान द्वारा निर्धारित कर दी गयी है। उसमें हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते।

†**श्री तंगामणि** : विवरण में यह लिखा हुआ है कि प्रथम श्रेणी के अफसरों की निवृत्ति आयु में तीन वर्ष की वृद्धि की जा सकती है अर्थात् उनकी सीमा ५५ वर्ष से बढ़कर ५८ वर्ष तक हो सकती है क्या उसका सख्ती से पालन किया जायेगा ? यदि हां, तो उपदान और निवृत्ति वेतन देने से क्या लाभ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इसके लिये एक अलग प्रश्न पूछें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : मैं तो केवल यही पूछना चाहता हूं कि क्या इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। क्या प्रथम श्रेणी के सभी पदाधिकारियों को तीन वर्ष की वृद्धि दी जायेगी?

†**श्री दातार** : मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जहां तक आयु सीमा में वृद्धि का सम्बन्ध है, यह वृद्धि सामान्यतया नहीं दी जाती। उसमें सब से पहले लोकहित का ध्यान रखा जाता है। सामान्यतया अधिकतर वैज्ञानिक और प्रविधिक व्यक्तियों को ही वृद्धि दी जाती है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में प्रविधिक व्यक्तियों की कमी है, क्या उनकी आयु सीमा को ६० तक बढ़ा दिया जायेगा ?

†**श्री दातार** : सभी के लिये सीमा बढ़ा देने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक मामले पर गुणावगुणों के आधार पर निर्णय किया जाता है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या वेतन आयोग से कहा गया है कि वह सेवा निवृत्ति पदाधिकारियों की निवृत्ति आयु उनकी पुर्नानियुक्ति की सेवा शर्तों, वेतन और भत्तों आदि के सम्बन्ध में भी अपनी सिफारिशें करें ?

†**श्री दातार** : इस बारे में मुझे इस समय ध्यान नहीं है।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : निवृत्ति के उपरान्त पुनःनियुक्त कर्मचारियों को कितने-कितने वेतन और भत्ते दिये जाते हैं ?

†**श्री दातार** : यह तो कार्य की आवश्यकता, उनकी अर्हताओं और अनुभव पर निर्भर करता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सघ लोक-सेवा आयोग द्वारा विरोध करने के बावजूद भी सीमा विस्तार का अधिकार उससे ले लिया गया है, सरकार ने इस बात की देखभाल करने के लिये क्या व्यवस्था की है कि केवल योग्य तथा उपयुक्त व्यक्तियों को ही सेवा काल सीमा में वृद्धि दी जाये ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य का विचार करने का आधार ही गलत है। हम ने संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से ही इस सम्बन्ध में छूट दी है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि तीन साल पहले संघ लोक सेवा आयोग ने अपने दो प्रतिवेदनों में इस का घोर विरोध किया था ?

†**श्री दातार** : ये नियम, जिनके अधीन कुछ एक मामलों को संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से मुक्त किया गया है, सभा के सम्मुख प्रस्तुत किये गये थे और उन पर सभा में चर्चा भी की गयी थी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं यह जानना चाहता हूं कि अब सरकार ने उन्हें वृद्धि देने के लिये क्या व्यवस्था की है। पहले तो संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से वृद्धि दी जाती थी। परन्तु अब किस के परामर्श से वृद्धि दी जाती है ?

†**श्री दातार** : वृद्धि अथवा पुर्नानियुक्ति के सम्बन्ध में उच्च स्तर पर विचार किया जाता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : परन्तु किसके द्वारा की जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : विभाग के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसके लिये किसी अन्य व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। पदाधिकारियों को नियुक्त करने वाले अफसर स्वयं ही इस बारे में निर्णय कर लेते हैं।

†**श्री मुरारका** : मैं ने प्रश्न संख्या १२०२ के सम्बन्ध में पूर्व सूचना दी थी। परन्तु आपने कल महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन और लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में जो विनिर्देश दिया था, उसको दृष्टि में रखते हुए अब मैं यह प्रश्न नहीं पूछ सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि मुझे प्रश्न संख्या १२३० पूछने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा, समय आने पर देखा जायेगा।

†**श्री मुरारका** : नहीं तो मुझे अपना पहला प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसके सम्बन्ध में विनिर्देश दे चुका हूं। वह कोई नया कानून नहीं है। इसलिये इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

ग्राम उच्चतर शिक्षा संस्थाओं सम्बन्धी समिति

†*१२०३. **श्री झूलन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर शिक्षा की ग्राम संस्थाओं की सफलताओं का मूल्यांकन करने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने अपने काम में अभी तक कितनी प्रगति की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : १९५८ में दो ग्राम संस्थाओं का निरीक्षण किया गया था और दो का अप्रैल, १९५९ में निरीक्षण किया जायेगा। शेष संस्थाओं का निरीक्षण इसी वर्ष में कर लिया जायेगा।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या इस काम के लिये नियुक्त समिति ने ग्राम-शिक्षा और सामान्य शिक्षा में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : ग्राम-शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों पर विचार किया जायेगा।

देहू रोड डिपो में सैनिक ट्रक तथा गाड़ियां

†*१२०५. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहू रोड डिपो में सैनिक ट्रक तथा गाड़ियां खुले मैदान में पड़ी हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल कितनी संख्या है और वे कितनी अवधि से उस दशा में पड़ी हैं ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां। देहू रोड के गाड़ी-डिपो में।

(ख) और (ग). क्योंकि वहां पर ढके हुए स्थान की बड़ी कमी है, इसलिये गाड़ियां १६४४ से खुले मैदान से पड़ी हुई हैं। इनकी संख्या हर वर्ष बढ़ती घटती रहती है। ३१ जनवरी, १६५६ को ५००२ गाड़ियां खुले मैदान में पड़ी हुई थीं।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या काम न आ सकने वाले उन ट्रकों को बेच देने के सम्बन्ध में कोई प्रयन्न किया गया है ?

†**श्री रघुरामैया** : वे सभी खराब नहीं हैं। उनमें से बहुत से ट्रक मरम्मत के योग्य हैं।

†**श्री रंगा** : क्या यह नहीं है कि उनमें से बहुत से ट्रक ऐसे हैं जिन का अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया है ? उन में ऐसे कितने ट्रक हैं जिन्हें बिना किसी इस्तेमाल के ही बेच देना पड़ेगा ?

†**श्री रघुरामैया** : जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं उन में से बहुत से ऐसे ट्रक हैं जो कि मरम्मत के योग्य हैं। वे टूटे हुए ट्रक नहीं हैं, परन्तु वे इस समय ठीक स्थिति में नहीं हैं। उनकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में हर प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है।

खुले मैदान में पड़े ट्रकों की रक्षा के लिये उन्हें टरपुलाइन्स तथा अन्य प्रकार की वस्तुओं से ढक दिया गया है। उनके लिये एक बड़ी सी इमारत बनाने के सम्बन्ध में भी हमारी एक योजना है। हां, उस के पूरा होने में कई साल लग जायेंगे क्योंकि इमारत बहुत बड़ी होगी। इस डिपो के अतिरिक्त और भी बहुत से डिपुओं में इस प्रकार की बहुत सी गाड़ियां पड़ी हुई हैं।

†**श्री नाथ पाई** : क्योंकि ये गाड़ियां १६४४ से खुले में पड़ी हैं, इसलिये उनकी कुल कितनी क्षति हो गयी है ?

†**श्री रघुरामैया** : उनकी वर्षा से रक्षा करने के लिये हर प्रकार की सावधानी बरती जा रही है। सम्भव है कि थोड़ी सी हानि हो गयी हो ; परन्तु हानि का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : यदि गाड़ियों की मरम्मत की जा सकती है तो वर्कशापों में उनकी मरम्मत क्यों नहीं की जाती ? इस सम्बन्ध में क्या-क्या कठिनाई आ रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : वे मरम्मत के योग्य अब हैं। अब मरम्मत करने की प्रविधि अधिक उन्नत हो गयी है और उनके पुर्जे केवल हाल ही में उपलब्ध हो सके हैं। अब हमारे अपने प्रविधिक व्यक्ति भी सरलता से उनकी मरम्मत कर सकते हैं। सब से बड़ी बात यह है कि हमारे वित्त मंत्री अब अधिक मितव्ययी बन गये हैं इसलिये हमारे पास जो ट्रक हैं, हमें उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा।

†**श्री सोनावने** : क्या इन गाड़ियों का किसी निश्चित अवधि के उपरान्त निरीक्षण किया जाता है और क्या उन्हें सुधारने के लिये किसी निश्चित अवधि के उपरान्त उनकी मरम्मत भी की जाती है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : इन गाड़ियों की किसी निश्चित अवधि के उपरान्त मरम्मत नहीं की जाती। उनकी मरम्मत उस दृष्टि से की जाती है कि उनका इस्तेमाल किया जा सके। इन गाड़ियों को

†मूल अंग्रेजी में

किसी ढके हुए स्थान पर रखने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। परन्तु अन्य स्टोर जैसे कि शस्त्रास्त्र आदि को ढके हुए स्थान पर रखने का प्रश्न उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। परन्तु क्योंकि हम प्रत्येक वर्ष के लिये एक सीमित और निश्चित राशि ही खर्च कर सकते हैं। इसलिये हमें फिलहाल वैसे ही काम चलाना होगा।

†**श्री रंगा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हर वर्ष सरकार नई ट्रकों और मोटर-कारों के लिये ७ करोड़ रुपये निर्धारित कर देती है, क्या सरकार ने प्रतिवर्ष इन पुरानी ट्रकों और गाड़ियों में से कुछ एक को काम में लाने के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किया है ताकि वार्षिक खर्च में कुछ कमी की जा सके ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : इसी प्रश्न का तो उत्तर पहले दिया जा चुका है। एक योजना बनाई गयी है जिसके अधीन किसी भी वस्तु को फेंका नहीं जाता और सभी वस्तुओं को काम में लाने का प्रयत्न किया जाता है। प्रति वर्ष ७ करोड़ रुपये अथवा राशि निर्धारित करते समय इस बात को सदा ध्यान में रखा जाता है।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार सभा-पटल पर किसी भी समय एक विवरण रख सकेगी जिस में यह बताया गया हो कि गाड़ियों की मरम्मत करने के बाद उनका किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : उन्हें मरम्मत कराने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। सशस्त्र सेना को स्वयं ही सैनिक इंजीनियरिंग संस्थानों में उनकी मरम्मत करनी पड़ती है, क्योंकि पुरानी गाड़ियों को मरम्मत करना और उन्हें काम में लाना उनकी योजना का एक भाग है। इस समय लगभग ६००० गाड़ियों का पुनर्निमाण किया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाना चाहिये था कि ये गाड़ियां कब से बेकार खड़ी हैं ....

†**श्री कृष्ण मेनन** : मेरा तो यही अनुमान है कि इन में से किसी भी गाड़ी का गत महा युद्ध के बाद इस्तेमाल नहीं किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या किसी भी गाड़ी का प्रयोग नहीं किया गया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : सामान्यतया वे सभी युद्ध के स्टोर के अवशेष हैं।

†**श्री आल्वा** : ऐसी कितनी ट्रकें हैं जिन्हें मरम्मत के बाद सड़क पर चलाना प्रारम्भ कर दिया गया है और क्या देश के राज्य कोष के लिये अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिये इन गाड़ियों की नीलामी करने के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : हम ने बेचने के काम को कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया है क्योंकि अपने अनुभव से हमें यह ज्ञात हुआ है कि पिछले दिनों ऐसी बहुत सी वस्तुयें बिक गयीं थीं जो कि बाद में काम में आ सकती थीं। हम ने अब जो नयी योजना बनायी है उसके अधीन अब तक लगभग ५०० गाड़ियों को नवीन गाड़ियों जैसा बना दिया गया है। इस दिशा में निरन्तर प्रगति हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय सेना छात्र दल

†*१२०८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ में राष्ट्रीय सेना छात्र दल में १९५७ की अपेक्षा भर्ती में कुछ वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस के कारणों की जांच की है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). जी, हां । १९५८–५९ में राष्ट्रीय सेना छात्र दल के सदस्यों की संख्या में २९,८८८ छात्रों की वृद्धि हुई है जब कि १९५७–५८ में २०,४७६ छात्रों की वृद्धि हुई थी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : गत वर्ष सेना छात्र दल में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना था ?

†**सरदार मजीठिया** : १९५७–५८ में जहां तक लड़कों का सम्बन्ध है, सीनियर डिवीजन में—अफसर ३८५ और सेना छात्र १०,८६७ थे ; जूनियर डिवीजन में—अफसर १७९ और सेना छात्र ५,८८९ थे । जहां तक लड़कियों का सम्बन्ध है, सीनियर डिवीजन में --३९ अफसर और १,१७० सेना छात्र थे; जूनियर डिवीजन में ८१ अफसर और २,४३० छात्र थे । जहां तक १९५८–५९ में वृद्धि का संबंध है, लड़कों के सेक्शन में सीनियर डिवीज़न में १२९ अफसर और लगभग ५,०३३ छात्र थे । जूनियर डिवीजन में १२९ अफसर और ११,२९५ छात्र थे । लड़कियों के सेक्शन में सीनियर डिवीजन में ८ अफसर और ३,२५५ छात्र हैं और जूनियर डिवीजन में ५५ अफसर और ७,३०५ छात्र हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : किस राज्य में इस दृष्टि से सब से अधिक वृद्धि हुई है और किस में सब से कम हुई है ?

†**सरदार मजीठिया** : मुझे खेद है कि मेरे पास अलग-अलग राज्यों के हिसाब से आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इन छात्रों को राइफल ट्रेनिंग और वैमानिक प्रशिक्षण के लिये कोई सुविधा दी जाती है ?

†**सरदार मजीठिया** : जहां तक वैमानिक प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, उसके लिये हम ने फ्लाइंग क्लबों में प्रबन्ध कर लिया है और वहां पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है । जहां तक राइफल ट्रेनिंग का सम्बन्ध है, सीनियर डिवीजन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : कितनी लड़कियों ने विमान सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: फिलहाल लड़कियों को एयरविंग में नहीं लिया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आदिम जातियों में खानाबदोशी कम करने के लिये समिति

+

*१२०६. { **श्री पद्म देव :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री १० दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७९८ के उत्तर के संबंध में एक ऐसा विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी गई हो ;

(क) क्या केन्द्रीय आदिम जाति कल्याण सलाहकार बोर्ड को आदिमजातियों में खानाबदोशी कम करने के साधन और उपाय सुझाने के हेतु नियुक्त की गयी तीन व्यक्तियों की समिति की रिपोर्ट मिल गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट में क्या मुख्य सुझाव दिये गये हैं ; और

(ग) क्या रिपोर्ट की एक प्रति पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) केन्द्रीय आदिम जाति कल्याण सलाहकार बोर्ड ने आदिम जाति के लोगों की खानाबदोशी खत्म करने और इन जातियों के कल्याण के बारे में सुझाव देने के लिये जो उप-समिति बनाई थी उसने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठते ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री पद्म देव : क्या माननीय उपमंत्री महोदया को यह मालूम है कि हर साल हजारों ऐसे आदमी हैं जो अपने घरों को छोड़ कर के, अपने घर बार को अपने कंधों पर उठा कर के दूसरे स्थानों में आ जाते हैं और गर्मियों में फिर वापिस चले जाते हैं ? इस यातायात महकमे की तरह से घूमने वाले, यानी ये जो बेचारे इधर से उधर घूमने वाले हैं, पिछले ग्यारह वर्षों क्या अन्दर क्या इनके लिए कुछ विचार ही नहीं किया जा सका है और जो बोर्ड बना हुआ है वह आज भी इतना लम्बा अर्सा इसके लिए ले रहा है, इसका क्या कारण है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस संबन्ध में तर्क देने की कोई आवश्यकता नहीं । माननीय उपमंत्री ने बता दिया है कि इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त कर दी गयी है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस समिति के सदस्यों के क्या क्या नाम हैं ? उन में से कितने सदस्य स्वयं खानाबदोश हैं ?

†**श्रीमती आल्वा** : सदस्यों के नाम हैं —श्री बी० राघवैया, श्री ए० ए० वी० लुइस और श्री डी० बसुमातारी ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को वह प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : समिति के एक सदस्य श्री लुइस ने यह सिफारिश की है कि आदिम जातियों में कुष्ठ रोग की रोक थाम करने के लिये एक विशेष प्रकार की कार्यवाही की जाये, क्या इस सम्बन्ध में कोई उपयुक्त कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती आल्वा** : श्री लुइस ने इस प्रकार की बात कही है क्योंकि वे स्वयं आदिम जातियों में काम करते रहे हैं। हम समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रिपोर्ट आ जाने पर हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

†**डा० अणे** : क्या कोई ऐसी तिथि निश्चित की गयी है जब तक कि समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जानी चाहिये ?

†**श्रीमती आल्वा** : इस सम्बन्ध में पहले ही बताया जा चुका है कि समिति लगभग तीन मास तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। इस मास तीन मास की अवधि समाप्त हो रही है, अतः आशा है कि शीघ्र ही रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी।

†**श्री सोनावने** : जब तक रिपोर्ट नहीं आती, तब तक इस आदिम जाति की समस्या को हल करने का क्या उपाय किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : लगभग एक मास तक रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी ?

†**श्रीमती आल्वा** : इस सम्बन्ध में काम चलाने के लिये एक केन्द्रीय मंत्रणा समिति और प्रत्येक राज्य के लिये एक एक समिति है। ये विशेष कार्य रिपोर्ट के आने के बाद ही किया जायेगा।

†**श्री सोनावने** : मेरा प्रश्न यह है कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या क्या ठोस कार्यवाही की गयी है ?

†**श्रीमती आल्वा** : हम इसी मास या आगामी मास में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कमिश्नर की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। ये सभी बातें उस रिपोर्ट में होंगी।

श्री पद्म देव : मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि जो समिति बनाई गई है उस में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस को इस बात का ज्ञान हो कि नामैड्स क्या हैं; किस तरह के इनके कष्ट हैं और क्या इनकी समस्यायें हैं; तब आखिर वह निश्चय क्या करेगी उस कम्यूनिटी के सम्बन्ध में।

†**श्रीमती आल्वा** : यह बड़ा कठिन प्रश्न है। यह समिति स्वयं ही खानाबदोश है—इसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है।

दिल्ली प्रशासन

†*१२१२. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार एक गैर-सरकारी व्यक्ति को दिल्ली का प्रशासक नियुक्त करने का विचार कर रही है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : इस समय दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन के जो अध्यक्ष हैं उन का कार्य काल कई बार बढ़ाया जा चुका है। वह कब समाप्त होने वाला है और उन की जगह कब नया व्यक्ति नियुक्त होने वाला है ?

†**श्री दातार** : जब तक वे कार्य कर रहे हैं किसी नये व्यक्ति को लाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

मलयालम विश्व-कोष

+

†*१२१३. { **श्री वारियर :**
श्री कोडियान :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार या साहित्य अकादमी से मलयालम विश्व-कोष का संकलन करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना का अनुमोदन कर दिया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार से जो और व्यौरा मांगा गया था उसकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्री वारियर :** राज्य सरकार ने यह योजना कब दी थी और केन्द्रीय सरकार ने उन से और व्यौरा किस समय मांगा था ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मुझे ३१ जनवरी का लिखा एक पत्र मिला था और यहां से उसका उत्तर ७ फरवरी को भेजा गया था।

मद्रास में तेल की सम्भावनायें

†*१२१६. **श्री सुब्बया अम्बलम् :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १२ फरवरी, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १८५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल मिलने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये जिन पश्चिमी जर्मनी के विशेषज्ञों ने भारत के विभिन्न भागों का दौरा किया था क्या वे मद्रास राज्य के भी किसी क्षेत्र में गये थे ;

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों और क्षेत्रों में गये थे ; और

(ग) वे जिन स्थानों म गये उन के संबंध में उनकी उपमत्तियां क्या हैं और खोज संबंधी प्राथमिकता के बारे में उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां।

(ख) नेवेली और तिरुचिरपल्ली ।

(ग) अपने प्रतिवेदनों में उन्होंने इन क्षेत्रों का संक्षिप्त भूतत्वीय विवरण दिया है और तिरुचिरपल्ली क्षेत्र को उन्होंने "मध्यम तेल संभावनाओं" वाला बताया है ।

†**श्री सुब्बया अम्बलम् :** क्या कुछ भूतत्वीय सर्वेक्षण -दल अब कावेरी डेल्टा की तलहटी में कुछ सर्वेक्षण कार्य कर रही है, और क्या वह इस समिति द्वारा उल्लिखित स्थानों पर भी सर्वेक्षण कार्य करेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के दल इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहे हैं । मेरे लिये यह बताना कठिन है कि ये पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अलावा कुछ और भी कार्य करेंगे या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : इस पट्टी में, अर्थात् दक्षिण अर्काट-तिरुचिरपल्ली पट्टी में कोयम्बटूर कृषि कालेज के प्रिंसिपल श्री रामस्वामी शिवम् ने सर्वेक्षण का एक प्रतिवेदन दिया था। क्या दल द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के साथ-साथ इस प्रतिवेदन पर भी विचार किया जा रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय**: जी हां, हम पिछले और मौजूदा सभी सर्वेक्षणों पर विचार कर रहे हैं और आगे और भी गहन सर्वेक्षण के लिये तैयार होते ही हम निश्चय ही वहां जाकर इस क्षेत्र में तेल मिलने की और भी संभावनाओं का पता लगायेंगे। लेकिन अभी मैं इतना ही कह सकता हूं कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कुछ जांच कर रहा है।

सिक्खों के इतिहास सम्बन्धी प्रलेख

†*१२१८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने लाहौर के अभिलेखागार का सिक्खों के इतिहास संबंधी, विशेष रूप से विभाजन से पूर्व के काल के, ऐतिहासिक प्रलेख प्राप्त कर लिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्राचीन ऐतिहासिक प्रलेखों को किस स्थान पर रखा जा रहा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

कोयले का उत्पादन

†*१२२०. **श्री तंगामणि** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** १० दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कुल कितने कोयले का उत्पादन हुआ ;

(ख) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र का उत्पादन कितना-कितना था ; और

(ग) १९५९ का लक्ष्य कितना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) ४५३·४० लाख टन।

(ख) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में क्रमशः ५७·९३ और ३९५·४७ लाख टन।

(ग) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिये औपचारिक रूप से तो कोई वार्षिक लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया है, लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि १९५९ के अंत तक इतना उत्पादन होने लगेगा :—

गैर-सरकारी क्षेत्र में	४१०·० लाख टन।
सरकारी क्षेत्र में	८०·० लाख टन।

†**श्री तंगामणि** : १०-१२-१९५८ को एक प्रश्न के उत्तर में हमें बताया गया था कि पहले १० महीनों में गैर-सरकारी क्षेत्र का उत्पादन ३२७.३ लाख टन था। मैं जानना चाहता हूं कि १९५९ की इतनी ही अवधि में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों का कितना कितना उत्पादन होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: मैंने पूरे वर्ष के लिये अनुमान बता दिया है। १० महीनों के लिये इसका अनुपात निकाला जा सकता है। लेकिन वास्तव में यह अनुपात लगाना ठीक नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : क्या द्वितीय योजना के लिये निर्धारित किया गया लक्ष्य —सरकारी क्षेत्र के लिये १५० लाख टन और गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये ४५० लाख टन—द्वितीय योजना के अन्त तक पूरा हो जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण** सिंह : उम्मीद तो है।

आयात लाइसेंस

†*१२३०. **श्री मुरारका : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५५ से जून, १९५७ की अवधि में निम्न फर्मों को उनके सामने दी गयी राशियों के आयात लाइसेंस किस आधार पर दिये गये थे :—

१. मेसर्स अमीन चन्द प्यारेलाल	. लगभग १० करोड़ रुपये
२. मेसर्स महीन्द्र एण्ड महीन्द्र	. लगभग ३० करोड़ रुपये
३. मेसर्स खेमचन्द राजकुमार	. लगभग २५ करोड़ रुपये
४. मेसर्स बी० आर० हर्मन एण्ड मोहत्ता	. लगभग ३३ करोड़ रुपये
५. मेसर्स भारत ओवरसीज़ लिमिटेड .	. लगभग २० करोड़ रुपये
६. मेसर्स खण्डेलवाल ब्रदर्स लिमिटेड	. लगभग १४ करोड़ रुपये;

(ख) क्या उपर्युक्त लाइसेंस मुख्य रूप से इस्पात की वस्तुओं के आयात के लिये ही थे ;

(ग) क्या ये फर्में पहले भी नियमित रूप से इन्हीं वस्तुओं का आयात करती आ रही थीं;

(घ) वह जो माल आयात करती थीं क्या उसके वितरण पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया था; और

(ङ) क्या सरकार उनके आयात के संबंध में कुछ भी राज सहायता प्रदान करती थी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जनवरी, १९५५ से जून, १९५७ तक इस्पात के लाइसेंस बड़ी उदारतापूर्वक दिये जाते थे। संबंधित फर्में अपने हिसाब में ही बड़ी मात्रा में इस्पात का आयात करती हैं। वे इस इस्पात को वास्तविक आयात-मूल्य पर बेचने के लिये भी स्वतंत्र थीं। इसके अलावा इस्पात नियंत्रण विभाग सरकार के हिसाब में भी बड़ी मात्रा में इस्पात खरीदता था। ऐसी खरीद टेंडरों की मार्फत की जाती थी। ये फर्में भी सफल टेंडर दिया करती थीं। इन फर्मों को अपने हिसाब में मंगाये जाने वाले और उनकी मार्फत् सरकार द्वारा खरीदे गये इस्पात के बारे में आयात लाइसेंस दिये गये थे।

(ख) और (ग). जी हां।

(घ) जी हां। इस्पात नियंत्रक के खरीदने पर इन फर्मों ने जिस इस्पात का संभरण किया था उसका लोहा तथा इस्पात नियंत्रक की हिदायतों के अनुसार विभिन्न प्रयोक्ताओं में वितरण कर दिया जायगा।

---

† मूल अंग्रेजी में

ये फर्में अपने हिसाब में जिस इस्पात का आयात करती थीं उसको अन्य आयात की हुई वस्तुओं की तरह ही अपनी पसन्द के खरीदारों को बेचने के लिये ७ मई, १९५७ तक स्वतंत्र थीं। केवल इतना ही प्रतिबन्ध था कि वह इसका आयात-मूल्य और निश्चित दर से मुनाफा ही ले सकती थीं लेकिन ७ मई, १९५७ से जो भी इस्पात आने वाला था या व्यापारियों के स्टाक में था उसके वितरण पर रोक लगा दी गयी और उसके संबंध में इस्पात नियंत्रक ने यह हिदायत दी कि उसका वितरण महत्वपूर्ण प्रयोक्ताओं में ही किया जाय। यह इसलिये किया गया क्योंकि विदेशी मुद्राओं संबंधी कठिनाइयों की वजह से किसी भी आयात कर्ता को अपने हिसाब में हल्के इस्पात के आयात की अनुमति नहीं दी जाती थी।

(ङ) जी हां, लोहा और इस्पात नियंत्रक की खरीद पर जिस इस्पात का संभरण किया जाता है उसे भारतीय नियंत्रित भाव पर उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। यह भाव वास्तव में आयात-भाव से कम है। आयात करने वाली फर्म शुरू में विदेशी संभरण-कर्ता और इस्पात की कीमत अदा कर देती है। उपभोक्ता से वह भारतीय नियंत्रित भाव लेती है और जो अन्तर होता है वह लोहा और इस्पात नियंत्रक से वसूल कर लेती हैं। यह अन्तर ही राजसहायता है।

फर्मों द्वारा अपने हिसाब में मंगाये गये इस्पात के संबंध में कोई भी राज सहायता नहीं दी जानी थी। फिर भी, कुछ ऐसे मामलों में जिन में प्राथमिकता संबंधी मांगों को पूरा करना था, आयात-कर्ता द्वारा अपने हिसाब में से मंगाये इस्पात में से थोड़ा सा इस्पात लेकर भारतीय नियंत्रित भाव पर उपभोक्ताओं को दे दिया जाता था।

†**श्री मुरारका** : क्या राज सहायता देते समय सरकार ने इस बात की जांच कर ली थी कि ये लोग जो कीमत लेते हैं वह वास्तव में आयात-मूल्य के बराबर होती है या आयात-कर्ताओं द्वारा बढ़ा चढ़ा कर ली जाती है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: यह पूरी राज सहायता टेंडर के फलस्वरूप मंगाये गये कुल परिमाण के आधार पर दी जाती थी और इसका हिसाब टेंडर में दिये गये भाव के आधार पर लगाया जाता था। जहां तक उन के अपने हिसाब में किये गये आयात का प्रश्न था, इस में प्रत्येक किस्म के बहुत थोड़े, कुछ हज़ार टन, इस्पात का आयात किया जाता था : और इनके संबंध में भी संबंधित कागज़ात देख कर इस बात की जांच कर दी जाती थी कि कितनी राज सहायता देनी पड़ेगी।

†**श्री मुरारका** : इस फर्म को कुल कितनी राजसहायता दी गयी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे पास इसके आंकड़े नहीं है। इसके लिये पृथक प्रश्न पूछा जाना चाहिये क्योंकि इस में काफी बड़ा विवरण तैयार करना पड़ेगा।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच नहीं है कि इन को आयात के लिये वास्तव में जो लाइसेंस दिये गये वह उस परिमाण से अधिक के बारे में थे जो यहां दिखाई गयी है, और कुल संख्या उपलब्ध नहीं है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कुल संख्या उपलब्ध है। माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में कुछ प्रश्न दे रखे हैं और यदि अब वे यह कहते हों कि यह संख्या वास्तव में इस से अधिक होनी चाहिये तो मैं इस की दुबारा जांच कर सकता हूं।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका** : मैं यह कहता हूं कि ये आंकड़े केवल उन लाइसेंसों के बारे में हैं जब कि एक ही लाइसेंस १० लाख रुपयों से अधिक का है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री रंगा** : इन फर्मों ने जिस इस्पात का आयात कर सरकार को संभरण किया, जिस के लिये उनको राज सहायता भी दी गयी थी । उसमें से कितना अंश उन के अपने हिसाब में खरीदा गया था ? साथ ही, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आयात-मूल्य स्थानीय भावों से अधिक था, सरकार से राज सहायता प्राप्त किये बिना वे इस कमी को पूरा कैसे कर पाये ? क्या यह इस वजह से हुआ कि वह उसे बाज़ार में और भी ऊंचे भाव पर बेच कर अच्छा मुनाफ़ा कमाने में सफल हो गये थे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं माननीय सदस्य को यह स्मरण दिला दूं कि १९५५---५७ की अवधि संभरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत रूप से आसानी की थी और भाव भी उतने चढ़े नहीं थे क्योंकि काफी मात्रा में आयात कर लिया गया जहां तक लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा स्वीकृत टेंडरों पर खरीदे गये परिमाण का संबंध है, उसके लिये राज सहायता दे दी गयी थी । जहां तक उन के अपने हिसाब में आयात किये गये अन्य परिमाणों का प्रश्न है, आमतौर पर आयात मूल्य पर कुछ मुनाफा लेकर उसकी कीमत वसूल की गयी थी । और उस समय इस आशय की कोई शिकायत नहीं आयी थी कि वे ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं ।

†**श्री वें० प० नायर** : उनके अपने हिसाब में किये गये आयात का आयात-मूल्य टेंडरों में किये गये भावों की तुलना में कैसा बैठता था, और इस प्रकार आयात किया गया कितना इस्पात राज्यों की परियोजनाओं को दिया गया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जहां तक राज्यों की परियोजनाओं का प्रश्न है, मैं बता चुका हूं कि उस अवधि में कुछ भी कमी नहीं थी और प्रायः उनकी सम्पूर्ण मांगें पूरी कर दी गयी थीं और उन्हें जो संभरण किया गया वह भारतीय मूल्य पर हुआ क्योंकि उनकी मांगों को आमतौर पर लोहा और इस्पात नियंत्रक ने अपने टेंडरों में शामिल कर लिया था । ऐसे मामले बहुत कम हुए जिनमें इन आयात करने वालों द्वारा आयात किये गये इस्पात को अपने लिये लेने की आवश्यकता पड़ी हो । गैर-सरकारी हिसाब में किया गया आयात आमतौर पर गैर-सरकारी उद्योगों में गया ।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं यह जानना चाहता था कि इन का मूल्य टेंडर में दिये गये मूल्यों की तुलना में कैसे बैठता था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** प्रायः उतना ही । अन्तर बहुत अधिक नहीं था ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या बड़े आयातकर्ताओं के दावों के मुकाबले छोटे आयातकर्ताओं के प्रति , जो जनसाधारण की आवश्यकतायें पूरी करते हैं, सरकार का व्यवहार उदारतापूर्ण था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे ख्याल से हमें इसके बारे में दावों या अधिकारों के रूप में नहीं सोचना चाहिये क्योंकि हमारा कुल वैदेशिक व्यापार सैंकड़ों करोड़ों रुपये का है और विभिन्न वस्तुओं के आयात करने वाले ही सामान देश में लाते हैं और उसे विभिन्न वितरकों में बांटते हैं । मैं नहीं समझता कि किसी के दावे या अधिकार के रूप में इस मसले पर विचार करना उचित होगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रीरामनाथन् चेट्टियार** : इन फर्मों को दी गयी सरकारी राज-सहायता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने इस बात की जांच की थी कि इस्पात का ठीक-ठीक आयात-मूल्य कितना था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे ख्याल से माननीय सदस्य मेरी बात का अनिवार्य अंश समझ नहीं पाये हैं। यह भाव वही था जो टेंडर के फलस्वरूप निश्चित हुआ था। इसलिये हमें ठीक-ठीक यह पता है कि इसका आयात किस मूल्य पर किया गया है, और अधिकतर इसके संबंध में ही राज सहायता दी गयी थी। वास्तविक मूल्य के संबंध में इतनी जबर्दस्त निगरानी होती है, जिन के फलस्वरूप मुझे मानना पड़ेगा कि थोड़ी बदमज़गी भी पैदा हो गयी है क्योंकि लेखापरीक्षा तथा वित्त विभाग द्वारा की जाने वाली सख्त निगरानी के फलस्वरूप अभी तक राज सहायता संबंधी बहुत से मिलों का भुगतान नहीं हो पाया है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : कुल कितनी राज-सहायता दी गयी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं कह चुका हूं कि इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

डिस्टिलरी का बचा-खुचा माल

†*११९१. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के अधीन काम करने वाली विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, गवेषणाओं संस्थाओं में जो गवेषणा की गई है उससे डिस्टिलरी के बचे-खुचे माल का भी उपयोग किया जा सकेगा ; और

(ख) इसका व्यौरा किस प्रकार का है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबीर)** : (क) केन्द्रीय औषधि गवेषणां संस्था, लखनऊ ने डिस्टिरलरी के मेल से प्रयोगशाला के स्तर पर एक खाने वाला खमीरे का हाइड्रोलिसेट पाउडर तैयार किया है जिस में एमिनो एसिड तथा बी कम्प्लेक्स ग्रुप के विटा-मिन काफी मात्रा में होते हैं।

(ख) इसका उपयोग पौष्टिक आहार की कमी को पूरा करने में किया जा सकेगा जिसका निर्माण मैल को धोने और सेलों को उपयुक्त एन्ज़ाइम के साथ आटोक्लेव और डाइजेस्ट कर के तथा वैकुअम ड्रायर में सुपर सेंट्रीफ्यूज करके और सुखा कर किया जायेगा।

नगर तथा ग्राम आयोजना का स्कूल

†*११९५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २ दिस-म्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के नगर तथा ग्राम आयोजना द्वारा किये गये डिप्लोमा को मान्यता देने के प्रश्न की क्या स्थिति है ?

---

† मल अंग्रेज़ी में

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबीर) : टेक्निकल और व्यावसायिक योग्यता का पता लगाने वाले बोर्ड द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने इस मामले की जांच करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। प्रतिवेदन पर बोर्ड द्वारा उसकी अगली बैठक में विचार किया जायेगा जिस के ६ अप्रैल, १९५९ को होने की आशा है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के पास उत्तर प्रदेश की जमींदारी बाण्ड

*११९७. { श्री खुशवक्त राय :
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के पास उत्तर प्रदेश के कितने जमींदारी उन्मूलन बाण्ड हैं ;

(ख) ये बांड कब खरीदे गये थे ;

(ग) ये किस मूल्य पर खरीदे गये थे ; और

(घ) जब बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने इन्हें खरीदा था उस समय कलकत्ता, लखनऊ और वाराणसी में इन बांड्स का बाजार भाव क्या था ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) १६,७५,००० रुपये के अंकित मूल्य के २४० बांड।

(ख) और (ग). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २]।

(घ) अलग-अलग तारीखों को कलकत्ता में बांडों के जो बाजार भाव थे वे उपर्युक्त विवरण में दिये गये हैं। ये कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा जारी किये गये बाजार-समाचार के अनुरूप हैं। लखनऊ या वाराणसी में कोई मान्यता प्राप्त स्टाक बाजार नहीं है ; अतः वहां के उस समय के अधिकृत बाज़ार भावों की सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारत की वनस्पति तथा पशु-पक्षी

†*१२०४. श्री वें० प० नायर : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की वनस्पति तथा पशु-पक्षियों का विशेष विवरण तैयार करने के बारे में क्या कोई प्रगति की गई है ; और

(ख) इस विषय में जो कार्य आरम्भ किया गया है उसका व्योरा क्या है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबीर) : (क) और (ख). मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३]

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित छात्रों को पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा दी गई रियायत

†*१२०६. **श्री वाजपेयी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब विश्वविद्यालय ने विस्थापित छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अब प्राइवेट न बैठने देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में पंजाब विश्वविद्यालय से कोई सिफारिश की है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) पंजाब विश्वविद्यालय इस पर सहमत नहीं हुआ।

इस्पात सन्यन्त्र

†*१२०७. **सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बरोने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला और भिलाई दोनों ही इस्पात संयंत्रों का प्रबन्ध हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड करता है ;

(ख) क्या दोनों इस्पात संयंत्रों में विभिन्न श्रेणियों के पदों अर्थात् लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क और अन्य अनुसचिवीय तथा टेक्निकल पर काम करने वाले व्यक्तियों के वेतन क्रमों में कोई अन्तर है ; और

(ग) यदि हां, तो इन दोनों इस्पात संयंत्रों में विभिन्न श्रेणियों के पदों के वेतन क्रम समान करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**इस्पात खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) इस्पात परियोजनाओं में इस समय लोअर तथा अपर डिवीजन क्लर्कों के चालू वेतन क्रमों म कोई अन्तर नहीं है। दोनों परियोजनाओं में सामान्यतः अन्य अनुसचिवीय तथा टेक्निकल पदों के वेतन क्रम भी समान हैं। कुछ पदों में थोड़ा बहुत अन्तर है।

(ग) नये पदों के समान वेतन क्रम रखने की मंजूरी दी जा रही है। बहुत से विद्यमान पदों के बारे में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा अपने प्रबन्धकत्व में तीनों इस्पात परियोजनाओं में समान वेतन क्रम रखने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

मध्य प्रदेश में तेल सर्वेक्षण

†*१२१०. **श्री पांगरकर** : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में तेल की खोज करने के बारे में एक सर्वेक्षण कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ; और

---

† मूल अंग्रेजी में

(ग) अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

नव-साक्षरों के लिये साहित्य

†*१२११. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने यूनेस्को के सहयोग से नवसाक्षरों के लिये उच्च-कोटि का और एक निश्चित स्तर का साहित्य तैयार करने के लिये प्रोत्साहन देने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत सरकार के सहयोग से यूनेस्को ने नव-साक्षरों के लिये १-१-१९५७ से ३१-१२-१९५८ तक अन्तर्राष्ट्रीय विषयक ज्ञान, सरल विज्ञान, आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी अथवा सरल प्राचीन ग्रंथ के प्रकाशित अनुवादों पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के प्रत्येक भारतीय लेखक को ४८० डालर (लगभग २,२८० रुपये) के १० पुरस्कार देने का निश्चय किया है । इन दस पुरस्कारों में से चार हिन्दी, तीन तामिल, दो बंगला और एक उर्दू की पुस्तक के लिये होंगे । नकद पुरस्कार के साथ-साथ भारत सरकार प्रत्येक पुरस्कार प्राप्त पुस्तक की १५०० प्रतियां राष्ट्रीय विकास सेवा तथा सामुदायिक विकास खंडों में निःशुल्क वितरण के लिये खरीदेगी । मंत्रालय में पुस्तकों की प्रविष्टि के लिये प्राप्ति की अन्तिम तारीख ३०-४-१९५९ है जिनके परिणाम २ अक्तूबर, १९५९ तक घोषित किये जाने की आशा है । प्रविष्टि के नियम तथा पुस्तकें प्रस्तुत करने के बारे में निदेश मंत्रालय से निवेदन करने पर निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं ।

मनीपुर में तांबा और गिलट

†*१२१४. { **श्री ले० अचौ० सिंह** :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** ५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा की गई विस्तृत जांच-पड़ताल से इस बात का पता चला है कि मनीपुर के नेगाऊ, कोंगल थाना और निंगथी में तांबे और गिलट के निक्षेप हैं उसको आर्थिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : नुनगाऊ और कोंगल थाना में प्रारम्भिक जांच-पड़ताल के सिलसिले में जो नमूने एकत्र किये गये उनके परिणामों से पता चला है कि तांबे को निकालने में अधिक लाभ होगा और गिलट में कम । निंगथी क्षेत्र में जो नमूना एकत्र किया गया है उसमें न तो गिलट ही काफी मात्रा में पाया जाता है और तांबा ही । प्रदेश की एक प्रणालीबद्ध तरीके

---

†मूल अंग्रेजी में

से और खोज करने की आवश्यकता है तथा इन क्षेत्रों में तांबा और जस्ता आर्थिक रूप से निकाला जा सकेगा यह अभी नहीं कहा जा सकता ।

अंधे बच्चों के लिये आदर्श स्कूल

†*१२१५. **श्री सिद्दनंजप्पा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अंधे बच्चों के लिये एक आदर्श स्कूल स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वह कब और कहां पर स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) इसमें कितना व्यय होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० श्रीमाली)** : (क) और (ख). अंधे बच्चों के लिये ४ जनवरी, १९५९ को देहरादून में एक आदर्श स्कूल स्थापित किया गया था ।

(ग) द्वितीय योजना काल में लगभग ४ लाख रुपये ।

ज्वालामुखी तथा कैम्बे में छिद्रण कार्य

†*१२१७. **श्री गोरे** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज्वालामुखी और कैम्बे में छिद्रण-कार्य की औसत गति क्या है ; और

(ख) आसाम तेल कम्पनी द्वारा नाहरकटिया क्षेत्र में जो छिद्रण कार्य किया गया उसकी तुलना में इस कार्य की गति कैसी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) ज्वालामुखी और कैम्बे में प्रति दिन छिद्रण कार्य क्रमशः १० और २५ मीटर के औसत से किया जा रहा है।

(ख) नाहरकटिया प्रदेश में इस समय जो छिद्रण कार्य किया जा रहा है उसकी गति ज्वालामुखी और कैम्बे के हमारे परीक्षण कुओं की तुलना में कहीं अधिक है । उनकी कोई तुलना भी इसलिये नहीं की जा सकती कि भूमि के स्तर और छिद्रण की स्थिति समान नहीं है ।

दिल्ली के होटलों में नृत्य

†*१२१९. **राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के होटलों में नृत्य हुआ करते हैं और दैनिक समाचार-पत्रों में इसके बारे में विज्ञापन प्रकाशित हुआ करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उन्हें बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने के बारे में सरकार को अधिकार देने के लिये कोई कानून नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शाहदरा का कुष्ठ गृह

†*१२२१. { श्री आसर :
श्री वाजपेयी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहदरा कुष्ट गृह में १९ फरवरी १९५९ को आग लगा दी गई थी और कुछ कुष्ट रोगियों को गुंडों ने बहुत मारा था ;

(ख) यदि हां, तो घटना का व्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस घटना के बारे में कोई जांच की थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**) : (क) और (ख). बताया जाता है कि १९ फरवरी १९५९ को ताहिरपुर, शाहदरा कुष्ट गृह के कुछ रहने वालों तथा बेला रोड बस्ती के कुछ कुष्ट रोगियों के बीच झगड़ा हो गया था जो शाहदरा कुष्ट गृह में रहन वाले एक व्यक्ति द्वारा एक महिला का अपमान किए जाने के बारे में वहां पंचायत करने गये थे। इसका परिणाम यह निकला कि तीन झोपड़ों में आग लगा दी गई जो जल गये और लगभग दस लोगों के मामूली चोटें आईं। पुलिस बुलाई गई थी जिसकी सहायता से शांति स्थापित की जा सकी। तब से गृह में पुलिस का एक रक्षक तैनात कर दिया गया है।

(ग) और (घ). पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दिल्ली में स्कूलों की वार्षिक परीक्षायें

†*१२२२. **चौ० ब्रह्म प्रकाश** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूलों की वार्षिक परीक्षायें मार्च के बदले अप्रैल, १९५९ के मध्य से होंगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) अभी तक वार्षिक परीक्षायें मार्च में हुआ करती थीं अगली कक्षा का और नया शिक्षा संबंधी सत्र १ अप्रैल से आरम्भ हुआ करता था। परीक्षाओं की तारीखों में निम्न कारणों से परिवर्तन कर दिया गया है :—

(१) दिल्ली प्रशासन को वार्षिक परीक्षाओं और अगला सत्र आरम्भ करने के बीच इतना समय नहीं मिल पाता कि वह नये स्कूलों का प्रबन्ध कर सके और अथवा विद्यमान स्कूलों का विकास कर सके तथा उसके लिये आवश्यक अध्यापकों की

†मूल अंग्रेजी में

व्यवस्था तथा अन्य सामान आदि का प्रबन्ध कर सके। इसका परिणाम यह निकला कि नये स्कूलों में न तो पर्याप्त संख्या में अध्यापक ही हो पाते थे और न सामान की व्यवस्था ही हो पाती थी। यह तभी हो सकता था जबकि स्कूल जूलाई में खुलें।

(२) छात्रों को नई कक्षाओं के लिये पुस्तकों एवं अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने के लिये पर्याप्त समय नहीं मिलता था। कभी-कभी तो अप्रैल तक बाजारों में किताबें भी नहीं मिल पाती थीं।

(३) अक्तूबर से जनवरी तक पढ़ाई के साथ चलने वाले तमाम कायक्रमों के कारण छात्रों को गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने और मार्च में वार्षिक परीक्षा देने के लिय तैयारी करने के लिय पर्याप्त समय नहीं मिल पाता।

(४) वार्षिक परीक्षा होन के बाद ही एकदम नई कक्षा में जाने पर छात्रों का गंभीरतापूर्वक पढ़ाई करने में घ्यान नहीं लगता।

(५) आस-पास के राज्यों में सामान्यतः यह वर्ष १५ जुलाई से आरम्भ होता है तथा इस समय दिल्ली में जो व्यवस्था है उससे दिल्ली आने और यहां से बाहर जाने वाले छात्रों को कठिनाई होती थी।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये आचरण नियम

†*१२२३. { **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री स० म० बनर्जी :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १९ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अधीन औद्योगिक कर्मचारियों के लिये आचरण नियमों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो नियमों का विस्तृत व्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) कुछ विशिष्ट वर्गों के कर्मचारियों पर लागू होने के लिये केन्द्रीय असैनिक सेवायें (आचरण) नियमों में संशोधन किया गया है।

(ख) संशोधित केन्द्रीय असैनिक सेवायें (आचरण) नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४-५]**.

केन्द्रीय शिक्षा संस्था

†*१२२४. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री कोडियान :
श्री सिद्धनंजप्पा : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा संस्था, दिल्ली को शिक्षा गवेषणा के लिये राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में मान्यता देने के लिये सरकार का एक प्रस्ताव है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और यह किस प्रक्रम पर है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) विषय अभी विचाराधीन है ।

सैनिकों के बच्चों को शिक्षा

*१२२५. { श्री भक्त दर्शन :
श्री डी० वं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के बच्चों के लिये अधिक शिक्षा सुविधायें देने की जिस योजना पर विचार किया जा रहा था, क्या इस बीच उसके बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस स्वीकृत योजना का स्वरूप क्या है ; और

(ग) वह कब से चालू की जायेगी ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) सैनिक आफिसरों के बच्चों के लिये एक अंशदान योजना बनाई गई है जिसके ब्यौरों की अन्तिम रूप-रेखा तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने अभी-अभी तैयार की है। उन ब्यौरों का सरकार निरीक्षण कर रही है। अवर श्रेणी सैनिकों के बच्चों से संबंधित एक योजना तीनों सेनाओं द्वारा विचाराधीन है।

(ख) और (ग). यह प्रश्न इस समय नहीं उठते ।

सरकारी भवनों के लिये इस्पात

*१२२६. श्री वॅ० प० नायर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा निर्माण कार्यक्रम के लिये अपेक्षित इस्पात अब किस प्रकार खरीदा जाता है ; और

(ख) इस आवश्यकता का कितने प्रतिशत देशी संसाधनों से पूरा किया गया और १९५७-५८ में कितना आयात किया गया ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). सरकार के निर्माण कार्यक्रम के लिये इस्पात कोटा सर्टिफिकेट पर नियंत्रित दरों पर दिया जाता है। इस इस्पात का कुछ भाग देशी उत्पादन में से दिया जाता है और बाकी आयात किये गये इस्पात से। हाल तक, वर्गों के अनुसार मांग नहीं आ रही थी और आदेशकर्ता उनको दिये गये कुल टन भार में से किसी भी प्रकार का इस्पात मांग सकते थे । आयात किये गये इस्पात में से सरकारी निर्माण कार्यक्रमों को दी गयी इस्पात की मात्रा के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण भारत में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

†*१२२७. श्री बी० च० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार दक्षिण भारत में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) इस काम को इस समय न करने का निर्णय किया गया है ।

त्रिपुरा परिषद्

*१२२८. श्री पद्म देव : क्या गृह-कार्य मंत्री १० दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा परिषद् द्वारा की गयी यह प्रार्थना कि उनके लिये अधिक अच्छे स्थान की व्यवस्था की जाये, इस बीच पूरी की जा चुकी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). त्रिपुरा टेरीटोरियल कौंसिल को सलाह दी गई है कि वह अपनी जरूरत के मुताबिक एक नई इमारत बनाने के बारे में ठोस सुझाव तैयार करे ।

मेंगनीज और काला सीसा[1]

†*१२२९. श्री पांगरकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हाल ही में उड़ीसा राज्य में मेंगनीज अयस्क और काले सीसे के निक्षेपों का भारी मात्रा में पता लगाया गया है; और

(ख) उपरोक्त खनिजों को निकालने के लिये सरकार द्वारा और क्या कार्यवाही की गयी है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) उड़ीसा राज्य के खान निदेशालय के पूर्वेक्षण विभाग ने बताया है कि कोरापुट और कालाहांडी जिले में लगभग ३० लाख टन मेंगनीज के निक्षेप होने की सम्भावना है । तथापि विस्तृत पूर्वेक्षण द्वारा निक्षेप अभी तक सिद्ध नहीं हो सके हैं । इस सर्वेक्षण में किसी काले सीसे का पता नहीं लगा है ।

(ख) निकालने के बारे में और कार्यवाही तभी की जा सकती है जब विस्तृत पूर्वेक्षण द्वारा निक्षेप सिद्ध हो जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Graphite.

केरल में लौह अयस्क निक्षेप

†*१२३१. { श्री वारियर :
श्री कोडियान :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य के कुछ भागों में लौह-अयस्क विद्यमान होने का सुझाव देते हुए केरल सरकार से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस जारी किये गये हैं; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पब्लिक स्कूलों में भारत सरकार की योग्यता छात्रवृत्तियां

†*१२३२. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पब्लिक स्कूलों में योग्यता छात्रवृत्ति योजना को जारी रखने का फैसला किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अधीन १९५९–६० में कितनी छात्रवृत्तियां दी जायेंगी ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग ६० छात्रवृत्तियां ।

इंजीनियरिंग शिक्षा का तदर्थ बोर्ड, उत्तर प्रदेश

*१२३३. श्री भक्त दर्शन : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग शिक्षा के तदर्थ बोर्ड द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को मान्यता प्रदान करने का जो प्रश्न विचाराधीन था, क्या इस बीच उसके बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको मान्यता दे दी गयी है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नाकारात्मक हो, तो इस बारे में इतनी देर होने का क्या कारण है; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) से (घ). उत्तर प्रदेश के 'एडहाक' इंजीनियरी शिक्षा बोर्ड के डिप्लोमा और सार्टिफिकेटों को मान्यता देने का सवाल केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये जांच-बोर्ड को जांच करने और सिफारिशें करने के लिये सौंप दिया गया है। इस बारे में जांच-बोर्ड की सफारिशें मिल जाने पर ही सरकार इन डिप्लोमा और सार्टिफिकेटों को मान्यता दे सकेगी। बोर्ड की बैठक अप्रैल, १९५९ के शुरू में होने की उम्मीद है।

दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम के बीच सहयोग

†*१२३४. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि जन सम्पर्क समिति के सभापति, श्री गोपी नाथ अमन ने हाल ही में कहा है कि दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम के बीच कोई सहयोग नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने श्री अमन द्वारा की गयी शिकायत की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) से (ग). सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में छपे इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया था कि जन सम्पर्क समिति, दिल्ली, के सभापति श्री गोपी नाथ अमन, ने कहा है कि दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम के बीच अपेक्षित सहयोग में कमी है। इस विषय पर ध्यान दिया गया और आशा है कि जो भी गलतफहमी थी वह अब दूर हो गयी है और भविष्य में समिति का कार्य संवादिता और समझ-बूझ के वातावरण में हो सकेगा। इस विषय में कोई और कार्यवाही नहीं की गयी है।

टेपिओका मकरोनी[1]

†*१२३५. { **श्री बी० चं० शर्मा** :
श्री रा० स० तिवारी :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि टेपिओका मकरोनी के बनाने में और क्या प्रगति हुई है और देश में चावल खाने वाले व्यक्तियों को यह किस हद तक दिया जाना सम्भव हो सकेगा ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : केरल में एक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसकी उत्पादन-क्षमता २० टन टेपिओका मकरोनी प्रति दिन होगी। परियोजना के विभिन्न टेक्निकल और अन्य पहलुओं का अध्ययन करने और इस संयंत्र को स्थापित करने के लिये सार्थों से प्राप्त प्राक्कलनों की जांच-पड़ताल करने के लिये एक टेक्निकल समिति बनाई गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Tapioca Macroni.

केन्द्रीय आपात सहायता संगठन

†१८६६. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में केन्द्रीय आपात सहायता संगठन द्वारा क्या काम किया गया ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : केवल एक केन्द्रीय आपात सहायता संगठन है। १९५८–५९ में इसने विभिन्न आपात सहायता सेवाओं के लिये अपेक्षित व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया। १ मार्च, १९५९ तक केन्द्रीय आपात सहायता संगठन के अधीन नागपुर में चल रही केन्द्रीय आपात सहायता प्रशिक्षण संस्था में २७२ व्यक्तियों को (जिनमें आठ स्त्रियां थीं) प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय संगठन ने राज्य सरकारों और संघ-राज्य क्षेत्रों को भी सामूहिक सहायता योजनायें बनाने में सहायता दी।

बम्बई में होम गार्डस की तरह दिल्ली में भी एक स्वेच्छा संगठन स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है। जिन राज्यों में ऐसे संगठन नहीं हैं, उनको भी ऐसा करने का परामर्श दिया गया है।

बेसिक स्कूल

†१८६७. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में अब तक (राज्य-वार) कितने बेसिक स्कूल खोले गये और कितने प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित किया गया ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६]

पंजाब में बेसिक स्कूल

†१८६८. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १९५८–५९ में (जिले-वार) कितने नये बेसिक स्कूल खोले गये; और

(ख) पंजाब में उपरोक्त कालावधि में (जिले-वार) कितने प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित किया गया ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). जी, कोई नहीं।

पंजाब और राजस्थान में पाकिस्तानी

†१८६९. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री डी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अब तक कितने पाकिस्तानियों ने बिना वीसा और यात्रा सम्बन्धी वैध कागज़ात के बिना पंजाब और राजस्थान में प्रवेश किया; और

(ख) उन में से कितने गिरफ्तार किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जावेगी।

पुस्तकाध्यक्षों के प्रशिक्षण के लिये संस्था

†१८७०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री १६ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पुस्तकाध्यक्षों के प्रशिक्षण के लिये संस्था स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : विवरण संलग्न है :

विवरण

योजना के अनुसार 'सार्वजनिक पुस्तकालयों और राष्ट्रीय विकास' पर पहला नया पाठ्य-क्रम २ मार्च, १९५९ को आरम्भ हो गया है। यह तीन महीने तक चलेगा। राज्य सरकारों द्वारा इस पाठ्य-क्रम के लिये बारह प्रशिक्षार्थी भेजे गये हैं। पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा का नियमित पाठ्यक्रम जुलाई, १९५९ से आरम्भ होगा। शिक्षाओं और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये व्यवस्था की गयी है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही चुनाव किया जा रहा है। संस्था दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय के एक भाग में स्थापित की गयी है। संस्था का उचित रूप से संचालन करने के लिये विश्वविद्यालय ने एक मंत्रणा समिति बनाई है जिसके सभापति उप-कुलपति हैं।

खेल-कूद

†१८७१. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दलजीत सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में विभिन्न भारतीय खेल-कूदों में सुधार करने के लिये अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गयी है;

(ख) इस कार्य पर १९५९-६० में कुल कितना धन खर्च किया जायेगा ; और

(ग) खेलों को लोक-प्रिय बनाने के लिये १९५९-६० में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) देश में खेलों में वृद्धि करने के लिये भारत सरकार द्वारा १९५७-५८ और १९५८-५९ में निम्नलिखित खर्च किया गया है :

१९५७-५८	९,७१,८५७·३७ रुपये
१९५८-५९ (अब तक)	८,८०,५८१·४१ रुपये

(ख) २५·७५ लाख रुपये।

(ग) खेल-कूद को लोक-प्रिय बनाने के लिये भारत सरकार ने, कोचिंग कैम्पों का संगठन, क्रीडांगण और अतिथि-ग्रहों का निर्माण, राष्ट्रीय खेल फेडरेशन एसोसियेशन के लिये वैतनिक सचिवों

†मूल अंग्रेजी में

की नियुक्ति, राष्ट्रीय खेल फेडरेशन/एसोसियेशन/विशेषित खेल संगठनों को खेल का सामान खरीदने, अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने के लिये अनुदान जैसी योजनायें बनायी हैं। नीति की भावी रूप-रेखा मुख्यत: खेल-कूद सम्बन्धी तदर्थ जांच समिति की सिफारिशों, जिनकी अब जांच हो रही है, और पुनर्गठित अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् के परामर्श पर निर्भर करेगी।

पंजाब में खेल

†१८७२. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब सरकार को खेलों का विकास करने के लिये १९५८—५९ में अब तक कुल कितनी राशि का अनुदान दिया गया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : १९५८—५९ में पंजाब सरकार को खेलों का विकास करने के लिये अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया।

भारतीय अधिनियमों का जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू होना

†१८७३. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय जो भारतीय अधिनियम जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू नहीं होते, उनके क्या नाम हैं ?

†विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-सम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जावेगी।

उड़ीसा में राइफ़ल शूटिंग क्लब

†१८७४. श्री प्र० के० देव : क्या गृह-कार्य मंत्री उड़ीसा में उन स्थानों का नाम बताने की कृपा करेंगे जहां पर राइफल शूटिंग क्लब चल रहे हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : जानकारी राज्य-सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जावेगी।

उड़ीसा राज्य को खेलों के विकास के लिये अनुदान

†१८७५. श्री प्र० के० देव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक उड़ीसा राज्य को खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये कोई अनुदान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह धन विभिन्न योजनाओं पर, वर्षवार, किस प्रकार खर्च किया गया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

१८७६. श्री सरजू पांडे : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने बन्दी प्रत्यक्षीकरण और लेख याचिकाओं के कुल कितने मामले लाये गये ;

(ख) इनमें से कितने मामलों का निर्णय किया जा चुका है ; और

(ग) कितने मामलों में सरकार के विरुद्ध निर्णय दिये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दुर्गापुर में ब्रिटिश प्रविधिज्ञ

†**१८७७. श्री दलजीत सिंह** : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्माणाधीन दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के स्थान पर बहुत से ब्रिटिश प्रविधिज्ञ नियोजित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सभा-पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें उनकी संख्या, सेवा की शर्तें और मजूरी बतायी गयी हो ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के स्थान पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा कोई ब्रिटिश प्रविधिज्ञ नियोजित नहीं किये गये हैं । तथापि, इन्डियन स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड और उनके उप-ठकेदारों द्वारा १८२ और इन्टरनेशनल कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा ९ ब्रिटिश प्रविधिज्ञ नियोजित किये गये हैं । क्योंकि वे ठेकेदारों और परामर्श-दाताओं के कर्मचारी हैं, अतः हिन्दुस्तान स्टील लि० उनकी मजूरी नहीं देती और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित नहीं करती ।

पंजाब में लोक सहायक सेना शिविर

†**१८७८. श्री दलजीत सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५८ के बाद से पंजाब राज्य में लोक सहायक सेना अधिनियम, १९५६ की धारा ४ के अन्तर्गत कितने शिविर स्थापित किये गये हैं और वे किन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं; और

(ख) पंजाब राज्य के विभिन्न जिला शिविरों में कितने स्वयंसेवकों के नाम लिखे गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) ३१ दिसम्बर, १९५८ के बाद से पंजाब राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर पांच लोक सहायक सेना शिविर बनाये गये हैं :

असगांव	(अमृतसर)
खालरा	(अमृतसर)
टोहना	(हिसार)
नारायणगढ़	(अम्बाला)
बाबनपुर	(संगरूर)

(ख) ३१ दिसम्बर, १९५८ के बाद से पंजाब राज्य के लोक सहायक सेना में जिले-वार दर्ज किये गये व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :

जिला	दर्ज किये गये व्यक्तियों की संख्या
अम्बाला	४६०
अमृतसर	८४८
हिसार	४६१
संगरूर	३७५
कुल	२,१४४

तम्बाकू की खेती

†१८७१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिना आज्ञा के तम्बाकू की खेती करने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है;

(ख) क्या पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्रों को बिना आज्ञा के इसकी खेती करने की सुविधायें दी जायेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) जी, नहीं। बिना आज्ञा के तम्बाकू की खेती करने पर प्रतिबन्ध नहीं है। तथापि, तम्बाकू उत्पादक को एक पूर्व घोषणा करनी पड़ती है कि वह कितनी भूमि में तम्बाकू की खेती करना चाहता है, यदि वह क्षेत्र प्रत्येक केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता द्वारा अधिसूचित सीमा, जिस के लिये किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं है, से अधिक है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते क्योंकि यदि निर्धारित सीमा से कम क्षेत्र में तम्बाकू की खेती की जाये, तो उसके लिये कोई आज्ञा की आवश्यकता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऋणों की प्रत्याभूतियां

†१८८०. श्री स० अ० मेहदी : क्या वित्त मंत्री १७ फरवरी, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा भारत सरकार की प्रत्याभूति पर अन्य विदेशी संसाधनों से कुल कितनी राशि का ऋण लिया गया है; और

(ख) उन सार्थों के क्या नाम हैं और कितनी धनराशि का ऋण लिया गया है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) सम्भवतः माननीय सदस्य पुनर्वास तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के अतिरिक्त अन्य विदेशी सूत्रों से गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा लिये गये ऋण का निर्देश कर रहे हैं। भारत सरकर ने ऐसे किसी ऋण की प्रत्याभूति नहीं दी है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सहायता

†१८८१. श्री बलजीत सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने पंजाब राज्य को वहां पर नई मुख्य योजनाओं के लिये किसी वित्तीय सहायता का आवंटन किया है; और

(ख) १६५६-६० में राज्य को कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) बोर्ड ने पंजाब में शहरी मुख्य कल्याण विस्तार परियोजनाओं के लिये सहायदा दी है।

(ख) राज्य-वार कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया जाता । १६५६-६० में दी जाने वाली सहायता पंजाब सरकार से वित्तीय सहायता के लिये प्राप्त योजनाओं की संख्या पर निर्भर करेगी ।

नारनौल में लौह-अयस्क

†१८८२. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारनौल (पंजाब) में अयस्क खानों से लौह-अयस्क का निकालना बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब और क्यों बन्द किया गया?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). फोस्फोरस की मात्रा अधिक रहने के कारण अयस्क की बाजार में मांग न होने के कारण अन्तरी और बिहारीपुर खानों से अयस्क निकालना जून, १६५६ से बन्द कर दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

पट्टधारियों पर लगाये गये आरोपों की जांच होने तक पट्टे के नवीकरण न होने के कारण धनौता और धन्वोली खानों को ३०-१०-१९५८ को बन्द कर दिया गया। अब नवीकरण की मंजूरी हो गयी है।

धन और व्यय कर

†१८८३. **श्री पांगरकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के मराठवाडा प्रदेश के पांच जिलों में १९५८–५९ में व्यय कर और धनकर के कितने निर्धार्य[1] हैं; और

(ख) उन पर कितनी राशि का कर लगाया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : १-४-१९५८ से ३१-१-१९५९ तक के बारे में अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है :

	व्यय कर	धन कर
(क) निर्धार्यों की संख्या	८	१९१
(ख) ३१–१–५९ तक लगाये गये कर की राशि	शून्य	६०,४०९

स्कूलों के भवन

१८८४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने स्कूलों के भवन निर्माण के हेतु संघ राज्य-क्षेत्रों में अलग निर्माण शाखायें स्थापित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन शाखाओं के संगठन का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी को प्रोत्साहन

१८८५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या शिक्षा मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी गई हो :

(क) १९५८ में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न हिन्दी संगठनों के लिए किस आधार पर अनुदान स्वीकृत किये गये;

(ख) ये अनुदान किन–किन राज्यों को दिये गये और प्रत्येक राज्य में किन–किन संस्थाओं को दिये गये;

(ग) क्या इन अनुदानों के परिणामस्वरूप इस दिशा में अब तक हुई प्रगति का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Assessees.

(घ) यदि हां, तो इस की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ). विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७]

भारत का भू-परिमाप विभाग

†१८८६. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५७-५८ में भारत के भूपरिमाप विभाग के अधीन सरकारी कार्य के लिये यात्रा पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा पृथक-पृथक दैनिक भत्ता समेत कुल कितना धन खर्च किया गया; और

(ख) १९५६-५७ में कितना धन खर्च किया गया?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** :

(क)	प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी	—१,०३,३६४ रुपये
	द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी	—७१,३८४ रुपये
	तृतीय श्रेणी के पदाधिकारी	—३,६६,६६३ रुपये
	चतुर्थ श्रेणी के पदाधिकारी	—२,३०,४१० रुपये
	कुल	७,७१,८२१ रुपये

(ख)	प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी	—१,१२,४८९ रुपये
	द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी	—७८,८६६ रुपये
	तृतीय श्रेणी के पदाधिकारी	—४,२२,४०७ रुपये
	चतुर्थ श्रेणी के पदाधिकारी	—२,५३,२९० रुपये
	कुल	८,६७,०५२ रुपये

भारत के भू-परिमाप विभाग के कर्मचारियों के लिये चिकित्सा

†१८८७. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देहरादून में भारत भू-परिमाप विभाग में कर्मचारियों की बाह्य चिकित्सा (आउटडोर ट्रीटमेंट) के लिये एक अस्पताल है;

(ख) यदि हां, तो १९५७-५८ में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारियों का इलाज किया गया;

† मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सब वर्गों के कर्मचारी सिविल सर्जन या स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं और इलाज करा सकते हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे परामर्श और चिकित्सा पर और विशेष औषधियों की खरीद पर खर्च की गयी राशि का परिशोध कर दिया जाता है ; और

(ङ) १९५७-५८ में प्रथम, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पृथक रूप से कितनी धनराशि का परिशोध किया गया?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) देहरा-दून में दो भू-परिमाप अस्पताल हैं।

(ख) चिकित्सा के लिये पात्र कर्मचारियों की संख्या ८८२ है जो अपनी और अपने परिवार को चिकित्सा करा सकते हैं। १९५७-५८ में इलाज किये गये प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में पृथक आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। कुल मिला कर १९५७-५८ में दोनो अस्पतालों में ५३,३८६ मामलों का उपचार किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रथम श्रेणी पदाधिकारी —२,९३१.२८ रुपये
द्वितीय श्रेणी पदाधिकारी —४००.८० रुपये
तृतीय श्रेणी पदाधिकारी —७,४९५.१४ रुपये
चतुर्थ श्रेणी पदाधिकारी — ७४८.९४ रुपये

भारत के भू-परिमाप विभाग द्वारा भू-भौतिकीय वर्ष में भाग लेना

†**१८८८. श्री स० म० बनर्जी : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भू-परिमाप विभाग ने "भू-भौतिकीय वर्ष" में भाग लिया ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या कार्य किया;

(ग) यदि कोई नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित विषयों सम्बन्धी अवलोकन, संगणना और विश्लेषण :

(१) लेटीट्यूड और लोंगीट्यूड।

(२) ज्यो-मैग्नेटिज्म ।

(३) ग्रेवेटी।

(४) ओश्योनोग्रेफी ।

(५) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

† मूल अंग्रेजी में

भारत के भू-परिमाप विभाग के कर्मचारियों के लिये विभागीय चिकित्सालय

†१८८९. श्री स० म० बनर्जी : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के भू-परिमाप विभाग, देहरादून के अधीन काम कर रहे बहुत से गंभीर बीमारी वाले कर्मचारियों को चिकित्सा के लिये सिविल सर्जन के पास भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो १९५७–५८ में कितने मामले भेजे गये;

(ग) क्या उनकी चिकित्सा के लिये विभागीय चिकित्सालयों में सुविधायें नहीं थी;

(घ) क्या सिविल सर्जन के पास भेजे गये रोगियों को अस्पताल में भर्ती किया गया; और

(ङ) भारत के भू-परिमाप के कर्मचारियों के लिये कितने विस्तर सुरक्षित रखे गये हैं अथवा उनका आश्वासन दिया गया है?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) जी हां।

(ख) ७६।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां—यदि उनका अस्पताल में भर्त्ती करना आवश्यक हो।

(ङ) कोई नहीं।

भारत में भू-परिमाप विभाग के क्षय रोग से पीड़ित कर्मचारी

†१८९०. श्री स० म० बनर्जी : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १ जनवरी, १९५९ को भारत भू-परिमाप विभाग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी क्षय रोग से पीड़ित थे।

(ख) क्या वे सवेतन छुट्टी पर हैं;

(ग) क्या उनको क्षय रोग चिकित्सालय में भर्ती की तथा अन्य चिकित्सा की सुविधायें दी गयी हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या उन्हें चिकित्सा पर उनके द्वारा किया गया खर्च दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां तो १९५७–५८ में ऐसी कितनी राशि दी गई?

---

† मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :

(क) प्रथम श्रेणी —शून्य
द्वितीय श्रेणी—शून्य
तृतीय श्रेणी— ६
चतुर्थ श्रेणी— ६

(ख) जी, हां। तृतीय श्रेणी के ३ और चतुर्थ श्रेणी के तीन कर्मचारियों को छोड़ कर जिनकी नियमों के अधीन अन्य सब ग्राह्य छुट्टियां समाप्त हो गयी हैं, और जो बिना वेतन के असामान्य छुट्टी पर हैं।

(ग) जी, हां। दो मामलों को छोड़कर जहां सम्बन्धित व्यक्ति निजी रूप से इलाज करा रहे हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार चिकित्सा सेवा नियमों के अनुसार केवल उन रोगियों को दवाई आदि पर खर्च की गई रकम दी जाती है जो अधिकृत डाक्टरों के परामर्श पर चिकित्सा करा रहे हैं।

(ङ) १८२.६३ रुपये।

शराब का आयात

१८९१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में कितनी शराब विदेशों से मंगाई गई?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

१९५४	१९५५	१९५६	१९५७	१९५८
				(जनवरी से नवम्बर तक)
१४,१०,७९९ गैलन	१२,१६,४२० गैलन	१०,६२,७८८ गैलन	५,१५,५७६ गैलन	१,६६,२११ गैलन

† मूल अंग्रेजी में

नेपाल की सहायता

१८६२. श्री भक्त दर्शन : क्या वित्त मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेपाल सरकार की विकास योजना को पूरा करने के लिये उसे जो सहायता दी जा रही थी, उसमें इस बीच क्या प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक कुल कितनी राशि दी जा चुकी है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) भारत की सहायता से नेपाल में जो विकास कार्यक्रम चल रहा है उसमें दिसम्बर, १९५८ के बाद जो और प्रगति हुई उसका ब्योरा यह है :

(१) फेवाताल सिंचाई प्रायोजना के हेडवर्क्स पर काम शुरू हो गया और महादेव खोला और टीका भैरव सिंचाई प्रायोजनाओं, निचली विजयपुर नहर और धूलीखेल करकी मंगाली और पचमाणे जलपूर्ति (वाटर सप्लाई) योजनाओं के कामों में और प्रगति हुई;

(२) सिंचाई, जलपूर्ति और बिजली के छोटे-छोटे कामों के लिए ५० लाख रूपये की और अधिक सहायता देने के लिए नेपाल सरकार के साथ एक और समझौता किया गया;

(३) त्रिसूली पन बिजली प्रायोजना के लिए बस्ती की इमारतें बनाने और बांध तक जाने वाली सड़क की दागबेल डालने और हदबंदी करने के लिए अनुमान तैयार कर लिये गये हैं ;

(४) त्रिपक्षय (ट्रिपर्ट्राइट) समझौते के अनुसार बनायी जानेवाली १० सड़कों में से ६ सड़कों के लिए शुरू की जांच व पैमाइश की गयी और एक दूसरी सड़क की दाग-बेल डाली गयी। त्रिभुवन राजपथ को अच्छी हालत में रखने की, भारत सरकार की जिम्मे-दारी जारी है ;

(५) भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण विभाग (ज्योलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया) ने काठ-माण्डू में एक परीक्षण--प्रयोगशाला की स्थापना की और नेपाल में खनिज पदार्थों की खोज जारी रखी :

(६) काठमाण्डू में सिविल इंजीनियरी स्कूल खोला गया;

(७) नेपाल के पहले आम चुनाव का डाक्यूमेण्टरी फिल्म तैयार करने के लिए एक फिल्म एकक (यूनिट) भेजा गया;

(८) डाक-तार के कामों और ३५ बहुप्रयोजनीय सहकारी समितियां स्थापित करने के लिए टेक्निकल सहायता दी गयी ;

(९) स्कूलों की इमारतें बनाने और उनकी मरम्मत के लिए, आयुर्वेदिक औषधालय चलाने के लिए और दवाओं के लिए संस्थाओं को, राजदूत के ऐच्छिक अनुदानों में से, और अनुदान दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १६५७-५८ और १६५८-५६ के खाते अभी बन्द नहीं हुए हैं। अनुमान है कि नेपाल की पहली पंचवर्षीय आयोजना के दौरान में उसे टेक्निकल और आर्थिक सहायता देने पर १-४-५६ से ३१-३-५६ तक ३,०७,६६,००० रुपया खर्च होगा।

भूतत्वीय तथा खनन निदेशालय, उत्तर प्रदेश

१८६३. श्री भक्त दर्शन : क्या इस्पात, खान **और ईंधन** मंत्री १५ दिसम्बर, १६५८ अतारांकित प्रश्न संख्या १५४७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के भूतत्वीय तथा खनन निदेशालय ने जून, १६५७ से अब तक जो कार्य किया है क्या भारत सरकार को उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट का सारांश सभा-पटल पर रखा जायेगा।

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) मई, १६५५ से ३१ मार्च, १६५८ तक भौवृत्तिकी और खनन निदेशालय द्वारा किये गए कामों का संक्षिप्त विवरण प्राप्त किया जा चुका है। राज्य सरकार से यह मालूम हुआ है कि १६५७-५८ के क्षेत्र में काम करने के मौसम में पूरे किए गए कामों से सम्बन्धित विस्तृत रिपोर्टें की जा रही हैं।

(ख) १६५७-५८ में किये गए कामों का सारांश सभा-पटल पर रखा जाता है।

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८].

अमरीकी निर्यात-आयात बैंक द्वारा दिये गये ऋण

†१८६४. { **श्री वासुदेवन् नायर** :
श्री नागी रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका के निर्यात-आयात बैंक और विकास ऋण निधि द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र (उद्योगवार) को प्रत्यक्ष रूप से कुल कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई है ; और

(ख) क्या सरकार दोनों पक्षों में हुए करारों की प्रतियां सभा-पटल पर रखेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). अमरीका के निर्यात-आयात बैंक ने भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र में केवल एक उद्योग, अर्थात् नैशनल रेयान कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, को रेयान टायर कार्ड प्लांट खरीदने के लिये पूंजी की व्यवस्था करने के हेतु १८ लाख डालर का एक ऋण दिया है। ऋण पर ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष व्याज लिया जाता है और यह अप्रैल १६६० से अक्तूबर, १६६२ तक वर्ष में दो किश्तों के हिसाब से छः किश्तों में चुकाया जाना है। अमरीका के निर्यात-आयात बैंक ने मैसर्ज सुंदत्ता काटन-सीड युटिलाइज़ेशन लिमिटेड, बम्बई को भी ६०,००० डालर ऋण दिया गया है जिस से वे अमरीकी संभरणकर्ताओं से इस आधार पर उपकरण खरीदें कि उनका भुगतान तीन वर्ष में किया जायेगा। विकास ऋण निधि ने गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई ऋण नहीं दिया है।

नेशनल रेयान्स का अमरीका के निर्यात आयात बैंक से जो करार हुआ है वह वाणिज्यक आधारों पर हुआ है इस लिये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता कि सरकार उसकी प्रति सभा-पटल पर रखे।

† मूल अंग्रेजी में।

वरकलई का भूतत्वीय अनुसन्धान

†१८९५. { श्री वें० प० नायर :
श्री कोडियान :
श्री पुन्नूस :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार केरल राज्य में वरकलई का अधिक गहन भूतत्वीय सर्वेक्षण कराना चाहती है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** जी नहीं। वरकलई के सारे क्षेत्र का जो लगभग ५० मील में फैला हुआ है छिद्र करने अनुसन्धान किया गया था। १६ जगहों पर छिद्र किये गये थे। जिनकी कुल गहराई २५१४ फुट थी। इन में से किसी भी छिद्र में लिग्नाइट की परत नहीं थी।

युद्ध सामग्री कारखाने

†**१८९६. श्री स० म० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध सामग्री कारखानों में रक्षात्मक वस्त्रों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिये नियुक्त की गई वस्त्र समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) समिति ने क्या सिफारिशें की ; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी हां।

(ख) मार्च, १९५४ में।

(ग) समिति की मुख्य सिफारिशें ये हैं:—

(१) संयन्त्र का निर्माण करते समय ही बचाव का ध्यान रखा जाना चाहिये ताकि श्रमिकों को अपने बचाव की ओर अधिक ध्यान न देना पड़े।

(२) कर्मचारियों को उनके काम के अनुसार वस्त्र दिये जाने चाहिये। उसके पद की ओर अधिक ध्यान न देते हुए उसके काम को देखते हुए विशेष रक्षात्मक वस्त्र उसे मिलने चाहिये।

(३) रक्षात्मक अथवा विशेष वस्त्र एक ही व्यक्ति द्वारा पहने जाने चाहिये। 'स्टैटेलाइज़' किये बिना किसी दूसरे व्यक्ति के वस्त्र नहीं पहनने चाहिये।

(४) रक्षात्मक वस्त्रों की अन्तिम सूची स्थानीय सुरक्षा समिति द्वारा तैयार की जानी चाहिये जो प्रत्येक कारखाने में नियुक्त की जायेगी।

(घ) सरकार प्रायः समिति की मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है। कुछ युद्ध सामग्री कारखानों के लिये रक्षात्मक वस्त्र निश्चित करने के आदेश दिये जा चुके हैं और अन्य कारखानों के बारे में विचार किया जा रहा है।

---

† मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त किये गये आयोग तथा समितियां

†**१८९७. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक गृह कार्य मंत्रालय ने कितने आयोग और समितियां नियुक्त की हैं; और

(ख) क्या आय व्ययक व्यवस्था सहित इनकी एक सूची सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९]**

विदेशी ऋणों का चुकाया जाना

†**१८९८. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों से जो **ऋण** लिये गये हैं उनके (१) मूलधन और (२) ब्याज के रूप में आगामी पांच वर्ष में प्रति वर्ष कितना भुगतान किया जाना है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या १०]**

आयकर के मामले

†**१८९९. श्री मुरारका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई आंकड़े रखे जाते हैं कि कितने मामलों में सहायक अपीलीय आयुक्त ने आय कर पदाधिकारी के निर्धारण आदेशों को बदला;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्ष के आंकड़े सभा-पटल पर रखे जायेंगे; और

(ग) जिन आय कर पदाधिकारियों के अधिक आदेशों में परिवर्तन किये गये थे यदि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई तो वह क्या थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी हां; गत तीन वर्ष के उन मामलों सम्बन्धी आंकड़े सभा-पटल पर रख दिये गये हैं जिनमें सहायक अपीलीय आयुक्तों ने आय कर पदाधिकारियों के आदेश बदल दिये थे ।

विवरण

याचिकाओं के आंकड़े

वर्ष	वर्ष के दौरान में किये गये निर्धारण	वर्ष के दौरान में अपीलीय सहायक आयुक्तों द्वारा बदले गये निर्धारण
(१)	(२)	(३)
१९५५-५६	८,९१,७१६	४५,१८१
१९५६-५७	९,२३,६२३	६०,८४५
१९५७-५८ . . .	१०,०३,१३४	७९,३५९

† मूल अंग्रेजी में ।

(ग) विवरण के स्तम्भ ३ में बताये गये आंकड़ों में कई ऐसे मामले हैं जिनमें साधारण परिवर्तन किये गये हैं। जब तक यह सिद्ध न हो जाये कि आयकर पदाधिकारी ने जान बूझ कर गलत आदेश दिये थे तब तक केवल इस आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती कि अपीलीय प्राधिकारियों ने आदेश में परिवर्तन कर दिया है। फिर अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेशों का अवलोकन किया जाता है और आयकर पदाधिकारी के काम का मूल्यांकन करते समय ये आदेश बड़े सहायक सिद्ध होते हैं।

उड़ीसा में कल्याण विस्तार परियोजनायें

†१६००. **श्री पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ और १९५७-५८ में ३.६० लाख रुपये की सहायता से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने उड़ीसा में किस प्रकार की कल्याण विस्तार परियोजनाओं स्थापित की हैं; **और**

(ख) ये परियोजनायें किन स्थानों पर स्थित हैं?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १९५६-५७ और १९५७-५८ में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की ३.३३ लाख रुपये की सहायता से उड़ीसा में मूल और समायोजित प्रकार की कल्याण विस्तार परियोजनायें स्थापित की गईं।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११]**

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये टैक्नीकल सेवायें

†१६०१. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १९ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४४ के उत्तर के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विभिन्न अनुभागों के टैक्नीकल सेवा प्रभारों के लिये ७४.१३ करोड़ रुपये की राशि किन आधारों पर आवंटित की गई थी; और

(ख) इस्पात कारखाने के प्रत्येक अनुभाग की इन सेवाओं के लिये राशि का आवंटन कैसे किया गया था?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क). और (ख). जैसा कि ११ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ के उत्तर में बताया गया था दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये संभरण तथा निर्माण का सारा ठेका इंडियन स्टील वर्क्स कंस्ट्रेक्शन कम्पनी को दिया गया है। इस में ब्रिटेन से मंगवाये जाने वाले संयंत्र, उपकरण और स्टोर और भारत से खरीदे जाने वाले उपकरण तथा स्टोर शामिल हैं और साथ परामर्शदाता इंजीनियरों के कहने के अनुसार निश्चित तिथि तक कारखाने के निर्माण का काम शामिल है। ठेके में यह उपबन्धित है कि मुख्य संयंत्र और उपकरण का संभरण ब्रिटेन से स्वीकृत मूल्य पर किया जायेगा और स्वीकृत मूल्यों पर भारत से स्टोर आदि का भुगतान किया जायेगा और प्रशासन तथा अन्य आवश्यक सेवाओं के लिये उन्हें कुछ निश्चित राशि दी जायेगी बशर्ते कि कार्य निश्चित तिथि पर समाप्त हो जाये।

विभिन्न व्यय जिन में टैक्नीकल सेवा प्रभार भी शामिल हैं तुलना करने के लिये अनुमान से ही विभिन्न अनुभागों में बांटे गये थे। इसके लिये प्रत्येक अनुभाग का नौतल पर्यन्त निःशुल्क

---

† मूल अंग्रेजी में

मूल्य चालू था । साइट वर्क्स मूल्य और लक्ष्य मूल्य अनुभाग के काम की मात्रा का प्राक्कलन के आधार पर आवंटित किया जा सकता है । टैक्नीकल सेवा प्रभार प्रत्येक अनुभाग में भारतीय काम को देखते हुए अनुमान से ही बांट दिये गये थे ।

जीवन बीमा निगम

†१६०२. { **श्री कोडियान :**
श्री वें० प० नायर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की शाखाओं में पहली बीमा कम्पनियों के एकीकृत यूनिटों की तुलना में कर्मचारियों की संख्या कम है; और

(ख) क्या इसके कारण जीवन बीमा निगम का कारोबार बढ़ने में अड़चन पैदा हो रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में शिक्षा

†१६०३. { **श्री बांगशी ठाकुर :**
श्री दशरथ देब :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा शिक्षा प्राधिकारी किस नियम के अधीन त्रिपुरा के स्कूल और कालेज चला रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** त्रिपुरा के शिक्षा सम्बन्धी कोई अलग नियम नहीं हैं । त्रिपुरा के सैकंडरी स्कूल पश्चिमी बंगाल सैकंडरी शिक्षा बोर्ड के नियमों के अधीन चल रहे हैं क्योंकि वह बोर्ड परीक्षायें लेता है । सरकारी सहायता पाने वाले गैर-सरकारी स्कूल विभागीय नियमों के अधीन आते हैं ।

कालेजों पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के नियम लागू होते हैं ।

जम्मू व काश्मीर में लिग्नाइट के निक्षेप

†१६०४. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार अथवा जम्मू व काश्मीर सरकार ने लिग्नाइट निक्षेपों के विदोहन तथा प्रयोग के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना किस प्रकार की है; और

(ग) इस पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जम्मू व काश्मीर में लिग्नाइट निक्षेपों के विदोहन तथा प्रयोग के लिये भारत सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के पदाधिकारी

†**१९०५. श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व हैदराबाद राज्य की नौकरियों को समान करने का कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने पदाधिकारियों के वेतन बढ़े हैं ; और

(ग) क्या कार्यक्रम को पूरा करने के लिये कोई समय सीमा निश्चित की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) भूतपूर्व हैदराबाद राज्य की जो नौकरियां बम्बई और मैसूर को आवंटित की गई हैं उनको अस्थायी तौर पर समान बना दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में भी कुछ एक विभागों के अतिरिक्त उन्हें समान बना दिया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि १-११-५६ को लिये गये वेतन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

(ग) जी नहीं । राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इसकी ओर अधिक ध्यान दें ।

टेक्निकल संस्थाओं के अध्यापक

†**१९०६. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री ५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि टैक्नीकल संस्थाओं के अध्यापकों की वेतन व्यवस्था के वैज्ञानिकन तथा सुधार के सम्बन्ध में अखिल भारतीय टैक्नीकल शिक्षा परिषद् की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये अभी तक और क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : टैक्नीकल संस्थाओं के अध्यापकों के वेतनों के सुधार के सम्बन्ध में की गई, अखिल भारतीय टैक्नीकल शिक्षा परिषद् की सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं ।

भिलाई परियोजना तक रेलवे लाइन के लिये स्लीपर

†**१९०७. श्री हेम बरुआ** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई परियोजना तक रेलवे लाइन डाली जायेगी;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये लकड़ी के स्लीपर खरीदे जा चुके हैं ;

(ग) उन पर कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) क्या यह सही है कि बाद में वे स्लीपर अनुपयुक्त साबित हुए ; और

(ङ) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

---

†मल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) भिलाई परियोजना दक्षिण पूर्व रेलवे से मिली हुई संयोजित है। कारखाने के सबसे पास का रेलवे स्टेशन दुर्ग है, जो कारखाने के स्थान से ३ मील दूर है और दक्षिण-पूर्व रेलवे की मुख्य लाइन पर पड़ता है।

(ख) जी, हां। कारखाने के अन्दर ही लाइन डालने के लिये।

(ग) लगभग ३८ लाख रुपये।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चोरी-छिपे लाये गये सोने का बरामद किया जाना

†**१६०८. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सांताक्रुज़ हवाई अड्डे पर २० जनवरी, १९५९ को तेहरान से आने वाले दो यात्रियों के पास से क्रमशः १ लाख १२ हजार रुपये और १ लाख रुपये का सोना बरामद किया गया था?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** जी, हां। २० जनवरी, १९५९ को सांताक्रुज़ हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों ने तेहरान से आये दो यात्रियों के पास से क्रमशः १,३१,१४५ रुपये और १,४०,००० रुपये का सोना बरामद किया था।

नांदेड़ (बम्बई) में लौह-अयस्क

†**१६०९. श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नांदेड़ जिले में लौह-अयस्क निक्षेपों की सम्भावनाओं का सर्वेक्षण तथा खोज करने के लिये बम्बई राज्य में भूतत्वीय दल भेजने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) और (ख). जी नहीं। नांदेड़ ज़िले का बड़ा भाग दक्षिण-सोपानार म[1] के अन्तर्गत आ जाता है। जिले के पूर्व में केवल छोटे से हिस्से में कहीं कहीं उठी हुई धारवाड़ रॉक्स (चट्टानों) के साथ गुनाहट नेसेज़[2] मिलते हैं। इसलिये यह समझा गया कि इस क्षेत्र में लौह-अयस्क के रिजर्व मिलने की कोई आशा नहीं है।

इन परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र में भूतत्वीय दल भेजने का कोई विचार नहीं है।

चोरी-छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना

†**१६१०.** { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि २१ जनवरी, १९५९ को भूमि सीमा शुल्क विभाग ने एक लाख रुपये के मूल्य का १५०० तोले सोना कालिम्पोंग में पकड़ा?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** जी हां, यह सच है कि २० जनवरी, १९५९ को कालिम्पोंग में भूमि सीमा शुल्क विभाग ने लगभग १,५९,७८० रुपये के मूल्य के १,४१४ तोले सोना पकड़ा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Deccan Trap. [2]Gravite Gneisses.

विदेशी मुद्रा का अर्जन

†१९११. श्री सुबिमन घोष : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४८ तथा १९५८ में कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई तथा इन्हीं दोनों वर्षों में जूट के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा मिली ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): १९४८ में चालू लेखे में विदेशी मुद्रा से ५५५.५ करोड़ रुपये की आय हुई थी जबकि जनवरी-सितम्बर, १९५८ में (इसी अवधि के आंकड़े उपलब्ध हैं) ५८५.४ करोड़ रुपये की आय हुई। इसी अवधि में जूट का निर्यात निम्नलिखित रुपये हुआ :—

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	निर्यात	
	जोड़	जूट का
१९४८ . . .	४२६.९	१७६.७*
१९५८ (जनवरी-सितम्बर)	४०३.२	७२.१

*यह सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार है क्योंकि १९४८ के वस्तु-वार भुगतान आंकड़े रिजर्व बैंक द्वारा संकलित नहीं किये गये थे।

नागाओं से मुठभेड़

१९१२. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के उखरूल के सब डिवीजन के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तुसुम खुमोव में नागाओं और चौथी आसामी राइफल के गश्त लगाने वाले दल के बीच २ फरवरी, १९५९ को मुठभेड़ हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ग) कितने नागाओं को बन्दी बनाया गया;

(घ) क्या यह सच है कि नागाओं के अधिकार में से कुछ जापानी राइफलें प्राप्त हुई थीं; और

(ङ) यदि हां, तो विदेशी शस्त्रों के आगमन को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) तथा (ख). आसाम राइफल तथा नागाओं के बीच इस प्रकार की कोई मुठभेड़ नहीं हुई थी। १ फरवरी, १९५९ को पुलिस का एक दस्ता, जिसके साथ आसाम राइफल के कुछ सिपाही थे, जो तुसुम खुलेन तथा तुसुम खुनाव में अवैध हथियारों को लेने के लिये गया था, एक ग्राम निवासी ने गोली चलाई जिसके फलस्वरूप आसाम राइफल के दो सैनिकों को मामूली चोटें आईं।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) आठ ।

(घ) जी हां ।

(ङ) नागाओं से जो हथियार और गोला बारूद मिले वे पुराने थे जिनका पिछली लड़ाई में जापानियों ने परित्याग कर दिया था ?

मद्रास का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†१९१३. **श्री इलयापेरुमाल : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने मद्रास राज्य के दक्षिण अरकाट, सलेम, त्रिची और तंजोर जिले में प्राप्त होने वाली खनिज सम्पत्ति की जांच करने के लिये अभी हाल में कोई खोज की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या १९५९-६० में जो सर्वेक्षण हुआ था उस आधार पर कोई और सघन सर्वेक्षण होगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) भारत के भूतत्वीय विभाग द्वारा निम्नलिखित चीज़ खनिज पदार्थों का सर्वेक्षण किया गया था ।

त्रिची जिले में मुरंगापट्टी में १९५४-५५ में, और मालमवही में १९५५-५६ में कच्चे लोहे का; दक्षिण अरकाट और त्रिची जिले में १९५५-५६ में खड़िया मिट्टी का; त्रिचि जिले में १९५५-५६ में कैलेसटाइट फासफेटिक नोडुलस का; सलेम जिले में १९५६-५७ में बाकसाइट, ब्रिल, कंकर, चूना, मैगनाइट और सड़क का पत्थर का । त्रिची जिले में १९५६-५७ में तांबे का । दक्षिण अरकाट जिले में १९५६-५७ में लिग्नाइट, दक्षिण अरकाट जिले में १९५७-५८ में अलनाइट का ।

(ग) एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२**]

ऐतिहासिक अभिलेख आयोग

†१९१४. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के ३४वें सत्र की बैठक अभी हाल में त्रिवेंद्रम में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो आयोग ने कौन-कौन से मुख्य निश्चय किये ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) आयोग ने निम्नलिखित मूख्य सिफारिशें की हैं ।

(१) अभिलेख सम्बन्धी बातों पर विधान बनाने के बारे में सलाह देने के लिये भारत सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति शीघ्र की जाये ।

(२) भारत सरकार द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के लिये पर्याप्त निधि रखी जाये तथा राज्य सरकारों को उनके अभिलेखागारों के लिये पर्याप्त निधि दी जाये ।

† मूल अंग्रेजी में

(३) राज्य अभिलेख कार्यालयों का उचित तरीके से संगठन किया जाय ।

(४) राज्य सरकारें जिला अभिलेख कार्यालयों के लिये प्रशिक्षित अभिलेखपालों की नियुक्ति करे ।

(५) राज्य सरकारें अपने अभिलेख कार्यालयों तथा जिला अभिलेख कार्यालयों में रखे गये ऐतिहासिक महत्व के अभिलेखों का प्रकाशन करे ।

(६) राज्य सरकारें जिला अभिलेखागारों का केन्द्रीयकरण करें ।

(७) भारत के अभिलेख कार्यालयों पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों में रक्षित फ़ारसी पांडुलिपियों की सूची का प्रकाशन किया जाय ।

(८) राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा विभिन्न संस्थाओं और गैर-सरकारी व्यक्तियों के पास जो महत्वपूर्ण पांडुलिपियां हों उन की छोटी फ़िल्म (माइक्रो फ़िल्म) बना कर रखी जाये ।

इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय द्वारा नियुक्त आयोग और समितियां

†१९१५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय ने कितने आयोग और समितियों की नियुक्ति की है ; और

(ख) क्या उक्त आयोगों और समितियों की एक सूची तथा उन के लिये दी गई राशि को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**इस्पात खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३]**

वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त आयोग और समितियां

†१९१६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक वित्त मंत्रालय द्वारा कितने आयोग और समितियों की नियुक्ति की गई;

(ख) क्या उक्त आयोगों और समितियों की एक सूची तथा उन के लिये निर्धारित व्यय दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १९५७–५८ में ४

१९५८–५९ में (अब तक) २

(ख) सूची संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४]**

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त किये गये आयोग और समितियां

†१९१७. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दलजीत सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक शिक्षा मंत्रालय ने कितने आयोग और समितियां नियुक्त कीं ; और

(ख) क्या इन की एक सूची, इन के लिये किये गये आय-व्ययक उपबन्धों सहित, सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). १ जनवरी, १९५६ से ३१ मार्च, १९५८ तक की अवधि के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी १८-४-१९५८ को अतारांकित प्रश्न संख्या २५४० के उत्तर संबंधी विवरण में सभा-पटल पर रख दिया गया था। १अप्रैल, १९५८ से ३१ जनवरी, १९५९ तक की अवधि के संबंध में अपेक्षित जानकारी क्रमशः २१-८-५९ तथा १७-२-५९ को अतारांकित प्रश्न संख्या ६६५ और ३८५ के उत्तर संबंधी विवरण में सभा-पटल पर रख दिया गया था ।

अप्रैल, १९५८ से जनवरी, १९५९ के बीच हुए व्यय का विवरण यथासमय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

देखभाल कार्यक्रम[1]

†**१९१८. श्री बै० चं० मलिक :** क्या गृह-कार्य मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २११५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने इस बीच देखभाल कार्यक्रम सम्बन्धी अपनी योजनायें प्रस्तुत कर दीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : बिहार, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इस बीच अपनी देखभाल योजनायें भेज दी हैं। इन योजनाओं को केन्द्रीय सहायता के लिये अनुमोदित कर दिया गया है ।

जीवन बीमा निगम

†**१९१९. श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ सितम्बर, १९५६ को जीवन बीमा निगम को विभिन्न बीमा समवायों से, उनके बहीखातों में दर्ज, कितनी राशि की तथा कितनी पालसियां मिलीं ;

(ख) जीवन बीमा निगम ने गैर-सरकारी बीमा समवायों से प्राप्त पालिसियों में से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक मृत्यु तथा परिपक्वता दावों के कितने तथा कितनी राशि के मामले निबटाये ; और

(ग) जीवन बीमा निगम को अन्य बीमा समवायों से मिली पालिसियों में से ३१ दिसम्बर, १९५८ को कितनी व कितनी राशि की पालिसियां चालू थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Care Programme.

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :

(क)	संख्या	राशि
	५३ लाख (लगभग)	१,३०० करोड़ रुपये (लगभग)

(ख) अवधि	संख्या	राशि
१-९-५६ से ३१-१२-५७	उपलब्ध नहीं है।	२५.०७ करोड़ रुपये
१-१-५८ से ३१-१२-५८	१,२०,२९२	२३.३६ करोड़ रुपये
योग	—	४८.५३ करोड़ रुपये

(ग) चूंकि जीवन बीमा निगम के वर्ष १९५८ के लेखे पूर्ण नहीं हो पाये हैं, अतः जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई तदर्थ समितियां

†**१९२०. श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९५८ से दिसम्बर, १९५८ तक प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत कौन-कौन सी तदर्थ समितियों ने काम किया?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (१) सैनिक इंजीनियरिंग सेवा निर्माण-कार्य समिति

(२) आर० वी० एफ़० सी० पुनर्गठन समिति ।

(३) लुधियाना विस्फ़ोट जांच समिति ।

(४) पूना के विमान बल केन्द्र में १९५६ में लोक-निधि के गबन और उस से सम्बन्धित प्रश्नों की जांच करने के लिये समिति ।

मनीपुर मंत्रणा समिति

†**१९२१. श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर मंत्रणा समिति की एक बैठक १९ दिसम्बर १९५८ को हुई थी;

(ख) यदि हां तो उसमें क्या-क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) उन्हें कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) मनीपुर के लिये मंत्रणा परिषद् की बैठक १९ दिसम्बर को नहीं वरन् १८ दिसम्बर १९५८ को हुई थी।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिस में उस बैठक में चर्चा किये गये विषय तथा उन के संबंध में की गई सिफ़ारिशें दी हुई हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १५]**

†मूल अंग्रेजी में

नई पेन्शन संहिता

†**१९२२. श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन आपात आयुक्त अधिकारियों को पुनरीक्षित पेंशन शर्तें मंजूर करने के मामलों पर विचार करेगी जो ११ अगस्त १९५३ के सेना अनुदेश संख्या २/एस०/१९५३ और १० जनवरी १९५३ के सेना अनुदेश संख्या १/एस०/१९५५ के अनुसार १० वर्षों की सेवा के उपरान्त १९५३ से पूर्व सेवा से मुक्त कर दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). सेना अनुदेश २/एस०/५३ १ जून १९५३ को या उस के पश्चात् सेवा निवृत्त होने वाले स्थायी आयुक्त अधिकारियों पर लागू होता है। १ जून १९५३ को या उस के पश्चात् सेवामुक्त अस्थायी अधिकारियों, जिन में आपात् आयुक्त अधिकारी भी आ जाते हैं, के लिये पुनरीक्षित पेन्शन/उपदान संबंधी शर्तें १० जनवरी, १९५५ (१० जनवरी, १९५३ नहीं) के सेना अनुदेश संख्या १/एस०/५५ द्वारा प्रचलित की गई थी।

दस वर्ष या उस से अधिक की अर्हापक सेवा वाले १ जून, १९५३ से पूर्व सेवा मुक्त आपात् आयुक्त अधिकारियों को इस अवस्था में और उपदान लाभ दिये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

दिल्ली में हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूल

†**१९२३. श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के अधीन किन-किन हाई और हायर सेकण्ड्री स्कूलों में पंजाबी पढ़ाई जाती है ;

(ख) प्रत्येक स्कूल के मिडल और हाई विभाग में इस समय पंजाबी पढ़ने वाले छात्रों की क्या संख्या है; और

(ग) निदेशालय ने मिडल और हाई क्लासों के लिये निम्न तथा उच्च पादाली में अलग-अलग पंजाबी भाषा पढ़ाने वाले कितने अध्यापक नियुक्त किये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये **परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १६**]

सैनिक अश्व प्रदर्शनी

१९२४. श्री रा० स० तिवारी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो सैनिक अश्व प्रदर्शनी दिल्ली में फरवरी, १९५९ में हुई थी, क्या वह देश के अन्य स्थानों पर भी की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में यह प्रदर्शनी किन-किन स्थानों पर करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) दूसरे स्थानों पर अभी प्रदर्शनियां करने का इरादा नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय मुद्रा बरामद होना

†१९२५. { श्री जाधव :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री इलियापेरूमाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांता क्रुज हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने १७ फरवरी, १९५९ को जुरिच जाने वाले एयर इंडिया इंटरनेशनल के विमान में एक यात्री से लगभग १,९०,००० रुपये की भारतीय मुद्रा प्राप्त की ;

(ख) यदि हां, तो वह यात्री कौन था ;

(ग) इस यात्री को कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध की गई थी;

(घ) उस का जुरिच जाने का क्या प्रयोजन था;

(ङ) उस के पास और कौन सी आपत्तिजनक वस्तुयें थीं; और

(च) उस के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (च). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). जी हां। १७ फरवरी, १९५९ को एयर इंडिया इंटरनेशनल के जूरिच जाने वाले विभाग में एक यात्री, श्री डी० एन० मेहता से सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने १,९०,००० रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद की थी ।

(ग) रिज़र्व बैंक ने उसे ७५ पौंड (स्टर्लिंग) दिये थे जो स्विट्ज़रलैंड में खर्च किये जा सकते थे। इस के अतिरिक्त वह स्विट्ज़रलैण्ड में उन ७२ रुपयों की विदेशी मुद्रा भी प्राप्त कर सकते थे जोकि उन के पास थे ।

(घ) विदेशी मुद्रा के लिये आवेदनपत्र देते समय उन्हों ने स्विट्ज़रलैण्ड जाने का उद्देश्य "व्यापार तथा स्विट्ज़रलैण्ड की सार्थों और वकीलों के साथ बातचीत करना" बताया था ।

(ङ) हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन, लन्दन के नाम का १०० पौंड का एक ब्लैंक चैक और २० स्विस फ्रैंक नोट ।

(च) उन्हें गिरफ्तार कर के ज़मानत पर रिहा किया गया है । जांच की जा रही है ।

चीनी भाषा

†१९२६. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री १२ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२८ के उत्तर के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में यह जानकारी दी गई हो कि भारत और चीन में विद्वानों के विनिमय की योजना के अन्तर्गत चीन जा कर चीनी भाषा सीखने के लिये कितने उम्मीदवार चुने गये ?

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : चुनाव समिति ने कार्य पूरा कर लिया है और शीघ्र ही नाम घोषित कर दिये जायेंगे ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

†१६२७. **श्री ओंकार लाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय अनुशासन योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिये तीन प्रादेशिक कार्यालय स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान के लिये भी कोई कार्यालय होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार कोटा में एक कार्यालय खोलना चाहती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां । ये प्रादेशिक कार्यालय पहले ही खोले जा चुके हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये नौकरियां रक्षित करना

†१६२८. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के विभागों में प्रति वर्ष ग्रेड १, ग्रेड २ और ग्रेड ३ पदाधिकारियों के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित कितने स्थान १६४८ से १६५८ तक खाली हुए जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण दूसरे लोग नियुक्त कर दिये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : शायद यह प्रश्न केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड १—३ के बारे में पूछा गया है । अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १७]**

मद्रास में स्कूल होस्टल

†१६२६. **श्री सुब्बया अम्बलम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने मद्रास राज्य में स्कूल होस्टलों के निर्माण के लिये १६५८-५६ में कितना ऋण स्वीकृत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संस्था को कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां

(ख) मद्रास सरकार को श्री विवेकानन्द विद्यावनम् हाई स्कूल, तिरुपरोपथुरई के लिये ६०,००० रुपये का ऋण मंजूर किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चंडीगढ़ के निकट भूमि में से निकली वस्तुएं

†१९३०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ के निकट पर्वतीय भूमि में एक १० लाख वर्ष पुरानी चट्टान में अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले पशुओं के असंख्य पिंजर मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन से क्या जानकारी मिलती है ?

†**इस्पात, खान और तेल मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सिक्किम में नियुक्त सरकारी कर्मचारी

†१९३१. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में नियुक्त किये गये भारत सरकार की विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को समान वेतन मिलते हैं ;

(ख) द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्या विशेष भत्ते दिये जाते हैं ;

(ग) क्या गंगटोक (सिक्किम) में नियुक्त भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान विभाग के कर्मचारियों को भी ये भत्ते मिलते हैं ; और

(घ) यदि कोई अन्तर है, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) भारत सरकार के उन कर्मचारियों को जो सिक्किम में नियुक्त हैं वही वेतन मिलते हैं जो भारत में दिये जाते हैं ।

(ख) पोलिटिकल आफिसर, गंगटोक में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को ये भत्ते मिलते हैं ।

१. सिक्किम भत्ते :

१. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों के नान-रिप्रेज़ेंटेशनल ग्रेड

(१) विवाहित	२९५ रुपये मासिक
(२) अविवाहित	२३० रुपये मासिक

२. **चतुर्थ श्रेणी और कार ड्राइवर**

(१) विवाहित	१५० रुपये मासिक
(२) अविवाहित	११० रुपये मासिक

बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी भत्ता : द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को ५ और १८ वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की शिक्षा के लिये दो बच्चों तक ८० रुपये मासिक प्रति बालक भत्ता मिलता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी नहीं। पोलिटिकल आफिसर के कार्यालय के अतिरिक्त अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले पदाधिकारियों को सिक्किम भत्ता कुछ कम मिलता है।

(घ) राजनयिक मिशनों में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने सेवा काल का लगभग तीन चौथाई भाग विदेशों में व्यतीत करना पड़ता है जबकि जो अन्य लोग सिक्किम में नियुक्त किये गये हैं वे कुछ निश्चित अवधि के लिये ही वहां भेजे गये हैं। अतः दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती।

मोटर गाड़ियों पर विकास अवहार

†१९३२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर पदाधिकारी मोटर गाड़ियों पर इस आधार पर कोई विकास अवहार नहीं देते कि यह स्थावर मशीनरी है जबकि नई मशीनों और संयंत्रों पर यह अवहार दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). भारतीय आय-कर अधिनियम, १९२२ की धारा १० की उपधारा (२) के खंड ६(ख) में, जिस में इस विषय सम्बन्धी उपबन्ध हैं, स्पष्ट है कि विकास अवहार नई मशीनों अथवा ३१-३-१९५४ के पश्चात् अधिष्ठापित उन संयंत्रों पर दिया जाता है जो कर दाता अपने कारोबार में प्रयोग करता है। मोटर गाड़ियों के लिये यह नहीं कहा जा सकता कि वे अधिष्ठापित की गई हैं इसलिये उन पर विकास अवहार नहीं दिया जा सकता। यह बात श्री सी० डी० देशमुख (जो उस समय वित्त मंत्री थे) ने आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का उत्तर देते समय ११ मार्च, १९५५ को राज्य सभा में और २१ मार्च, १९५५ को लोक सभा में स्पष्ट कर दी थी कि इमारतों, मोटर गाड़ियों, टाइपराइटरों, दफ्तर के सामान आदि पर विकास अवहार नहीं दिया जायेगा।

भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विश्वविद्यालयों के सम्मेलन की संयुक्त बैठक

†१९३३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में चंडीगढ़ में भारतीय विश्वविद्यालयों के पंचवार्षिक सम्मेलन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संयुक्त बैठक में क्या निश्चय किये गये ; क्या सिफारिशें की गईं और कौन से संकल्प पारित किये गये ; और

(ख) सरकार ने किस हद तक ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). भारतीय विश्वविद्यालयों के पंचवार्षिक सम्मेलन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कोई संयुक्त बैठक नहीं हुई थी।

आयोग ने २४ फरवरी, १९५९ को चंडीगढ़ में भारत के अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड के साथ एक संयुक्त बैठक की थी। इस बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड के सदस्यों ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये विश्वविद्यालय द्वारा योजना बनाने के उद्देश्यों और तरीकों के बारे में विचार विनिमय हुआ था। यह चर्चा सामान्य रूप से की गई थी और कोई संकल्प पारित नहीं किये गये थे और न ही कोई सिफारिशें की गई थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव

पंजाब में सुधार शुल्क

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली है जो पंजाब में सुधार शुल्क के बारे में तथा इस के संबंध में हुये आन्दोलन में की गयी पुलिस कार्यवाही के बारे में हैं। यह विषय एक राज्य विषय है। लेकिन इन स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं के साथ अखबार की एक कतरन भी है जिसमें कहा गया है कि फगवाड़ा में पुलिस गोली कांड द्वारा ४ व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और सुधार शुल्क संबंधी एक संघर्ष में २८ व्यक्ति घायल हुये। कल एक प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय सिंचाई मंत्री ने कहा था कि उन्हें ठीक ठीक पता नहीं है कि विद्युत् शक्ति तथा पानी के लिए राजस्थान व पंजाब को कितना कितना भाग देना पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि करार के दस्तावेज में यह सूत्र दिया हुआ है।

उक्त बातों को ध्यान में रखते हुये मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में स्थिति क्या है। वास्तव में यह विषय हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। पर चूंकि इस विषय के संबंध में इतना आन्दोलन हुआ है, कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है और इतनी कार्यवाही की गयी है अत: मैं चाहूंगा कि गृह-कार्य मंत्री सभा को बतायें कि स्थिति क्या है। शुल्क के संग्रह तथा अनुपात के संबंध में भी कुछ संदेह है। अत: हमें माननीय मंत्री की बात को सुनना चाहिए।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** यह आन्दोलन राज्य विधान मंडल के भूमि सुधार अधिनियम के विरूद्ध हो रहा है। अग्रिम शुल्क संग्रह करने के लिए अभी हल में राज्यपाल ने एक अध्यादेश जारी किया था। यह आन्दोलन कुछ अचानक ही नहीं शुरू हुआ है। यह तो काफी समय से चलता आ रहा है। जनवरी १९५८ में यह आन्दोलन शुरू हुआ था और अभी हाल में इसे शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया गया। चूंकि बहुत से व्यक्ति गिरफ्तार हुये है इसका यह अर्थ नहीं कि हम इसमें हस्पक्षेप करें। माननीय सदस्य ने गिरफ्तार व्यक्तियों की जो संख्या बताई है वह भी बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताई गयी है। मेरी जानकारी के अनुसार अब तक कुल ६,११८ से अधिक व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह विषय हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। सुधार शुल्क का विषय राज्य का विषय है। इसे लगाने व कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। यदि कोई गड़बड़ी पैदा हो गयी है तो शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य की है।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : प्रत्येक राज्य को किये जाने वाले आवण्टन का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने बताया कि यह बात सूत्र में दी हुई है।

†**श्री तंगामणि:** माननीय मंत्री के कथनानुसार नंगल बांध पर कुल ६७ करोड़ रुपये की राशि व्यय हो चुकी है। अब ८५ और १५ का जो अनुपात रखा गया है उसके अनुसार पंजाब सरकार को ५५ करोड़ व्यय सहन करना होगा। प्रश्न यह है कि पंजाब के किसानों को इसमें से कितना देना होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका निर्णय कौन करेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : केन्द्रीय सरकार । यह केवल पंजाब सरकार का ही मामला नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि अनुपात में कुछ कमी या अधिकता है तो यह उनका काम है कि उसे ठीक करें । शुल्क लगाने उसे वसूल करने तथा राज्य में शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : यह पंजाब सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच विवाद का प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले में पंजाब सरकार व केन्द्रीय सरकार में अगर कोई मतभेद है भी तो भी उसका फैसला लोग कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं कर सकते ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : राज्य विधान मंडल के सत्र के अन्तिम दिन एक अध्यादेश निकाला गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संविधान के अधीन अध्यादेश निकाला जा सकता है ।

मैं इन प्रस्तावों को अस्वीकृत करता हूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वहां शान्ति भंग हो गई है ; औरतों को पीटा गया है और लोगों की मृत्यु हो चुकी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है । वहां भी तो राज्य सरकार है ।

†**श्री तंगामणि** : गृह-कार्य मंत्री के उत्तर के बाद आप ने मुझे अवसर देने की बात कही थी । मैं स्थिति स्पष्ट करूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अपना निर्णय दे चुका हूं । इस विषय पर हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है । मैंने प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : यह मामला केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच का है । अच्छी प्रकार से चर्चा हुये बिना ही शुल्क लगा दिया गया है । अत : निवदन है कि आप हमारी बातें सुनें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधान मंत्री ।

अमरीका और टर्की, ईरान और पाकिस्तान के बीच सैनिक सहायता के लिए हुए करार के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जैसा कि मैं ने कल वादा किया था, वक्तव्य मेरे पास तैयार है, मैं उसे सभा पटल पर रखूंगा । मैं उसे पढ़ कर सुनाऊं या सभा पटल पर रखूं, आप की क्या इच्छा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या लम्बा वक्तव्य है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उसे पढ़ने में १० या ११ मिनट लगेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : चूंकि यह वक्तव्य महत्वपूर्ण विषय के संबंध में है अतः यदि उसे सभा में पढ़ कर सुनाया जा सके तो सुनाया जाय ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि आपकी इच्छा है तो मैं उसे पढ़ कर सुनाऊंगा ।

यह वक्तव्य अभी हाल में अमरीका और टर्की, ईरान और पाकिस्तान के बीच हुये सैनिक सहायता के तीन करारों के संबंध में हैं ।

२९ जुलाई, १९५८ को बगदाद करार परिषद की एक बैठक लंदन में हुई थी । यह बैठक इराक की क्रान्ति के तुरन्त बाद हुई थी । इस बैठक में ईरान, पाकिस्तान, टर्की और ब्रिटेन के प्रधान मंत्रियों तथा अमरीका के विदेश मंत्री श्री डलेस की ओर से एक घोषणा जारी की गयी थी । घोषणा की एक प्रति इस वक्तव्य के साथ संलग्न है । घोषणा के अन्तिम पैरे में अमरीका की ओर से दिये गये वचन का उल्लेख है । यह पैरा इस प्रकार है :

> "२४ फरवरी, १९५५ को बगदाद में आपसी सहयोग के सम्बन्ध में जिस करार पर हस्ताक्षर किये गये थे, उसके अनुच्छेद १ में यह व्यवस्था की गई है कि समझौते में सम्मिलित सभी पक्ष अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए सहयोग करेंगे और इस प्रकार के सहयोग को क्रियात्मक रूप देने के उद्देश्य से वे जिन उपायों को करने के लिये सहमत हों, उनके लिए अलग समझौते किये जा सकते हैं । इसी प्रकार अमरीका भी विश्व शांति के हित में और कांग्रेस द्वारा दिये गये वर्तमान अधिकारों के अनुसार इस घोषणा में सम्मिलित देशों को उनकी सुरक्षा और बचाव के लिए सहयोग देना स्वीकार करता है और इस प्रकार के सहयोग को क्रियात्मक रूप देने के लिए वह समझौते करने के लिए तत्पर रहेगा ।"

अमरीका की ओर से दिये गये इस वचन के अनुसार मार्च, १९५९ के आरम्भ में अंकारा में बातचीत शुरू हुई और ५ मार्च को अमरीका ने टर्की, ईरान और पाकिस्तान के साथ अलग अलग तीन करार किये । ये तीनों करार बिल्कुल एक ही तरह के हैं । पाकिस्तान और अमरीका के साथ हुये करार की एक प्रति इस वक्तव्य के साथ संलग्न है ।

५ मार्च, १९५८ के इस करार का अनुच्छेद १ इस प्रकार है :—

> "पाकिस्तान की सरकार आक्रमण का सामना करने के लिए कटिबद्ध है । यदि पाकिस्तान पर आक्रमण किया गया तो वहां की सरकार के अनुरोध पर उसकी सहायता के लिए अमरीका की सरकार अपने राष्ट्र के संविधान के अनुसार ऐसी कार्यवाही करेगी, जिसमें सेनाओं का प्रयोग भी सम्मिलित है, जो दोनों देशों में आपस में तय होगी, और जो मध्य-पूर्व में शांति और व्यवस्था कायम रखने सम्बन्धी संयुक्त संकल्प के अनुसार होगी ।"

इस अनुच्छेद से यह स्पष्ट है कि अमरीका ने, पाकिस्तान पर आक्रमण होने पर, वहां की सरकार के अनुरोध पर उसकी सहायता करना स्वीकार किया है और इसके लिए वह सभी उचित उपाय करेगा, जिसमें सेनाओं का प्रयोग भी सम्मिलित है । परन्तु ये उपाय :—

(अ) अमरीका के संविधान के अनुसार होने चाहियें; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ब) मध्य-पूर्व में शांति और स्थिरता स्थापित रखने के सम्बन्ध में स्वीकार किये गये संयुक्त संकल्प के, जिसे साधारणतया "आईजनहावर सिद्धान्त" कहा जाता है, अनुसार होंगे ।

अमरीका के संविधान के अनुसार वहां की कांग्रेस की विशेष आज्ञा के बिना अमरीकी सेनाएं किसी दूसरे देश की सहायता के लिए नहीं भेजी जा सकतीं । पारस्परिक सुरक्षा अधिनियम के अनुसार अमरीकी सरकार को अन्य देशों को आर्थिक और सैनिक सहायता देने का अधिकार है, परन्तु अमरीकी सेनाएं किसी दूसरे देश के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकतीं । परन्तु अमरीकी कांग्रेस के ९ मार्च, १९५७ के संयुक्त संकल्प के अनुसार कांग्रेस की खास आज्ञा के बिना भी वहां की सेनायें दूसरे देश की सहायता के लिए प्रयोग की जा सकती हैं । इस संयुक्त संकल्प की, जिसे साधारणतया मध्य-पूर्व के लिए आइजनहावर सिद्धान्त कहा जाता है, एक प्रति वक्तव्य के साथ संलग्न है ।

इस संयुक्त संकल्प की धारा २ में कहा गया है :—

"राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाता है कि वह मध्य-पूर्व के क्षेत्र में किसी भी ऐसे देश या देशों की सैनिक सहायता के कार्यक्रम को हाथ में ले सकें, जो सहायता प्राप्त करना चाहते हों । अमरीका की दृष्टि में विश्व में शान्ति बनाये रखने के लिए मध्य-पूर्व के देशों की स्वतंत्रता और अक्षुण्णता की रक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझें तो अमरीका किसी भी ऐसे देश के, या देशों की सहायता के लिए अपनी सेनाओं का प्रयोग करने को तैयार है, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद द्वारा नियंत्रित किसी देश के हमले के खिलाफ़ उससे सहायता का अनुरोध किया हो, लेकिन शर्त यह है कि अमरीकी सेनाओं का प्रयोग अमरीकी संविधान के अनुसार तथा अमरीका द्वारा की गई संधियों के दायित्व के अनुसार किया जायेगा ।"

वक्तव्य के साथ संलग्न दस्तावेजों और मुख्यतया उपरोक्त अंशों को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि अमरीकी सरकार पाकिस्तान को न केवल आर्थिक और सैनिक सहायता देना जारी रखेगी, बल्कि यदि पाकिस्तान पर कोई ऐसा देश आक्रमण करे, जो अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के नियंत्रण में हो तो पाकिस्तान की सरकार की सहायता के लिये उसके अनुरोध पर अमरीकी सेनाओं का प्रयोग भी करेगी ।

लेकिन पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने इस करार की व्यापक व्याख्या की है । पाकिस्तान द्वारा दी गयी व्याख्या तथा इस करार द्वारा उत्पन्न संदेहों को देखते हुए अमरीकी सरकार से स्पष्टीकरण के लिये कहा गया । अमरीका के अधिकारियों ने हमें विश्वास दिलाया है कि पाकिस्तान के साथ जो नया द्विपक्षीय करार किया गया है, उसका असर केवल यह है कि पाकिस्तान को आइजनहावर सिद्धान्त के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है और आइजनहावर सिद्धान्त के अनुसार अमरीकी सेनायें केवल तभी काम में लाई जा सकती हैं यदि पाकिस्तान पर कोई ऐसा देश हमला करे, जो अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के नियंत्रण में हो । इस के अतिरिक्त हमें यह आश्वासन खास तौर से दिया गया है कि नया करार भारत के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जा सकता । अमरीकी अधिकारियों ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस समझौते में कोई गुप्त धारायें नहीं हैं फिर और न कोई अलग पूरक गुप्त समझौता है ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पाकिस्तान के प्रवक्ता समय-समय पर यह कहते रहे हैं कि अमरीका के साथ सुरक्षा सहायता सम्बन्धी करार करने का उनका उद्देश्य भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मजबूत करना ही है । हमने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान को दी गई अमरीकी सैनिक सहायता वहां के अधिकारियों में हमलावर प्रवृत्ति को उकसाती है और पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव और संघर्ष को बढ़ाती है । कुछ समय से हम यह देखते रहे हैं कि जम्मू और काश्मीर में तोड़-फोड़ और विनाश की कार्यवाइयों में पाकिस्तान ने अमरीका में बने हुए सैनिक सामान का प्रयोग किया है । यह कहना कठिन है कि यह सामान अमरीकी सैनिक सहायता के अनुसार पाकिस्तान को मिला है या उसने सामान्य व्यापारिक तौर पर वहां से खरीदा है । नये करार का पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने जो व्यापक अर्थ लगाया है, वह हमारे लिये बहुत चिन्ता का विषय बन गया है, खास तौर से इसलिये कि पिछले अनुभव से हमें यह स्पष्ट मालूम हुआ है कि पाकिस्तान की आक्रमक कार्यवाही बराबर बढ़ती ही गयी है ।

अमरीका के प्राधिकारियों ने हमें जो आश्वासन दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं पर आक्रमण की परिभाषा करना वास्तव में कठिन है । पाकिस्तानी अधिकारी आक्रमण करते रहे हैं और फिर उस से इनकार भी करते रहे हैं । पिछले अनुभवों को देखते हुए और पाकिस्तान की लगातार धमकियों और नये करार की उसकी व्याख्या के कारण भारत के लिये यह विश्वास करना कठिन है कि दूसरे देशों से प्राप्त सहायता का वह भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं करेगा, यद्यपि दूसरे देशों ने हमें इस सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन दे दिया है । इसलिये हमने अमरीका से फिर अनुरोध किया है कि वह स्थिति को और भी अधिक स्पष्ट करे ।

हम ने बार-बार यह दोहराया है कि हमारी यह निश्चित नीति है कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध या किसी और देश के विरुद्ध आत्मरक्षा के सिवाय और किसी भी दशा में सैनिक कार्यवाही नहीं करेंगे । हमें विश्वास है कि अमरीका की सरकार और वहां के लोग भारत के प्रति सद्भावना रखते हैं और वे किसी भी ऐसी व्यवस्था, चाहे वह औपचारिक हो अथवा अनौपचारिक या खुली हो अथवा गुप्त, में शामिल नहीं होंगे, जिस से भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचता हो ।

कल की चर्चा में एक और बात उठाई गई थी । हमारे एक वरिष्ठ पदाधिकारी मेजर जनरल हेण्डरसन ब्रुक्स का जिक्र विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने किया । कहा गया कि वह भारतीय राष्ट्रजन नहीं हैं । इस पर मैंने कहा था कि मेजर जनरल ब्रुक्स एक भारतीय राष्ट्रजन हैं और एक योग्य सक्षम तथा निष्ठावान पदाधिकारी हैं । श्री पटनायक ने मेरे इस कथन पर संदेह प्रकट किया था । मैंने मामले की जांच करा ली है और स्थिति यह है ।

मेजर जनरल ब्रुक्स का जन्म बर्मा में हुआ था और १९२९ में उन्हें सम्राट के कमीशन प्राप्त भारतीय पदाधिकारी के रूप में कमीशन दिया गया । सम्राट के कमीशन प्राप्त सभी भारतीय पदाधिकारी भारतीय अधिवर्सी होते थे और मेजर जनरल ब्रुक्स को सर्वदा भारतीय राष्ट्रजन माना गया है । १९५० में जब संविधान बना उस के शीघ्र बाद ही अन्य भारतीय सेना पदाधिकारियों की ही भांति उन्होंने भी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने विशेष योग्यता से कार्य सम्पन्न किया ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : प्रधान मंत्री ने बताया कि यह द्विपक्षीय करार अमरीका के संविधान तथा उसके करार आभारों के संदर्भ में किया गया है । अतः मैं वैदेशिक कार्य मंत्रालय से निवेदन करूंगी कि वह हमें सीटो तथा अमरीका के परस्पर सुरक्षा अधिनियम की मूल प्रतियां उपलब्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

कराये ताकि हम उन खण्डों का अध्ययन कर सकें। इस से हमें वैदेशिक कार्य मंत्रालय के वाद-विवाद में भी सहायता मिलेगी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह उपलब्ध करा दी जा सकती हैं, वास्तव में कई बार इन्हें प्रकाशित किया जा चुका है। मैं समझता हूं कि लोक सभा सचिवालय ने इन सब दस्तावेजों का एक संकलन प्रकाशित किया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उस में उन करारों का ही संक्षिप्त विवरण है जिस में हम भी एक पक्ष हैं। उसमें उन करारों का उल्लेख नहीं है जिन में हम एक पक्ष नहीं हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्या हमें बतायें कि किन-किन दस्तावेजों की प्रतियां उन्हें चाहियें उन्हें वे सब मिल जायेंगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं एक प्रति मंगा दूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत के जीवन बीमा निगम का प्रतिवेदन

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा २९ के अन्तर्गत भारत के जीवन बीमा निगम की १ सितम्बर, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक की अवधि के प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे सहित, सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० १२८२/५९]

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ३   छठा सत्र, १९५८

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १८]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ७   पांचवां सत्र, १९५८

[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १९]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १६   चौथा सत्र, १९५८

[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २०]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १८   तीसरा सत्र, १९५७

[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २१]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २२   दूसरा सत्र, १९५७

[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २२]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २०   पहला सत्र, १९५७

[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २३]

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमों में संशोधन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४९४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० १२८१/५९]

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वापसी (ब्रांड दरें) नियमों में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वापसी (ब्रांड दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) दिनांक २८ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २२८ ।

(२) दिनांक २८ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २२९ ।

(३) दिनांक २८ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २३० ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० १२८२/५९]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) दिनांक २८ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २३२ ।

(२) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (ब्रांड दरें) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २८ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २३३ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० १२८३/५९]

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, ९ मार्च, १९५९ को मेरे द्वारा घोषित अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान के क्रम के अनुसरण में, मैं आप की अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि १६ मार्च से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा :—

(१) अणु शक्ति विभाग

(२) वैदेशिक कार्य मंत्रालय

(३) शिक्षा मंत्रालय

---

†मूल अंग्रेजी में।

(४) विधि मंत्रालय

(५) गृह-कार्य मंत्रालय; और

(६) सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : उस दिन आप ने बताया था कि प्रत्येक सप्ताह में एक "अनियत दिन वाला प्रस्ताव" लिया जायेगा । अगले सप्ताह के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन यह भी तय हुआ था कि जब तक अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी, हम प्रतिदिन ६ बजे तक बैठा करेंगे । माननीय सदस्यों के लिये उसके बाद बैठना बहुत कठिन होगा । अत: अन्य किसी विषय पर चर्चा हो सकना कठिन होगा । विशेष स्थिति में हम ऐसे किसी प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकते ।

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा श्री सतीशचन्द्र द्वारा १२ मार्च, १९५९ को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :

> "कि अधिकृत लेखापाल अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर, संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

श्री नरसिंहन् अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि): पहले हमें इस अधिनियम का इतिहास देख लेना चाहिये । यह अधिनियम संविधान सभा के अन्तिम दिन पुर:स्थापित किया गया था । उस समय इसके उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में इसका उद्देश्य यह बताया गया था कि केवल कुछ ही निश्चित विषयों पर सरकारी नियंत्रण रखा जायेगा । लेकिन अब इस संशोधन द्वारा सरकार जो शक्ति ग्रहण करना चाहती है वह किसी भी निश्चित विषय के लिये नहीं होगी । इस संशोधन द्वारा जो शक्ति मांगी जा रही है वह असीमित होगी । जबकि मूल अधिनियमन का उद्देश्य इसका बिल्कुल ही उल्टा था ।

संविधान सभा में, श्री के० सी० नियोगी ने इसके सम्बन्ध में कहा था कि परिषद् के लिये प्रादेशिक आधार पर सदस्य निर्वाचित किये जायेंगे और उसमें केन्द्रीय सरकार तथा वाणिज्यिक हितों के कुछ नामजद सदस्य भी रहेंगे । परिषद्, कुछ निश्चित विषयों के अतिरिक्त, सभी अन्य विषयों में स्वायत्त रहेगी । सरकार की ओर से किये जाने वाले सारे कृत्य परिषद् ही करेगी और वही पारस्परिकता के आधार पर विदेशी अर्हताओं को मान्यता दे सकेगी । श्री नियोगी ने लेखापाल संस्था को स्वायत्त निकाय बनाने के सिद्धान्त पर ज़ोर दिया था । बाद में, यह अधिनियमन देश पर लागू किया गया था । पिछले अवसर पर, इस विधान की चर्चा के समय, श्री भगत ने अधिकृत लेखापाल संस्था को उसके उपयोगी कार्य के लिये बधाई भी दी थी । इसका मतलब तो यही है कि सरकार को उसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी । लेकिन अब सरकार इन असीमित शक्तियों को ग्रहण करके सभी विषयों पर अपना नियंत्रण करना चाहती है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री नरसिंहन्]

संयुक्त समिति जब लागत तथा निर्माण-कार्य लेखापाल विधेयक पर विचार कर रही थी, तब अधिकृत लेखापाल संस्था के प्रतिनिधि भी बुलाये गये थे। उस विधेयक में भी इसी प्रकार की व्यवस्थायें थीं। इसीलिये समिति ने उन प्रतिनिधियों से सरकार की अतिरिक्त शक्तियों और परिषद् पर सरकार के हावी होने के बारे में कुछ प्रश्न पूछे थे। हमें उनकी राय की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। अधिकृत लेखापाल संस्था के एक भूतपूर्व सभापति, श्री जी० पी० कापाडिया ने उस समय सरकारी नियंत्रण के बारे में कहा था परिषद् जैसे स्वायत्त निकाय में सरकारी हस्तक्षेप होने के कारण उसका काम ठीक से नहीं चल पाता। होता यह है कि नामज़द सदस्य ही परिषद् की नीति के विधायक बन जाते हैं। श्री कापाडिया अधिकृत लेखापालों के एक अत्यन्त ही सम्माननीय व्यक्ति हैं। उनकी राय पर विचार अवश्य किया जाना चाहिये।

अधिकृत लेखापाल संस्था की ओर से भेजे गये, श्री चोकसी ने संयुक्त समिति के सामने कहा था कि उनकी, और परिषद् की भी, राय में सरकार को अधिकृत लेखापालों की इस स्वायत्त संस्था के बारे में ऐसी व्यवस्थायें नहीं करनी चाहिये, क्योंकि यह संस्था जीवन बीमा निगम, या भारत का राज्य बैंक जैसी संस्थाओं से भिन्न प्रकार की है। यह स्वायत्त संस्था ऐसे शिक्षित लोगों की है जो कुछ विषयों का पांडित्यपूर्ण अध्ययन करने और उनका प्रशिक्षण प्राप्त करने में लगे हैं। सरकार को उन्हें निदेश देने ही नहीं पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि अनुभव भी यही है कि अधिकृत लेखापाल संस्था ने सरकार की सभी सलाहों को स्वीकार किया है और कभी भी सरकार को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने से रोका नहीं है।

इसलिये इस अधिनियमन का मूल विचार यही था कि संस्था को स्वायत्त और सहकारी बनाया जाये।

अब हम उस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने के बाद और अधिकृत लेखापाल संस्था के प्रतिनिधियों के विचार जान लेने के बाद भी, उस पर असीमित नियंत्रण रखने की व्यवस्था करना चाहते हैं। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। मैं इसके विरुद्ध हूं कि अधिकृत लेखापालों की स्वायत्त संस्था पर हावी होने के लिये सरकार को इतनी असीमित शक्तियां प्रदान की जायें। सरकारी अधिकारियों को मनमानी करने की छूट नहीं दी जानी चाहिये। उस निकाय में एक सरकारी प्रतिनिधि की उपस्थिति ही पर्याप्त है।

यह भी शंका उठाई गई थी कि लागत लेखापालों और अधिकृत लेखापालों में प्रतियोगिता होगी। इसे दूर करने के लिये खण्ड ६ को संशोधित किया जाना चाहिये कि अधिकृत लेखापाल लागत लेखापाल भी बन सकते हैं। मैं इसकी सूचना नहीं दे सका हूं। हमें यह आशा नहीं थी कि यह विधान कल लिया जायेगा। इसीलिये मैंने आज सूचना दी है। यदि ऐसा संशोधन नहीं किया जाता, तो अधिकृत लेखापाल लागत लेखापालों के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है। माननीय मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये।

खण्ड २५ में एक व्यवस्था है कि अधिकृत लेखापाल अपना कोई अनुचित प्रचार या विज्ञापन न करे। व्यवस्था यह भी है कि वह किसी भी दस्तावेज में अपने आपको अधिकृत लेखापाल नहीं बतायेगा। इसमें कठिनाइयां होंगी। इसको कुछ ऐसे ढंग से संशोधित किया जाना चाहिये कि यदि कोई अधिकृत लेखापाल यदि किसी पद के लिये प्रार्थनापत्र भेजे तो उसमें अपनी पूरी अर्हतायें तो लिख सके।

मैंने एक और संशोधन की सूचना दी है। एक मूल धारा को हटाने के लिये। वह धारा संशोधन विधेयक में नहीं है।

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : १९५२ के निरसन तथा संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत धारा ३३ निरसित हो चुकी है।

†**श्री नरसिंहन्** : तब मुझे और कुछ नहीं कहना।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : अधिकृत लेखापाल संस्था १९४९ के मूल अधिनियम के अन्तर्गत गठित की गई थी। सात वर्ष बाद, १९५६ के संशोधन विधेयक पर चर्चा करते समय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक रखा जायेगा। लेकिन यह संशोधन विधेयक वह व्यापक विधेयक नहीं है। अच्छा तो यह होता कि सरकार अधिकृत लेखापाल संस्था के कार्य-संचालन की और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेती, उसका अनुभव समझ लेती, और उसकी आवश्यकताओं को जान लेने के बाद ही एक व्यापक विधेयक तैयार करती।

इस व्यवसाय की काफ़ी गहराई से जानकारी हासिल करना जरूरी है। इसकी वर्तमान दशा असंतोषजनक है। आजकल इस व्यवसाय पर लेखापालों की कुछ संस्थाओं का एकाधिकार है, जैसे फर्गुसन एण्ड कम्पनी, लो, लौक एण्ड लेविस, बिलीमोरिया एण्ड कम्पनी, इत्यादि। ये एकाधिकारी संस्थायें इस पेशे का गला घोंट रहे हैं। इन संस्थाओं का सम्बन्ध बड़ी बड़ी औद्योगिक तथा वाणिज्यिक फर्मों से है। बल्कि कुछ तो सगे-सम्बन्धी भी हैं। यानी वे लेखापरीक्षकों को भी नियंत्रित करती हैं, और उन फर्मों को भी जिनके लेखों की परीक्षा की जाती है। माननीय मंत्री यदि चाहें, तो मैं उनको निजी तौर पर ऐसी संस्थाओं के नाम भी दे सकता हूं।

†**श्री सतीश चन्द्र** : हम पहले से जानते हैं।

†**श्री वारियर** : और, समवाय विधि की व्यवस्थायें कुछ ऐसी हैं कि गैर-सरकारी सीमित समवायों के साधारण अंशधारी इन लेखा-परीक्षकों की नियुक्तियों के बारे में अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। इसलिये दोनों ही प्रकार के निकाय कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहते हैं। वही लोग सभी अंशों का नियंत्रण करते हैं और वही लेखा-परीक्षकों की नियुक्तियां भी करते हैं। इसलिये उनकी अनियमितताओं का कभी पता ही नहीं चल पाता। साधारण अंशधारियों को मुनाफा ही नहीं मिल पाता।

दूसरी चीज़ यह है कि इन लेखा परीक्षक संस्थाओं का कुछ समवायों की लेखा-परीक्षा करने का अधिकार जैसे परम्परागत बन चुका है। लेखा परीक्षकों की वही संस्थायें अपने लेखा परीक्षक भेजती रहती हैं। मतलब यह कि नियुक्ति व्यक्ति की नहीं, संस्था की होती है। समवाय विधि की व्यवस्था के अनुसार उनको बदला नहीं जा सकता। इससे नये भर्ती होने वाले लेखा परीक्षकं को बड़ी कठिनाई होती है।

ये एकाधिकारी संस्थायें नये लेखापालों को क्षेत्र में उतरने ही नहीं देतीं।

अब यदि नये लोगों को भी क्षेत्र में उतरने का अवसर दिया जाये और उन को भी फर्मों की लेखा-परीक्षा का काम दिया जाये, तो यह एकाधिकार टूट जायेगा।

इस के लिये जरूरी है कि नये लेखापालों के प्रशिक्षण और उन के लेखापाल बनने से संबंधित व्यवस्थाओं को अधिक उदार बनाया जाये। अभी तो ये एकाधिकारी संस्थायें सारे व्यापार पर छाई हुई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : ऐसा क्यों न किया जाये कि महालेखापरीक्षक एक प्रथक विभाग स्थापित करें, जिस में इन लोगों का प्रशिक्षण किया जाये ? उन को समवायों से स्वतंत्र रखा जाये ।

†श्री वारियर : यदि सरकार इसे मान ले तो और भी अच्छा है ।

†श्री सतीश चन्द्र : माननीय सदस्य जिन अधिकृत लेखापालों का उल्लेख कर रहे हैं, वे समवायों की सेवा में नहीं रहते । वह अधिकृत लेखापालों की संस्थाओं की बात कर रहे हैं । तीन-चार अधिकृत लेखापाल मिल कर एक संस्था आरम्भ कर सकते हैं और अपना व्यवसाय चला सकते हैं । वह संस्था, अधिवक्ताओं की संस्था की भांति, स्वतंत्र ही रहती है । माननीय सदस्य उन अधिकृत लेखापालों की बात नहीं कह रहे हैं जिन्हें समवाय अपने लेखों की परीक्षा के लिये नियुक्त करते हैं ।

†श्री वारियर : नये अधिकृत लेखापालों को कोई भी समवाय नहीं रखता ।

†अध्यक्ष महोदय : इसीलिये मैंने दो रास्ते सुझाये हैं । नये अधिकृत लेखापाल शिक्षार्थी बनें । और दूसरा यह कि महालेखा परीक्षक इन सब लोगों की एक सूची रखे और उन्हें क्रमश: काम के अनुसार विभिन्न समवायों में भेजते रहें । इस से एकाधिकार मिट जायेगा ।

†श्री सतीश चन्द्र : यह व्यवसाय ऐसा ही है जैसाकि अधिवक्ताओं, वास्तुकारों या इंजीनियरों का । किसी भी समवाय से यह नहीं कहा जा सकता, उसे विवश नहीं किया जा सकता कि अमुक अधिकृत लेखापाल को ही रखे । अर्हता प्राप्त लोग होते हैं, और उन में से समवाय खुद ही अपने लिये चुनता है कि वह किस की सलाह लेना चाहता है । . . . . .

†अध्यक्ष महोदय : लेकिन सरकारी समवायों से तो कहा जा सकता है . . . . .

†श्री सतीश चन्द्र : लेकिन माननीय सदस्य निजी फर्मों की बात कह रहे हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं संयुक्त स्कन्ध समवायों की बात कह रहा हूं । संयुक्त स्कन्ध समवाय तो सार्वजनिक समवाय ही होता है, जिस में जनता के लोग अंशधारी होते हैं और जिन पर सरकार नियंत्रण करती है कि उस के निदेशक कौन हों । उस में तो एकाधिकार नहीं हो सकता । उस के लेखों की परीक्षा होती है । निदेशकों और लेखा-परीक्षकों के बीच आपसदारी नहीं होनी चाहिये । एकाधिकार बन जाने से तो नये लोगों को अवसर ही नहीं मिलता ।

†श्री सतीश चन्द्र : समवाय अधिनियम के अन्तर्गत निदेशक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकते ; उन की नियुक्ति तो अंशधारियों की आम बैठक में ही की जाती है ।

†अध्यक्ष महोदय : लेकिन सभी जानते हैं कि साधारण अंशधारियों को आम बैठक में जाने का समय ही नहीं मिलता । उन की कोई आवाज़ ही नहीं होती । माननीय मंत्री को इस पर गहराई से विचार करना चाहिये ।

समवाय विधि की व्यवस्था के अनुसार लेखा-परीक्षक को पंजीयित लेखापाल होना चाहिये । जहां तक शिक्षार्थियों का सम्बन्ध है, समवाय वाले अपने सगे-सम्बन्धियों को चुन लेते हैं, और अन्य प्रतिभाशाली लेखापालों को अवसर ही नहीं मिलता । उन बेचारों को भी अवसर मिलना चाहिये ।

अंशधारी समवायों के धन पर अधिक नजर नहीं रख सकते । समवायों का धन जनता की सम्पत्ति होता है । इसलिये अब समय आ गया है कि महालेखापरीक्षक को इतनी शक्तियां दी जायें कि

---

† मूल अंग्रेजी में

वह लेखा-परीक्षक के कार्य का उचित बंटवारा कर सके। तब लेखा-परीक्षक निदेशकों की दया पर आश्रित नहीं रहेंगे और तब वे अनियमितताओं को बड़ी निर्भीकता से सामने रख सकेंगे।

†श्री आचार (मंगलौर) : इस के लिये समवाय अधिनियम को संशोधित करना पड़ेगा।

†श्री वारियर : मैं आप की बहुमूल्य सलाह के लिये धन्यवाद देता हूं। आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी और यदि आवश्यक हो तो समवाय अधिनियम को संशोधित करेगी।

मैं भी एक समवाय का अंशधारी हूं। वह समवाय अब परिसमापित हो चुका है। और, हाल यह था कि लेखा-परीक्षक हर वर्ष उस समवाय को प्रमाणित करते आ रहे थे कि वह प्रगति कर रहा है। इस से स्पष्ट है कि निदेशकों और लेखा-परीक्षकों के बीच एक प्रकार की साठ-गांठ हो जाती है, और बेचारे अंशधारियों को कुछ पता ही नहीं चलता।

अंशधारियों का यही अनुभव है कि वे लेखा-परीक्षकों पर या निदेशकों की नियुक्तियों पर उचित नियंत्रण नहीं कर सकते। जनता तो अंधकार में ही रखी जाती है। इस व्यवसाय की स्वतंत्रता कायम रखी जानी चाहिये।

यह व्यवसाय अधिवक्ताओं के व्यवसाय जैसा नहीं है। इस व्यवसाय के साथ तो समूची जनता के हित गुंथे हुए हैं। इसलिये इस व्यवसाय को स्वतंत्र और निर्भीक बनाये रखना चाहिये।

ब्रिटिश शासन काल में लेखा-परीक्षकों की ब्रिटिश फर्में ही ब्रिटिश व्यावसायिक संस्थाओं पर एकाधिकार जमाये थीं और ७५ प्रतिशत से अधिक पूंजी ब्रिटिश लोगों के हाथ में ही थी। यह एकाधिकार इसी तरह पैदा हुआ था।

अब कुछ भारतीय एकाधिकारी भी पैदा हो गये हैं। ये दोनों प्रकार के एकाधिकारी मिल कर इस व्यवसाय का गला घोंट रहे हैं। लेखा-परीक्षकों की कुछ फर्में तो कुछ समवायों के निदेशकों के निर्वाचन का भी नियंत्रण करती हैं। फिर, निदेशक भी उन के खिलाफ कैसे जा सकते हैं?

व्यापक विधेयक का मुख्य उद्देश्य इस एकाधिकार को मिटाना ही होना चाहिये। नये आने वाले लोगों के लिये अनुकूल वातावरण तैयार किया जाना चाहिये। लेकिन उसे तो और सीमित किया जा रहा है। अर्थ-व्यवस्था के प्रसार को देखते हुए, इस व्यवसाय में नये लोग कम ही आये हैं। इस व्यवसाय को आकर्षक बनाया जाना चाहिये। लेकिन हो बिल्कुल उल्टा ही रहा है। संस्था ने अपनी परीक्षाओं की पद्धति और भी दुरूह बना दी है। लोगों को एक ही परीक्षा में कई बार बैठना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो हम परीक्षाओं की पद्धति हटाने की बात सोच रहे हैं, लेकिन उन परीक्षाओं को और भी जटिल बना दिया गया है।

नये लोगों शिक्षार्थियों (आर्टिकिल्ड क्लर्कों) को पांच वर्ष तक अधिकृत लेखापालों के नीचे काम करना पड़ता है। उस काल में उन्हें कोई भी वास्तविक उपलब्धि नहीं होती। उन का शोषण किया जाता है।

माननीय मंत्री ने कहा है कि यही वह व्यापक विधेयक है, जिस का कि आश्वासन दिया गया था। इन सब पहलुओं के बिना, यह विधान व्यापक नहीं कहा जा सकता।

सरकार अधिकृत लेखापाल संस्था में नामज़द सरकारी सदस्यों की संख्या ५ से बढ़ा कर ६ कर देना चाहती है। होता यह है कि संस्था की परिषद् के नामज़द सदस्य ही हमेशा बैठकों में

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

उपस्थित रहते हैं। अन्य सदस्य बड़ी-बड़ी दूर रहने के कारण अक्सर नहीं आ पाते। जब नामजद सदस्यों से ही गणपूर्ति हो जाती है, तब अन्य सदस्यों की जरूरत नहीं रह जाती।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अन्य सदस्यों को अपनी उपस्थिति में कोई सार ही नहीं दिखाई देता। इसलिये परिषद् का सारा काम सरकारी नामजद् सदस्यों के ही हाथ में रहता है। सरकार इसीलिये निर्वाचित सदस्यों की संख्या और भी कम करना चाहती है। स्वायत्तता तो नाम मात्र की है।

संस्था को वास्तव में स्वायत्त बनाया जाना चाहिये। निरन्तर प्रसार करती हुई हमारी अर्थव्यवस्था के हित में यही है कि इस क्षेत्र में नये उतरने वाले लोगों को अधिक सुविधायें और अवसर दिये जायें। इसीलिये मैंने अपने संशोधन में सरकारी नामजद सदस्यों की संख्या ६ से घटा कर ३ कर देने की बात कही है।

हम तो चाहते थे कि समूची धारा २४ को हटा दिया जाये। लेकिन सरकार इस में एक और नया खण्ड जोड़ रही है। नये खण्ड में व्यवस्था की जा रही है कि केन्द्रीय सरकार परिषद् से कोई भी नया विनियमन करने या पहले के विनियमन को संशोधित करने के लिये कह सकती है। यदि परिषद् उसे न माने, तो सरकार स्वयं उन को लागू कर सकती है।

फिर, स्वायत्तता की तो कोई बात ही नहीं रह जाती।

यह बात तो मेरी समझ में आती है कि सरकार परिषद् को कोई सलाह दे, और परिषद् उसे मान ले। लेकिन इस नयी व्यवस्था से तो परिषद् सरकार के अधीन हो जायेगी।

यदि माननीय मंत्री संस्था की स्वायत्तता खतम करना चाहते हैं, तो उन्हें साफ कहना चाहिये। ऐसी मनमानी की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि संस्था के गत नौ वर्षों के अनुभवों का लाभ उठा कर एक ऐसा व्यापक विधेयक तैयार किया जाये, जो एकाधिकार खतम कर के नये लोगों को अधिक अवसर जुटा सके। इस व्यवसाय को स्वतंत्र बनाये रखना चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं श्री वारियर से सहमत हूं कि इस विषय पर एक व्यापक विधेयक रखा जाना चाहिये।

मैं यह नहीं कहता कि श्री वारियर ने अधिकृत लेखापालों से सम्बन्धित जितनी भी शिकायतें बताई हैं, वे सही हैं। लेकिन यह जरूर है कि अधिकृत लेखापालों और संयुक्त स्कन्ध समवायों के निदेशकों में काफी हद तक और कई मामलों में साठ-गांठ रहती है।

इस से इस व्यवसाय की प्रतिष्ठा पर आंच आती है। अब समस्या यह है कि व्यवसाय की खोई हुई प्रतिष्ठा को बहाल किया जाये और साथ ही एकाधिकार को भी खतम किया जाये।

इसलिये, मैं समझता हूं कि इस संस्था पर सरकारी नियंत्रण और अधिक किया जाना चाहिये। तभी यह उद्देश्य पूरा किया जा सकेगा। यह सही है कि संस्था के प्रतिनिधि अधिक स्वायत्तता की मांग करते हैं और हम भी पहले उस के पक्ष में थे। लेकिन अब हमें, इन शिकायतों को देखते हुए, अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। इसीलिये मुझे खुशी है कि सरकार अब कुछ मामलों में कड़ाई कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसीलिये, धारा ७ञ की यह व्यवस्था बहुत ठीक है कि संस्था अपने कुछ सदस्यों को हटा भी सकती है । इसका प्रभाव संयुक्त स्कन्ध समवायों के कार्य-संचालन पर बहुत अच्छा पड़ेगा ।

यदि इसी दृष्टि से खण्ड ८ को भी देखा जाये, तो २४ निर्वाचित सदस्यों में ६ सरकारी नामजद सदस्य रहना ठीक ही है । वैसे यह अलोकतांत्रिक व्यवस्था लगती है । लेकिन आखिर इस संस्था को एक ठोस आधार पर तो रखना ही है ।

हां, सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि वे नामज़द सदस्य बहुत ही योग्य और ईमानदार प्रशासक हों । जनता उनका सम्मान करती हो ।

साथ ही, यह भी ध्यान रखना चाहिये कि वे सदस्य अनुपस्थित न रहें । उन्हें सदा ही संस्था के सम्पर्क में रहना चाहिये । बाद में, यदि यह संशोधन विधेयक उपयोगी सिद्ध नहीं होता, या इसका उचित फल नहीं निकलता, तो सरकार अपने अनुभव के आधार पर दूसरा संशोधन विधेयक भी रख सकती है ।

यह भी बड़ी अच्छी बात है कि अनुशासन समिति के कृत्यों को पारिभाषित कर दिया गया है । विभिन्न इन्सपैक्टरों पर नियन्त्रण रखने के लिये भी कोई संगठन जरूरी है । हमारा अनुभव यही बताता है । लेकिन ऐसी कोई भी संविहित व्यवस्था कहीं भी नहीं की गई है । हमारे इन्सपैक्टर छोटे-मोटे मुगल बादशाह बन जाते हैं । वे नवाबों की तरह काम करने लगते हैं । इसलिये उनके नियन्त्रण के लिये भी एक संगठन हर विभाग में रहना चाहिये । स्वतन्त्र भारत में सभी व्यवसायों की बदनामी होने का कारण ही यह है कि उनमें उचित अनुशासन की कमी है । अधिकृत लेखापाल सार्वजनिक निधियों और राशियों, इत्यादि की रक्षा करेंगे, देश के हितों, जनता के हितों की रक्षा करेंगे, इसलिये इस व्यवसाय में उचित अनुशासन होना बहुत जरूरी है । इसलिये अनुशासन समिति की व्यवस्था भी उचित है ।

साथ ही, यह भी उचित ही है कि अनुशासन समिति को असीमित शक्तियां नहीं दी गई हैं । यह भी लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के अनुकूल है । समिति के निर्णयों की भी अपील की जा सकेगी ।

इस खण्ड के उचित ढंग से प्रवृत्त किये जाने पर नये अधिकृत लेखापालों की कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण भाग वह है जो शिक्षार्थी (आर्टिकिल्ड) और लेखा क्लर्कों के बारे में है । वह विधेयक का खण्ड २३ है । मैं जानता हूं कि इस विषय में शीघ्र ही नियम सूचित किये जायेंगे ।

उन नियमों में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि नये लोग आसानी से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें ।

हमारे देश में शिक्षार्थी प्रशिक्षण की प्रणाली अच्छी तरह प्रचलित नहीं है । जापान में तो हर उद्योग में ऐसी प्रणाली मिलती है । बड़ी खुशी की बात है कि इस विधेयक में उसकी भी कुछ व्यवस्था की गई है । अन्य व्यवसायों के लिये भी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये । आशा है कि इन नियमों को सभा-पटल पर रखा जायेगा । इन नियमों को अधिक से अधिक स्पष्ट शब्दों में रखना चाहिये ।

श्री वारियर ने खंड २४ पर आपत्ति की है । मैं तो समझता हूं कि उससे संस्था की स्वायत्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह सीमित नहीं होगी । ऐसी व्यवस्था तो हर लोकतान्त्रिक निकाय के लिये की जाती है । केन्द्रीय सरकार को अपना नियन्त्रण रखने के लिये वह शक्ति करनी ही पड़ेगी,

[श्री दी० चं० शर्मा]

जिससे कि वह आवश्यक विनियमनों को लागू करा सके । केन्द्रीय सरकार को सन्तुलन कायम रखना ही पड़ेगा ।

फिर भी, मेरी भावना है कि यह विधेयक बहुत ही अपर्याप्त, अपूर्ण और असन्तोषप्रद है । फिर भी मौजूदा परिस्थिति में उसका समर्थन किया ही जाना चाहिये । हम क्रमशः एक ऐसे समाज की नींव डालने जा रहे हैं जिसमें पूंजीपति युवकों की राह में रोड़े नहीं अटकायेंगे। तब स्पष्ट है कि दूसरे ही ढंग का विधेयक रखा जायेगा । लेकिन तब तो हमारे विधेयक ऐसे ही अपूर्ण रहेंगे ।

मंत्रालय को मेरी सलाह है कि कुछ समय बाद एक ऐसा व्यापक विधेयक तैयार कर, जो श्री नरसिंहन् और श्री वारियर की इच्छाओं की पूर्ति कर सके । उसमें इस संस्था को पूर्ण स्वतन्त्रता दी जा सकती है ।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : इस विधेयक को पढ़कर मैंने यह भावना बनाई थी कि सरकार इस संस्था को स्वायत्तशासी संस्था बनाना चाहती है । लेकिन खंड २४ पढ़ कर मेरी भावना पर आघात हुआ । खण्ड २४ द्वारा नई धारा ३० (क) रखी जायेगी । इस धारा की उपधारा (१) व (२) में यह निहित है कि सरकार बिना कारण दिखाये, इस संस्था के किसी भी नियम को जो उसके द्वारा बनाया गया हो, या बनाया जाने वाला हो, उसे संशोधन या निरसन करने का आदेश दे सकती है । यदि संस्था उनके निदेश का पालन नहीं करेगी तो वह स्वयं एक आदेश निकाल कर वांछनीय परिवर्तन कर सकती है ।

सरकार द्वारा उक्त अधिकार लेने का कोई कारण नहीं दिखाया गया है । मेरे विचार से इस प्रकार की तानाशाही शक्तियां लेना किसी स्वायत्तशासी संस्था की स्वतन्त्रता पर कुठाराघात करना है । आशा है माननीय मंत्री इसका कारण बतायेंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : अधिकांश सदस्यों ने धारा ३० (क) पर आपत्ति उठायी है क्योंकि उनका विचार है कि सरकार इससे संस्था की स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर रही है । मेरे विचार से यह उचित है और मैं इसका समर्थन भी करता हूं । वस्तुतः बात यह है कि किसी भी देश की विकसित अर्थ व्यवस्था उस देश के उद्योग तथा व्यापार पर निर्भर करती है । और उद्योग तथा व्यापार की स्वस्थ प्रगति तत्सम्बन्धी हिसाब किताब रखने और उसकी जांच के तरीके पर निर्भर करती है । हम जानते हैं कि हिसाब किताब रखने के सम्बन्ध में काफी धांधली चलती है और दुहरे हिसाब रखे जाते हैं और इस प्रकार कर अपवंचन किया जाता है । अब तक के हमारे अनुभव का परिणाम यह है कि यद्यपि हिसाब किताब पर अधिकृत लेखापाल के हस्ताक्षर होते हैं और वे उनके द्वारा स्वीकृत होते हैं तथापि उसमें फिर भी बहुत कुछ त्रुटियां रहती हैं ।

ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि सरकार अधिकृत लेखापालों को कुछ सीख देवे और इस प्रयोजन के लिये उन्होंने यह शोधक खंड रखा है । अन्यथा सरकार को इस संस्था पर हस्तक्षेप करने से और क्या लाभ मिल सकता है । वस्तुतः हम पिछले १० वर्षों के अनुभव से ही इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण इन संस्थाओं पर रखना चाहिये जिससे व्यापारिक क्षेत्र में हिसाब किताब ठीक और सही ढंग से रखा जाय । अतः मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

खंड २४ (क) में 'व्यक्ति' शब्द रखा गया है । इस मामले में मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । मेरे विचार से उसके स्थान पर 'समवाय, समिति, संघ या संस्था' शब्द रखे जाने चाहियें ।

अब मैं खण्ड २४ (क) (२) को लेता हूं इसके भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । यद्यपि इस खंड में दण्ड का विधान किया गया है तथापि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दण्ड कौन देगा या किस को दिया जायेगा ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : राज्य सभा ने इस पर संशोधन कर दिया है । राज्य सभा ने अन्य कई उपबन्धों पर भी संशोधन किया है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यदि ऐसा है तो ठीक है । इस विधेयक में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया है कि लागत लेखे को अधिकृत लेखे से पृथक् रखने की व्यवस्था की गई है । सरकार का विचार है कि लागत लेखे को पृथक् रखने से उस प्रणाली का उचित विकास हो सकेगा । तथापि मेरा विचार भिन्न है । वस्तुतः लागत लेखा व्यवस्था की शाखा हमारे देश में अभी प्रारम्भिक अवस्था में है, इसमें अभी उपयक्त व्यक्तियों की भी कमी है । अतः इस शाखा को अधिकृत लेखापालों के अनुभव से लाभ उठाने देना उचित होगा । अभी से इसे पृथक् रखकर इसका वांछनीय विकास नहीं हो पायेगा । साथ ही लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक भी अभी हाल सभा में आने वाला है । यदि हम पृथकता के इस सिद्धान्त को अपनाते हैं तो इसका यह अर्थ होगा कि हम उस विधेयक में भी इन बातों को सहमति प्रदान करते हैं । अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि इसके कारण को स्पष्ट करने की कृपा करें ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स के काम को रैगुलेट करने के लिये जो यह संशोधन विधेयक हमारे सामने उपस्थित किया गया है उस के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि देश में अब जो आर्थिक व्यवस्था क़ायम होने जा रही है उसमें इस प्रकार के संशोधन का महत्व पहले से बहुत बढ़ गया है । पहले भी इस संशोधन का महत्व था लेकिन अब जब प्राइवेट और पबलिक दोनों सैक्टरों का खुला विकास हो रहा है और समाज के कल्याण के लिये सरकार ने बहुत से अधिकार अपने हाथ में लिये हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पेशे के संचालन के लिये जो अधिकार इस कानून के द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स का जो इंस्टीट्यूट है, उन को दिया गया है वह मुनासिब ही है । इस संस्था को परीक्षा आदि लेने का और संस्था के सम्बन्ध में भी काम को संचालन करने का पूरा अधिकार दिया गया है और यह उचित ही है । इस संस्था को परीक्षा लेने का उसी तरह अधिकार है जैसेकि हमारे देश में शिक्षा संस्थाओं जैसे यूनिवरसिटियों और टेकनिकल इंस्टीट्यूट्स की परीक्षायें ले कर डिग्री और डिप्लोमा देने का अधिकार है । अब जहां तक मुझे मालूम है टेकनिकल इंस्टीट्यूट्स या युनिवरसिटीज़ जिस ऐक्ट के द्वारा संचालित होते हैं उस के अन्दर रैगुलेशंस बनाने का अधिकार उन संस्थाओं को होता है लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सी संस्थाओं में विज़िटर की नियुक्ति होती है चाहे वह विज़िटर प्रान्त के गवर्नर हों अथवा हमारे राष्ट्रपति हों । उदाहरण के लिये इंडियन इंस्टीट्यूट आफ़ टेकनोलाजी, खड़कपुर है, उस के बहुत से विभाग हैं और उस की परीक्षाएं ले कर डिप्लोमा और सर्टिफ़िकेट्स आदि देने का पूरा अधिकार है लेकिन जो वह रैगुलेशन्स बनाते हैं, उन की स्वीकृति उन को राष्ट्रपति से करानी पड़ती है । इसी प्रकार से प्रान्तों में जो युनिवरसिटियां हैं, उन को एक्ट के अन्दर रैगुलेशन्स बनाने का अधिकार होता है लेकिन उस की स्वीकृति उन को वहां के गवर्नर से लेनी पड़ती है और इस का यह मतलब होता है कि वह स्वीकृति

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री श्रीनारायण दास]

गवर्नर साहब अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में नहीं देते हैं बल्कि वे एक तरह से अपने डिपार्टमेंट्स अथवा मंत्रालयों के द्वारा उन पर विचार करा कर स्वीकृति देते हैं ।

इस ऐक्ट के अन्दर रैगुलेशन्स बनाने का अधिकार तो इस संस्था को है। अभी मुझ से पहले हमारे एक माननीय और श्रद्धेय नेता ने इस संशोधन विधेयक का इस बिना पर विरोध किया है कि इस में गवर्नमेंट को बहुत वाइड पावर्स दी गई हैं तो मेरा कहना यह है कि उस कौंसिल को रैगुलेशन्स बनाने का अधिकार तो है लेकिन यदि कभी सरकार को यह मालूम पड़ेगा कि किसी रैगुलेशन में संशोधन करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है अथवा उस को हटाने की ज़रूरत है तो सरकार कौंसिल को कहेगी कि अमुक समय के अन्दर, ३० दिन का समय इस में दिया गया है कि ३० दिन के अन्दर आप उस को संशोधित कर दें लेकिन अगर कौंसिल उस के अनुसार संशोधन न करे तब गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वह इसे स्वयं कर सकती है । मैं तो जो यह संशोधन है उस का समर्थन करता हूं । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं और उस के समर्थन में अभी जो हमारे सामने एक दूसरा विधेयक कोस्ट एवं वर्क्स एकाउन्टेंट्स बिल आने वाला है, उस के अन्दर भी कौंसिल आफ़ स्टेट में इस बात की बड़ी बुद्धिमानी दिखाई गई है कि उस में रैगुलेशन्स बनाने का अधिकार तो उस कौंसिल को रहेगा लेकिन उन रैगुलेशन्स का एप्रूवल गवर्नमेंट से कराना होगा । गवर्नमेंट द्वारा उन रैगुलेशंस के ऐप्रूव होने पर ही उन पर अमल होगा । मैं कहना चाहूंगा कि यह चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स अमेंडमेंट बिल जो इस समय हमारे सामने उपस्थित है उस में भी कौंसिल को सब रैगुलेशंस बनाने का अधिकार हासिल है लेकिन गवर्नमेंट को उन रैगुलेशंस को स्क्रुटनाइज़ करने का अधिकार हासिल होना ही चाहिये और अगर उन रैगुलेशंस में कुछ तबदीली वह आवश्यक समझे तो वह उस में कर सके । पुराने क़ानून में यह अधिकार गवर्नमेंट को नहीं है । मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट के ऐप्रूवल से यह रैगुलेशंस एनफ़ोर्स हों ।

जहां तक मेरा ख्याल है इस क़ानून के अन्दर रूल्स वग़ैरह बनाने का अधिकार सरकार को नहीं है । रैगुलेशंस बनाने का अधिकार कौंसिल को दिया जा रहा है लेकिन मैं चाहूंगा और इस की ज़रूरत भी है कि जो रैगुलेशंस बनाये जायें जो वह गवर्नमेंट की स्वीकृति से पास हों और उन रैगुलेशंस की एक प्रति भी सदन के सामने रक्खी जानी चाहिये जैसेकि और क़ानूनों आदि की रक्खी जाती हैं । अभी तक तो यही व्यवस्था है कि सरकार जो भी क़ानून और रूल्स आदि बनाये उन को संसद् के सामने एक निश्चित अवधि के लिये रक्खा जाता है और चाहे उसी अधिवेशन में या उसके बाद जो दूसरा अधिवेशन हो उस में, और अगर पार्लियामेंट यह समझे कि उनमें संशोधन करने की ज़रूरत है तो पार्लियामेंट उन में संशोधन कर सकती है और तब जो रैगुलशंस और रूल्स होते हैं वे पार्लियामेंट की इच्छानुसार संशोधित कर दिये जाते हैं । मैं कहना चाहूंगा कि इस कानून के अन्दर भी यह व्यवस्था रहनी चाहिये कि कौंसिल भले ही रैगुलेशंस बनाये लेकिन उन की सरकार द्वारा मंजूरी ज़रूरी हो और सरकार द्वारा मंजूर होने के बाद एक निश्चित अवधि के लिये जैसेकि और क़ानूनों और रैगुलेशंस को हमारे यहां सदन में रक्खा जाता है, उसी तरह इन रैगुलेशंस को भी संसद् के दोनों सदनों के सामने एक निश्चित अवधि के लिये रक्खा जाय । अब युनिवरसिटियों में जो परीक्षाएं ले कर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स वग़ैरह देती हैं, उन में विज़िटर का प्राविज़न होता है और विज़िटर की मंजूरी मिलने के बाद ही वह रेगूलेशंस अमल में आते हैं लेकिन इस संस्था के क़ानून के अन्दर कोई विज़िटर नहीं है जबकि उन को परीक्षा लेने का अधिकार है और उन को डिग्री और डिप्लोमा देने का अधिकार है, बिना डिप्लोमा के कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, उस में जब विज़िटर का प्राविज़न नहीं है तो फिर गवर्नमेंट की मंजूरी लेना आवश्यक होना चाहिये और इस सदन को मौका मिले कि उन में किसी प्रकार की कोई कमी या खामी पाये तो उनमें संशोधन कर सके ।

यही थोड़ा सा कहने के लिये मैं ने आप का समय लिया । अब एक बात कह कर मैं खत्म कर दूंगा । बहुत से माननीय सदस्यों ने भी यह मांग की है कि एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाया जाय और मैं भी इस में उन से सहमत हूं । मेरा ख्याल है कि हमारे देश में और भी कई तरह के पेशे और संस्थायें हैं जिन को कि अपने पेशे को संचालन करने के लिये और उस में जो बुराई है उस बुराई को दूर करने के लिये या किसी प्रकार का अनाचार, भ्रष्टाचार या अनैतिकता उनमें कोई करता है । तो उन को दंड देने की व्यवस्था उन संस्थाओं को है । और इस बिल में भी यह अधिकार उस कौंसिल और डिसिप्लनरी कमेटी को हासिल है । इस संशोधन विधेयक में किसी ऐग्रीव्ड इंस्टीट्यूट के मेम्बर को हाईकोर्ट में कौंसिल के निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार दिया गया है । इस क़ानून के अन्दर जो कौंसिल आप बनाने वाले हैं उस को एक निश्चित अवधि तक सज़ा देने का अधिकार दिया गया है । वह दोषी पाये गये व्यक्ति का लाइसेंस ले सकती है अलबत्ता हाईकोर्ट में यदि वह अपील करता है तो हाईकोर्ट जो उस बारे में निर्णय करेगा वह मान्य होगा । मैं समझता हूं कि यह सब बातों का जो इस में समावेश किया गया है वह बहुत ही ठीक है लेकिन जैसेकि मैं ने पहले कहा कि देश की जो वर्तमान अवस्था है, उस अवस्था में अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाली जितनी संस्थायें हैं और जैसेकि अभी आगे आने वाले विधेयक से मालूम होता है कि इस बात की आवश्यकता समझी गई कि किस कारखाने में क्या उत्पादन खर्चा होता है अथवा किसी वस्तु के दाम क्या होने चाहियें, इन सब का निर्णय करने के लिये अभी कोई इस प्रकार की संस्था नहीं है, कोई इस तरह के विशेषज्ञ नहीं हैं जो इस बात की जानकारी करा सकें और इसी लिये हम लोग एक दूसरा विधेयक बनाने जा रहे हैं । मेरा तो कहना सिर्फ यह है कि इस प्रकार के कानून को फिर से जांचने की ज़रूरत है, रैव्यू करने की ज़रूरत है और देश की जो मौजूदा अर्थ व्यवस्था है उस में यह ज़रूरी हो जाता है कि यह संस्था स्वतंत्र तो हो लेकिन उस स्वतंत्रता का रैगुलेशन भी नियमित रूप से होना चाहिये । अब जैसेकि हमारे एक माननीय सदस्य ने कम्पनी क़ानून के बारे में कहा कि उन को अधिकार है कि जिस किसी को वे चाहें बहाल कर सके लेकिन शेयरहोडर्ल्स के अधिकारों की रक्षा कहां तक होती, इस को देखने की ज़रूरत है और इसलिये यह ज़रूरी हो जाता है कि समाज का नियंत्रण किसी न किसी रूप में इस प्रकार की संस्था पर होना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

†**श्री सतीशचन्द्र** : श्रीमान्, माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई कुछ बातों के सम्बन्ध में मैं अपने भाषण में बता चुका हूं और उन के सम्बन्ध में अब अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं ।

मुझे खेद है कि लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक की संयुक्त समिति के निष्कर्ष मेरे मित्र श्री नरसिंहन् को सन्तुष्ट नहीं कर पाये । इस संशोधन विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में अपनी बात को प्रमाणित करने के लिये उन्होंने निर्माण लेखापाल विधेयक की संयुक्त समिति में श्री कपाडिया तथा श्री चोकसी द्वारा दिये गये साक्ष्यों का विस्तृत उल्लेख किया । वह स्वयं संयुक्त समिति के सदस्य थे पर उन्हों ने अपना कोई विमति टिप्पण नहीं दिया था । पहले चूंकि वह मौन थे अतः हम समझते थे कि हम ने उन को सन्तुष्ट कर दिया है और उन्हों ने अपना विचार बदल दिया है । पर मैं देखता हूं कि वह अभी भी सन्तुष्ट नहीं हो पाये हैं । जब संयुक्त समिति ही, जिस में इस सभा और उस सभा दोनों के अनेक बुद्धिमान सदस्य थे, उन को सन्तुष्ट नहीं कर पाई, तो इस अवसर पर उन्हें सन्तुष्ट कर पाना मेरे लिये कठिन होगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री सतीश चन्द्र]

इस संशोधन द्वारा सरकार विनियम बनाने का जो अधिकार ले रही है, उस के वे विरुद्ध हैं। सच तो यह है कि इस विधेयक को पुरस्थापित करने के पूर्व भी सरकार को अधिकार था पर एक भिन्न रूप में। १० वर्षों के अनुभव से पता लगा कि वह अधिकार पर्याप्त नहीं था। इस समय सरकार उस संस्था की परिषद् के विचार के लिये विनियमों का संशोधन करने का सुझाव दे सकती है। संस्था की परिषद् द्वारा बनाये गये विनियम तब तक अन्तिम रूप से नहीं मान्य होते जब तक कि सरकार उन का अनुमोदन न कर दे। इस विधेयक द्वारा यह किया जा रहा है कि सरकार संस्था की परिषद् को विनियमों में संशोधन करने का सुझाव दे सकती है और यदि परिषद् सरकार से सहमत न हो तो भी सरकार इन विनियमों में संशोधन कर सकती है।

इस संस्था के संचालन के सम्बन्ध में इस सभा में तथा उस सभा में अनेक शिकायतें की गईं। श्री वारियर मानते हैं कि संस्था की कई बातें संतोषजनक नहीं हैं, परिषद् की अनेक बातों में उनके कथनानुसार छानबीन किये जाने की आवश्यकता है, फिर भी वह नहीं चाहते कि सरकार ये अधिकार अपने हाथों में ले। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि विनियम बनाने का यह अधिकार बेपरवाही से इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सभी व्यावसायिक संस्थाओं में, चिकित्सा परिषद् के सम्बन्ध में भी, ऐसे अधिकार सरकार के पास सुरक्षित हैं। गत १० वर्षों से अधिकृत लेखापाल संस्था एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में काम करती आई है और आगे भी वह इसी रूप में काम करेगी। डा० अणे की यह धारणा सही नहीं है कि एक नयी संस्था बनाई जा रही है। यह संस्था पिछले १० वर्षों से है। पर संस्था की परिषद् में मत वैषम्य होने के कारण कुछ कठिनाइयां सामने आई हैं। इसी कारण कई बार छोटी-छोटी बातों को तय करने में बहुत अधिक समय लग जाने की घटनायें हुई हैं। मैं यह नहीं कहता कि संस्था ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। मैंने अपने पूर्व भाषण में संस्था की प्रशंसा भी की है। इस संस्था ने इस व्यवसाय के लिए अच्छी परम्परायें स्थापित की हैं तथा आचार के सुस्तर स्थापित किये हैं। इसने अपने सदस्यों पर अनुशासन भी रखा है। फिर भी कई बार सदस्यों के मतभेद के कारण छोटी-छोटी बातों का निर्णय करने में भी बहुत समय लग गया है।

अब जो अधिकार सरकार ले रही है उसका उपयोग, संस्था की परिषद् को विचार करने का अवसर दिये बिना, नहीं किया जायेगा। पर जिन मामलों में इस संस्था के विकास तथा उसकी उन्नति के लिए सरकार का अपेक्षित होना, उनके इस अधिकार का प्रयोग बहुत ही सावधानी से किया जायेगा।

†**श्री नरसिंहन्**: यह संविहित नहीं है कि उन्हें चर्चा करने का अवसर दिया जायेगा।

श्री सतीश चन्द्र: अनेक बातें ऐसी होती हैं, जिन्हें संविधि में नहीं रखा जा सकता पर सरकार का क्या इरादा है यह बात स्पष्ट है। मैं समझता हूं कि समवाय विधि विभाग के पदाधिकारी इस आश्वासन को ध्यान में रखेंगे।

इस व्यवसाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित तथा सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों की संख्या के अनुपात की बात भी उठाई गयी। इस सम्बन्ध में ऐसा लगता है कि लोगों को काफी गलतफहमी है। श्री वारियर ने तथा अन्य कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों की संख्या ५ से बढ़ा कर ६ की जा रही है पर यह बात गलत है।

---

† मूल अंग्रेज़ी में

इस समय स्थिति यह है कि संस्था के १५० सदस्य परिषद् के लिए एक सदस्य को चुन सकते हैं। इस समय २० चुने हुए सदस्य हैं। अधिनियम में उपबन्ध है कि सरकार द्वारा नियुक्त ५ सदस्य होंगे। अतः सदस्यों की कुल संख्या २५ है।

यह व्यवसाय बढ़ रहा है और इसके सदस्यों की संख्या भी बढ़ रही है। चूंकि इस में कोई सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है अतः परिषद बहुत बड़ी हो जायेगी। अब परिषद् की कुल संख्या ३० निर्धारित की जा रही है जिसमें २४ निर्वाचित सदस्य होंगे और ६ सदस्यों की नियुक्ति सरकार करेगी। इस प्रकार निर्वाचित व नियुक्त किये गये सदस्यों की संख्या का अनुपात वही रहेगा जो इस समय है।

भूतकाल में सरकार द्वारा नियुक्त जो ५ सदस्य थे वे सब पदाधिकारी नहीं थे। इस सम्बन्ध में भी कुछ गलतफहमी है। समवाय विधि प्रशासन विभाग का केवल एक ही व्यक्ति परिषद में नियुक्त है। दो व्यक्ति फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री तथा एसोशियेटेड चैम्बर आफ कामर्स के सुझाव पर नियुक्त किये जाते हैं। ये दोनों व्यक्ति सामान्यतः इसी व्यवसाय के सदस्य होते हैं। ये अर्हताप्राप्त अधिकृत लेखापाल होते हैं जिन्हें सरकार उक्त दोनों संस्थाओं की राय से नियुक्त करती है। एक व्यक्ति महालेखा परीक्षक की ओर से नियुक्त किया जाता है। इस समय वाणिज्यिक लेखा परीक्षण का निदेशक परिषद् का सदस्य है। अतः समवाय विधि प्रशासन विभाग के एक व्यक्ति को छोड़ कर ये सारे व्यक्ति, जो नियुक्त किये जाते हैं, सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते। वे इसी व्यवसाय के व्यक्ति होते हैं और विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पांचवां सदस्य प्रतिरक्षा मंत्रालय का होता है। वह भी अधिकृत लेखापाल होता है।

सरकार का प्रतिनिधि केवल एक ही सदस्य होता है। अतः यह कहना सही नहीं है कि नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों का अनपात बढ़ाया जा रहा है और वे परिषद् के निश्चयों पर मनमाना प्रभाव डालते हैं। २५ सदस्यों की परिषद् में एक सरकारी सदस्य की बात का दबाव इन अधिकृत लेखापालों पर कैसे पड़ सकता है। यह तो एक असंगत तर्क है; इसमें कोई बल नहीं है।

शिक्षार्थियों के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया है अतः मैं उनके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने एकाधिकार की बात बार-बार कही है। मैं समझता हूं कि यह बात इस प्रसंग में ठीक नहीं जंचती।

किसी समवाय के अंशधारी ही अधिकृत लेखापाल का चुनाव करते हैं; चाहे वह निदेशकों के प्रबन्ध वाला समवाय हो या किसी अन्य प्रकार के प्रबन्ध वाला। अधिकृत लेखापाल को यह अनुमति नहीं है कि वह किसी संस्था में काम करने के लिए या किसी संस्था में नियुक्त किये जाने के लिए कोशिश या प्रयत्न करे। यह कहना भी गलत है कि अभी इस प्रकार के एकाधिकारवादी हित हैं। यदि माननीय सदस्य सावधानी से अधिनियम का अध्ययन करें तो उन्हें विदित होगा कि अधिकृत लेखापाल संस्था के शिक्षा प्राप्त सदस्य ही किसी संस्था के सदस्य बन सकते हैं। यह नहीं है कि २, ३ या ४ व्यक्ति मिल कर संस्था बना लें।

जो शिक्षार्थी वरिष्ठों के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उन्हें व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर भी दिया जाता है। सैद्धान्तिक शिक्षा तो संस्था में दी जाती है। व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा का अवसर उन्हें वरिष्ठों के अधीन मिलता है।

मैं निवेदन करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये और उसे पारित किया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अधिकृत लेखापाल अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से ७

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ७ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से ७ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ८ (धारा ९ का संशोधन)

†**श्री वारियर :** मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ९ से २३ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड २४ (नई धारा ३०-क का रखा जाना)

†**श्री वारियर :** मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री नरसिंहन् :** मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ और १ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २४ विधेयक में जोड़ दिया गया
खण्ड २५ और २६ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १

संशोधन किया गया

पृष्ठ १, पंक्ति ४,—

["1958" (१९५८)] के स्थान पर ["1959" (१९५९)] रखा जाये।

(श्री सतीश चन्द्र)

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ १, पंक्ति १,—

["Ninth year" (नवें वर्ष)] शब्दों के स्थान पर ["Tenth year" (दसवें वर्ष)] शब्द रखे जायें ।

(**श्री सतीश चन्द्र**)

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री सतीश चन्द्र :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन से, जो ११ मार्च १९५९ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने की नीति के संबंध में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा २७ फरवरी, १९५९ को श्री वासुदेवन् नायर द्वारा प्रस्तुत निम्न संकल्प पर आगे चर्चा करेगी :

"कि इस सभा की यह राय है कि नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने की नीति में इस तरह परिवर्तन किया जाये कि नये एकक कम विकसित क्षेत्रों में, जब तक कि ऐसे क्षेत्रों में कच्चा माल प्राप्त करने में अधिक कठिनाइयां न हों, स्थापित करने पर ज़ोर दिया जाये ।"

श्री वासुदेवन नायर अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

†**श्री वासुदेवन नायर (तिरुवल्ला)** : उपाध्यक्ष महोदय गत अवसर पर में नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने के सम्बन्ध में सभा द्वारा स्वीकृत सामान्य नीति के बारे में बता रहा था । मैं यह कह रहा था कि सरकार ने उस नीति को ठीक तरह से लागू करने की ओर ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया है । आप उद्योग-व्यापार पत्रिका को देखिये उससे पता लग जाता है कि अक्तूबर १९५६ से अक्तूबर १९५८ तक कुल १२३० नई अनुज्ञप्तियां दी गईं जिसमें से ४४४ अनुज्ञप्तियां बम्बई को दी गईं । दूसरा नम्बर बंगाल का आता है जिसको २३३ तथा तीसरा नं० मद्रास का है जिसको १३९ अनुज्ञप्तियां दी गईं । मेरे राज्य केरल को सबसे कम अर्थात ३४ दी गईं । इससे पता लग जाता है कि जब इस सभा ने इस प्रकार की नीति स्वीकार कर ली है कि अल्प विकसित क्षेत्रों के विकास को नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्तियां दी जायेंगी तब भी केवल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को ही प्राथमिकता दी गई है । समवाय अधिनियम के कार्यवहन प्रशासन के मार्च १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन को देखने पर मालूम होता है कि इस वर्ष में ८४८ नये समवायों का पंजीकरण किया गया जिसमें से ३०१ पश्चिमी बंगाल में, १७० बम्बई में थे । इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि हमारी किस प्रकार की प्रगति हो रही है ।

मैं अन्य राज्यों के सम्बन्ध में अधिक कुछ न कह कर अपने राज्य मद्रास के सम्बन्ध में अधिक बताता हूं । आप जानते हैं कि हमारे राज्य की स्थिति कितनी चिन्ताजनक है । खाद्य स्थिति बड़ी खराब है बेकारी बहुत बढ़ी हुई है । इसीलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के अन्य राज्यों से अधिक ध्यान मेरे राज्य को दिया जाना चाहिए । मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री अपने भाषण में बतायेंगे कि केरल में डी० डी० टी० फैक्टरी बनाई गई है । परन्तु यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें केवल २०० व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त अन्य उद्योग जैसे नारियल जटा उद्योग अथवा हथकरघा उद्योग हैं, उनको उद्योग कहा जाना ही गलत है । इन उद्योगों को जिस स्थिति में वह हैं उस स्थिति में रखना ही हमारे लिए बड़ा कठिन हो रहा है । हमारी यही शिकायत है कि सरकार केरल में स्थित उद्योगों की ओर उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना उसको देना चाहिए ।

रबड़ उद्योग को लीजिये । मुझे पता लगा है कि इस उद्योग की तीन अनुज्ञप्तियां दी गई हैं जिनमें से एक केरल राज्य को दी गई है । परन्तु जिस व्यक्ति को वह अनुज्ञप्ति दी गई है उसने न तो उसका उपयोग अभी किया है तथा न ही निकट भविष्य में वह करेगा । अन्य दोनों अनुज्ञप्तियां मद्रास तथा बम्बई को दी गई हैं । आप जानते हैं कि समस्त भारत का ९७ प्रतिशत रबड़ का उत्पादन केरल में होता है और इस पर भी इस राज्य के बाहर यदि इस उद्योग को स्थापित किया जाये तो कितनी अजीब सी बात है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे राज्य में बिजली सबसे सस्ती है। मजदूर बड़े दक्ष तथा कम वेतन पर मिल जाते हैं। परन्तु इतना सब कुछ होने पर भी इस रबड़ उद्योग को बम्बई में स्थापित किया जा रहा है। और वह भी समाचारों के अनुसार एक इटली की सार्थ के साझे में। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री स्पष्ट करें कि किन कारणों से इस सार्थ को जो बम्बई कारखाना बना रही है, केरल में कारखाना बनाने के लिए बाध्य नहीं किया गया।

अगिया घास (लैमन ग्रास) तेल को लीजिए हमारे किसान यह आशा कर रहे थे कि इस उद्योग की अनुज्ञप्ति अवश्य केरल राज्य को मिलेगी क्योंकि भारत में इसका शत प्रतिशत उत्पादन केरल में ही होता है। परन्तु इसका कारखाना पूना में बनाया जा रहा है।

मैं एक और बात बताना चाहता हूं। इस सभा में यह घोषणा की गई थी कि सरकारी क्षेत्र में एक सुरक्षा प्रेस केरल राज्य के कोराटूटी नगर में स्थापित की जा रही है। परन्तु हाल में ही मुझे पता लगा है कि इस निर्णय में कुछ परिवर्तन कर दिये गये हैं और आधा प्रेस कोयम्बटूर में तथा आधा कोराटूटी में अब स्थापित होगा। मैं एक तो यह जानना चाहता हूं कि ऐसा करने के क्या कारण हैं। दूसरे जो आधा कोराटूटी में बनाया जायेगा वह कब तक बनना आरम्भ हो जायेगा क्योंकि हमने सुना है कि दूसरी योजनावधि में उसको न लाने का निर्णय कर लिया गया है।

अब आप जहाज बनाने के दूसरे यार्ड को लीजिये। कल माननीय परिवहन तथा संचार मंत्री ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि ब्रिटिश विशेषज्ञ इस यार्ड की प्रविधिक समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। इस उत्तर से हमें कई शंकायें हो गई हैं। केरल राज्य के वित्त मंत्री ने भी अपने आय-व्ययक भाषण में इस यार्ड के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय करने में विलम्ब होने के कारण चिन्ता व्यक्त की है। मैं चाहता हुं कि सरकार इसके बारे में शीघ्र अन्तिम निर्णय कर ले।

इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि मेरे राज्य केरल की बड़ी उपेक्षा की जाती है। मैं स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार के विचारार्थ दो तीन सुझाव देता हूं। राज्य सरकारों को सहायता दी जानी चाहिये जिससे वह उद्योगों की स्थापना कर सकें और गैर-सरकारी पूंजीपतियों के सहारे न बैठे रहें। हमारे देश में औद्योगिक वित्त निगम, वित्त निगम, औद्योगिक विकास तथा ऋण निगम, राज्य वित्त निगम आदि इस प्रकार की संस्थायें बनी हुई हैं जिससे गैर-सरकारी क्षेत्र को सहायता मिलती है। परन्तु ऐसी कोई संस्था नहीं है जिससे राज्य सरकारों की कुछ सहायता हो सके। इस नीति का पुनरीक्षण करके ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे उद्योगों को स्थापित करने में राज्य सरकार किसी का आश्रय न ढूंढें। दूसरे सरकार को कम से कम हमारे राज्य के बारे में अपनी इस नीति का उल्लंघन कर देना चाहिए कि राज्य सरकार, गैर-सरकारी पूंजीपतियों के साथ मिल कर नया उद्योग स्थापित नहीं कर सकती है।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि तीसरी योजना बन रही है और उसमें हमारे राज्य पर पूरी तरह ध्यान रखा जाना चाहिए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री पाणिग्रही** : (पुरी) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री पुन्नूस** (अम्बलयुजा) : म अपना संशोधन संख्या २ प्रस्ताव करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दा० रा० चावन** (कराड़) : मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री मूल चन्द जैन** (कैथल) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव ६ प्रस्तुत करता हूं।

श्री मू० चं० जैन : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो रेजोल्यूशन मूव हुआ है जहां तक इसकी स्पिरिट का ताल्लुक है, मैं इसको सपोर्ट करता हूं। इसके यह मानी नहीं हैं कि अब तक हमारी गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान था कि मुख्तलिफ इलाकों में नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स जारी न किये जायें और सभी को एक ही जगह पर कंसेंट्रेट किया जाए। लेकिन चूंकि इससे पहले भी गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान था, इस वास्ते जब भी लाइसेंस दिये जाते थे या पब्लिक सैक्टर में नए कारखाने खोले जाते थे और खोले जाते हैं, उनको खोलते समय मुख्तलिफ इलाकों का अवश्य ख्याल कर लिया जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है कि अंग्रेजों के ज़माने की वजह से कहिये या फर्स्ट फाइव ईअर प्लान के शुरू होने से पहले के वाकात को देखिये या कुछ-कुछ दूसरी पंचवर्षीय योजना के वक्त के पहले के हाल को देखिये, कुछ ऐसा इरैगुलर डिवेलेपमेंट हुआ है इंडस्ट्रीज़ का कि जिससे यह जरूरी मालूम देता है कि गवर्नमेंट का ध्यान नए सिरे से इस बात की तरफ दिलाया जाए और उसको बतलाया जाए कि जिन-जिन इलाकों में अभी तक बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ जारी नहीं हुई हैं या जो इलाके इंडस्ट्रियली बहुत पीछे हैं, उनकी तरफ भी उसका ध्यान जाना चाहिये। मैं नहीं समझता हूं कि इस रेजोल्यूशन की मुखालिफत हाउस के किसी भी सैक्शन की तरफ से होगी। प्लानिंग कमीशन की दूसरे प्लान के सम्बन्ध में जारी की गई रिपोर्ट में भी इस बात पर जोर दिया गया है और साथ ही साथ स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन ने भी जब वह हदबन्दियों की बाबत गौर कर रही थी, इस बात की तरफ ध्यान दिलाया है कि इंडस्ट्रियल डिवेलेपमेंट के लिहाज़ से गवर्नमेंट जरूर इस बात का ख्याल रखे कि जिन-जिन इलाकों में इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, वहां पर नई इंडस्ट्रीज़ खोली जायें और उन इलाकों का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। इसलिये रेजोल्यूशन के मूवर महोदय को मैं मुबारिकवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसके जरिये गवर्नमेंट का फिर से ध्यान इस बुनियादी मसले की तरफ दिलाया है।

उन्होंने खास तौर पर अपनी स्टेट यानी केरल का ज़िक्र किया है। केरल स्टेट के बारे में भी कुछ ऐसी लापरवाही कहिये या इंडिफ्रेंस कहिये, बरती गई होगी, इससे मैं इंकार नहीं करता हूं। लेकिन आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों यू० पी० का मामला सामने आया था। यू० पी० के चीफ मिनिस्टर ने हालांकि वह कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इस बात का गिला किया था और न सिर्फ गिला किया था बल्कि उन्होंने पार्लियामेंट के जो यू० पी० के मेम्बर हैं उनकी कनवैनशन कर खास तौर पर इस बात की शिकायत की थी कि इंडस्ट्रियल डिवेलेपमेंट के मामले में सेंटर की तरफ से कुछ उनकी स्टेट के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है और वैसा सलूक नहीं हो रहा है जैसा कि होना चाहिये। अब हो सकता है कि यू० पी० के हमारे साथी यू० पी० का केस प्लीड करें जिस तरह से केरल के मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने केरल का केस प्लीड किया है। मैं भी पंजाब के बारे में मिनिस्टर साहब की खिदमत में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं।

जहां तक पंजाब का ताल्लुक है और जहां तक रा मैटीरियल्स के मिलने का सवाल है, मेरे ख्याल में सारे हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा वह वहीं पर होता है। जहां तक काटन का सवाल है, वह वहां बहुत ज्यादा होती है। जहां तक बिजली मिलने का सवाल है भाखड़ा नंगल की वजह से जितनी सस्ती बिजली अब पंजाब में पैदा हो रही है उतनी सस्ती बिजली शायद और कहीं पैदा नहीं हो रही है और उतनी मात्रा में नहीं हो रही है। हमारे यहां नंगल में फर्टिलाइज़र फैक्ट्री बन रही है। जहां

---

†मूल अंग्रेजी में

तक पावर का ताल्लुक है वहां पर दो छोटे-छोटे पावर हाउस लग चुके हैं और अब एक लैफ्ट बैंक की तरफ भी लग रहा है। लेकिन इतना होने पर भी डिमांड पावर की पूरी नहीं हो सकती है। वहां से पावर दिल्ली भी एक्सपैक्ट करता है, राजस्थान भी एक्सपैक्ट करता है और अगर और भी किसी को दी जा सके तो वह सूबा भी एक्सपैक्ट करता है। जो पावर हाउस लैफ्ट बैंक पर बन रहा है उससे गुज़ारा होने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि सतलुज के राइट बैंक पर भी पावर बनाने की व्यवस्था की जाए और तभी तो पंजाब और दूसरे स्थानों की जरूरियात हैं वे पूरी हो सकती हैं।

जहां तक दूसरी स्माल इंडस्ट्रीस का ताल्लुक है, मिनिस्टर महोदय भी जानते हैं और हाउस भी जानता है कि पंजाब के लोगों ने अपने आप हिम्मत करके इनको चालू किया है। लुधियाना को आप जानते ही हैं, उसके डिवेलेपमेंट का सब से बड़ा कारण यह है कि वहां के लोगों ने हिम्मत से काम लिया है, पुरुषार्थ किया है, वे इंडस्ट्रियस हैं। मैं मानता हूं कि सस्ते दामों पर बिजली का मिल जाना भी एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन यही एक कारण नहीं है। जितनी बिजली पंजाब में तैयार हो रही है वह सारी की सारी कंज्यूम की जा रही है और अब उसकी कमी पड़ रही है। अब तक जितने पावर हाउस हैं उनसे जितनी बिजली पैदा की जा सकती थी वह पैदा की जा रही है और सारी कंज्यूम भी हो रही है। चार पांच बरस पहले यह ख्याल लोगों का हो सकता था कि कौन इस बिजली को लेगा और कहां यह सारी बिजली जाएगी, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी भी बिजली लैफ्ट बैंक से अभी बनेगी वह पहले ही से बुक हो चुकी है और अब पंजाब के इंडस्ट्रियल डिवेलेपमेंट के लिए जरूरी है कि राइट बैंक के पावर हाउस के लिए भी रुपया फौरन ही सैंक्शन किया जाए और अगर यह सैकिंड फाइव यीयर प्लान में नहीं हो सकता है किसी कारणवश तो तीसरे प्लान में शुरू में इसको रख दिया जाए।

जहां तक पंजाब में इंडस्ट्रीस लगाने का ताल्लुक़ है, कुछ मैम्बर साहिबान कह सकते हैं कि अगर सारी स्टेट को लिया जाए तो शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं भी इससे सहमत हूं। लेकिन कुछ मैम्बर साहिबान को शिकायत की गुंजाइश हो सकती है और कुछ को नहीं। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सारी स्टेट को एक यूनिट न समझें—क्योंकि सारी स्टेट को एक यूनिट समझकर चलें तो भी उस स्टेट के बाज़ इलाकों के साथ ज्यादती हो सकती है-- दो यूनिट समझें तो आपको पता चलेगा कि एक यूनिट का बहुत ही बुरा हाल है। इसके जवाब में मिनिस्टर साहब कह सकते हैं कि यह स्टेट का मामला है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरे तजुर्बे में एक बात आई है और मेरे ख्याल में हाउस के दूसरे मैम्बर साहिबान भी इसकी ताईद करेंगे कि कितनी ही स्टेट्स ऐसी हैं जिन में एक पोर्शन की तरफ तो ध्यान दिया गया है लेकिन दूसरे पोर्शन की तरफ़ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और उसमें सैंटर भी कुछ हद तक ज़िम्मेदार है और वह स्टेट तो जिम्मेदार है ही। मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पंजाब के दो रिजन हैं, एक हिन्दी रिजन और दूसरा पंजाबी रिजन। माननीय उपाध्यक्ष महोदय इसको अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे यहां हिन्दी रिजन में इस बात की कोशिश हुई कि वहां भी कुछ रिरोलिंग मिल्स के लिए लाइसेंस मिलें। लोगों ने पहले पंजाब गवर्नमेंट से प्रार्थना की और पंजाब गवर्नमेंट ने उस केस को सैंटर वालों के पास भेजा। सैंटर वालों ने जवाब दिया कि नया लाइसेंस नहीं मिल सकता है। हम जो लोगों के नुमाइंदे हैं, उनके पास वे लोग पहुंचे। मैंने तब शास्त्री जी को लिखा। शास्त्री जी ने उसके जवाब में मुझे एक लम्बी चौड़ी चिट्ठी लिखी। उस जवाब की मेरे पास कापी है। उन्होंने उसमें लिखा कि पहले से ही पंजाब में ५५ रिरोलिंग मिल्स हैं। बाकी भी ऐसे स्थान हिन्दुस्तान के दूसरे भागों में हैं जहां इनका लगाया जाना आवश्यक है। उन्होंने लिखा कि सक्सेना कमेटी बनी, उस ने रिपोर्ट दी कि यह और एडिशनल कैपेसिटी का सवाल है, फारेन

[श्री मू० चं० जैन]

एक्सचेंज का सवाल है, मशीनरी वगैरह बाहर से आने का सवाल है वगैरह और हम इजाजत नहीं दे सकते हैं। उन्होंने लिखा कि चार स्टेट्स में इनकी कमी है, असम, बिहार, आन्ध्र प्रदेश और केरल। उन्होंने कहा कि इन स्टेट्स को और रिरोलिंग मिल्स के लाइसेंस दिये जा सकते हैं लेकिन पंजाब के लिये नहीं दिये जा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वैसे तो चिट्ठी से साफ ज़ाहिर है कि बिहार के एक खास इलाके का यानी नार्थ आफ दी गेंजिस का ज़िक्र किया है कि गेंजिस के उत्तर की तरफ के इलाके को और लाइसेंस मिलेंगे लेकिन पंजाब के बारे में दूसरे इलाके का ज़िक्र नहीं किया है। अगर वह बिहार को इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब को इसी तरह से दो हिस्सों में क्यों डिवाइड नहीं किया जा सकता है।

[श्री चे० रा० पट्टाभिरमन पीठासीन हुए]

पंजाब के बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वहां पर जो ५५ इस तरह की मिल्ज़ हैं उनमें से केवल दो ही हिन्दी स्पीकिंग एरिया में हैं। मैं कोई शिकायत की बात नहीं करता हूं लेकिन चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें। इसका कारण यह है कि जहां तक इंडस्ट्री का ताल्लुक़ है और इंडस्ट्रीयल डिवेलेपमेंट का ताल्लुक है, हिन्दी रिजन पंजाबी रिजन से बहुत पीछे है। यह हालत उसकी हमेशा से ही रही है। जो इलाके पहले से आगे बढ़े हुए हैं वे तो और बढ़ते चले जा रहे हैं और जो पिछड़े हुए हैं वे पिछड़ते जा रहे हैं। जो इलाके आगे बढ़े हुए हैं वे थोड़ी सी हिम्मत करते हैं तो उनको लाइसेंस दे दिये जाते हैं लेकिन हमें यह जवाब दिया जाता है कि आप सारी स्टेट को लें। सारी स्टेट को अगर लिया जाए तब तो यह बात सही मालूम देती है और अगर आप हमेशा सारी स्टेट को ही लेते रहेंगे तो कभी भी इन इलाकों का डिवेलेपमेंट नहीं हो सकता है। इस वास्ते मैं ज़ोर देना चाहता हूं कि इस चीज़ को आपको अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहिये। अगर इसी तरह से कुछ इलाक़े तो आगे बढ़ते चले गये और बाकी पीछे रहते चले गये तो जो डिसपैरिटी है, जो आज विषमता वहां मौजूद है, यह बनी रहेगी और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जितनी भी एजिटेशंस होती हैं, जितनी भी मूवमेंट्स चलती हैं वे इसी विषमता के कारण चलती हैं। जब एक इलाका महसूस करता है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है और दूसरे इलाके के जो लोग हैं वे ज्य़ादा एडवांस्ड हैं तो किसी न किसी शक्ल में एजिटेशन फूट पड़ती है। गुजरात और महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, यह भी मैं समझता हूं डिसपैरिटी की वजह से कुछ हद तक हल नहीं हो सका है। लोग जब देखते हैं कि एक इलाका तो ज्यादा डिवेलेप्ड है एक कम है तो उससे फायदा उठा कर लोग दूसरे के सैंटिमेंट्स को भड़काते हैं, जनता से अपील करते हैं और एक एजिटेशन खड़ी कर देते हैं। और भी दूसरे कारण इन एजिटेशंस के हो सकते हैं लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। हमारे यहां भी हरियाना वालों का सवाल है जो कि हिन्दी रिजन है। वहां के लोगों के साथ भी सौतेली मां जैसा सलूक होता आ रहा है। वह एक ऐसे इलाके के साथ जोड़ दिया गया है जो कि हमेशा से ही उसके साथ सौतेली मां जैसा, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करता आ रहा है। स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमिशन से पहले से वहां पर इसके खिलाफ़ मांग चलती आ रही है। मैं चाहता हूं कि ऐसा मौका ही नहीं आना चाहिये कि इस तरह की मांगें उठें। इस के लिये जरूरी है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वह बैलेन्स्ड एकानमी की तरफ पूरा ध्यान रक्खे। उस का तो उसूल ही बैलेन्स्ड एकानमी है। यह नहीं कि मैं हुकूमत से अपील कर रहा हूं कि बैलेन्स्ड एकानमी के सिद्धान्त को कबूल किया जाये। वह सिद्धान्त तो उस को पहले से ही कबूल है। आज तो सिर्फ उस पर अमल करने का सवाल है। उस के अमल से भी जाहिर है कि वह इस उसूल को मानती है लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जिन के लिये मैं कहना चाहता हूं कि वह इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट के मामले

में स्टेट के ऊपर न छोड़े जायें। सेन्ट्रल गवर्नमेंट खुद उन को देखे कि कौन सा वैल डिफाइन्ड इलाका है और किस को वेल डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि कांस्टिट्यूशन में तसलीम कर लिया गया है कि इस के लिये प्रेजिडेंट्स आर्डर हो सकता है। मिसाल के तौर पर प्रेजिडेंट ने पंजाबी स्पीकिंग रीजन को और हिन्दी स्पीकिंग रीजन को अलग अलग रक्खा है। मैं समझता हूं कि इसी तरह से बैलेन्स्ड डेवलपमेंट होगा और लोगों में जो डिस्पैरिटी या विषमता की शिकायत है मुख्तलिफ रीजन्स के बारे में वह भी नहीं रहेगी।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब का इस तरफ ध्यान होगा। इस रेजोल्यूशन में जो कसर रह गई थी उस के लिये मैं ने सब्स्टिट्यूट मोशन दिया है। उन्होंने तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के बारे में कहा है। मैं ने अपने सब्स्टिट्यूट मोशन में कहा है कि न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के बारे में ही लाइसेंस देने के वक्त इस बात का खयाल रखा जाय बल्कि पब्लिक सेक्टर में भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन के बारे में भी गवर्नमेंट इस बात का खयाल रखे कि जो इलाके पहले से नजरअन्दाज हो गये हैं उन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाये। लेकिन एक शर्त जरूर है, जैसा कि **मूवर आफ दि रेजोल्यूशन** ने भी माना है कि अगर रा मैटीरियल की अवलेबिलिटी वगैरह की फेसिलिटी किसी खास इलाके में हो तो इंडस्ट्री को उस में ही रहना चाहिये। अगर ऐसा है तो हम मजबूर हैं। मेरे साथी श्री पुन्नूस ने जो अमेंडमेंट दिया है वह तो मेरे अमेंडमेंट से कवर हो जाता है। लेकिन श्री श्रीनारायण दास ने जो अमेंडमेंट सब्स्टिट्यूट मोशन की शक्ल में दिया है उस में एक और चीज जोड़ दी है जिस की हिमायत करने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। जहां उन्होंने **अवलिबिलिटी आफ रा मैटीरियल** की बात को रखा है वहीं पर आगे चल कर लिखा दिया है : **"ऐंड अदर इंसिडेंटल फेसिलिटीज"**। यह बहुत बड़ा दरवाजा उन्होंने खोल दिया है कि अगर गवर्नमेंट कहीं पर इंडस्ट्रीज जारी करे तो उस को **रा मैटीरियल** के साथ साथ दूसरी चीजों को भी देखे। वह किसी भी जगह पर इंडस्ट्री को खोलने के लिये कह सकती है कि रा मैटीरियल के साथ साथ फलां फलां वजह भी थी जिस की वजह से इंडस्ट्री को किसी खास जगह में खोलना जरूरी हो गया। मैं इस अदर इंसिडेंटल फेसिलिटीज वाली चीज को मानने के लिये तैयार नहीं हो सकता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कहीं पर प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में किसी इंडस्ट्री को नया लाइसेंस देने का सवाल उठे तो रा मैटीरियल की फैसिलिटीज के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि जिन इलाकों में पहले से ही इंडस्ट्रीज नहीं हैं उन में शुरू किया जाये। तभी जा कर इस देश में बैलेन्स्ड एकानमी हो सकती है।

इन शब्दों के साथ में अपने सब्स्टिट्यूट मोशन को पेश करता हूं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : मैं समझता हूं कि इस संकल्प के सम्बन्ध में सभा में कोई मतभेद नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने भी सिद्धान्ततः यह स्वीकार किया है कि उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए जिससे देश का संतुलित विकास हो। परन्तु यदि हम भारत के औद्योगिक मानचित्र को देखें तो यह पता लग जाता है कि लगभग एक दर्जन स्थानों पर अधिकांशतः उद्योगों को एकत्र कर दिया गया है। और इसीलिये ऐसा पता लगता है कि देश के कुछ क्षेत्र तो पूर्णतया विकसित हैं जबकि कुछ क्षेत्र अभी तक पूरी तरह पिछड़े हुए हैं। आज हमारी सरकार का अपना लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना है और इसीलिये हमें इस प्रकार से काम करना चाहिए जिससे पिछड़े क्षेत्रों का उचित विकास हो सके। परन्तु अक्तूबर १९५६ से अक्तूबर १९५८ के आंकड़े देखने पर पता लग जाता है कि इस सिद्धान्त पर ध्यान

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

रख कर काम नहीं किया गया है क्योंकि पश्चिम बंगाल और बम्बई को ही नये उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञप्तियां अधिकांशतः दी गई हैं । इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा गया है कि जिन स्थानों पर कच्चा माल उपलब्ध है उन स्थानों पर ही कारखाने बनाये जायें । जब भी किसी नये उद्योग को आरम्भ करने का अभ्यावेदन कोई व्यक्ति सरकार को प्रस्तुत करता है, सरकार उस पर निर्णय करने में इतना विलम्ब कर देती है कि वह व्यक्ति ही हतोत्साहित हो जाता है । यह विलम्ब भी इसीलिये होता है कि विलम्ब हो जाने पर जिन स्थानों का औद्योगिक विकास है उन्हीं में नया कारखाना भी बने । अतः मेरा अनुरोध है कि हमें इस प्रकार की प्रक्रिया बनानी चाहिए जिससे नये उद्योग की अनुज्ञप्ति देने में विलम्ब न हो । मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इसका भी ध्यान रखना चाहिये कि संतुलित विकास के लिए समान रूप से सभी क्षेत्रों को अनुज्ञप्ति दें ।

यदि मैं अपने राज्य उड़ीसा के बारे में यदि कुछ कहूंगा तो माननीय मंत्री उत्तर देंगे कि हीराकुड, रूरकेला आदि इतने कारखाने आप के राज्य में बनाये जा चुके हैं । परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि कारखानों के अतिरिक्त सब से महत्वपूर्ण प्रश्न बेकारी की समस्या है । रूरकेला कारखाने में उड़ीसा के बहुत थोड़े व्यक्ति नियुक्त हैं । मैं यही कहना चाहता हूं कि कलकता के कारखानों में बंगालियों के अतिरिक्त और किसी को नियुक्त नहीं किया जाता है जबकि रूरकेला में ऐसा करना कि उसमें उड़िया लोगों के अलावा और कहीं का व्यक्ति नियुक्त न हो ठीक नहीं समझा जाता । इसीलिये मैं यही चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे जिन स्थानों पर कारखाने हों उन्हीं स्थानों के व्यक्तियों को उन कारखानों में नियुक्त किया जाये ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : आरम्भ में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को अपनी नीति में इस प्रकार का परिवर्तन कर देना चाहिए जिससे नये एकक अल्प-विकसित स्थानों पर लगें, ऐसा संकल्प में बताया गया है । इसी सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान सरकार के औद्योगिक नीति संकल्प की ओर आकर्षित करता हूं । उसमें भी यहीं बताया गया है कि देश के सभी क्षेत्रों का समान विकास करने के लिये सभी क्षेत्रों में औद्योगिक एकक स्थापित किये जाने चाहिए । इसलिये नीति में परिवर्तन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है । और संकल्प को आवश्यकता ही नहीं रह जाती है ।

योजना आयोग की स्थापना ही इस उद्देश्य को लेकर की गई थी कि देश का उचित रूप में विकास हो । और मेरी राय में योजना आयोग आरम्भ से ही देश का समान विकास करने के लिए उत्सुक है । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में भी स्पष्ट रूप में दिया है कि नये उद्योगों को आरम्भ करने के कितने अभ्यावेदन आये तथा कितने स्वीकार किये गये और कितने अभी भी लम्बित हैं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक राज्य का ध्यान रखा जाता है और किसी की भी उपेक्षा नहीं की जाती है ।

प्रस्तावक महोदय ने अपने केरल राज्य को अनुज्ञप्ति देने के बारे में ही अधिकांशतः कहा । परन्तु उन्हें यह भी समझना चाहिए कि केरल राज्य के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र भी हैं जो पिछड़े हुए हैं । इसलिए मैं सरकार तथा योजना आयोग का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि जो क्षेत्र वास्तव में पिछड़े हुए हों उन क्षेत्रों का औद्योगिक विकास किया जाना चाहिए ।

इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि योजना आयोग, मंत्रालयों, संस्थाओं जो उद्योगों के विकास से सम्बन्धित है, आदि के कार्यों की जांच के लिए एक उच्चाधिकारयक्त समिति बनाई जानी

चाहिए । तभी हम को पता लग सकता है कि किन क्षेत्रों का औद्योगिक विकास नहीं किया गया है । इस समिति की जांच के निर्णयों से हम उन असंतुष्ट व्यक्तियों को संतुष्ट कर पायेंगे जो यह कहते हैं कि विशेष क्षेत्र का औद्योगिक विकास नहीं किया जा रहा है ।

श्री महन्ती (ढेंकानाल) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं । भारत के आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर टिकी है । जब अंग्रेज लोग भारत आये तो उनकी सभी औद्योगिक गतिविधियां तीन बन्दरगाहों, अर्थात् कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, तक सीमित थीं । किन्तु हमारी सरकार ने भी देश के अन्य भागों की ओर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया । मेरी समझ में यह नहीं आता कि न जाने क्यों पूर्व वक्ताओं ने भारत की इस नीति का समर्थन किया है । यहां तक कि प्रस्तावक ने भी इस नीति का समर्थन किया है । मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में उनकी नीति क्या है । योजना आयोग ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन में इसका कारण क्षेत्रीय विषमता बताया है किन्तु इसका उपचार कोई नहीं बताया है । सरकार ने अपने इस प्रतिवेदन में इस क्षेत्रीय विषमता को दूर करने और व्यवसायिक ढांचे को बदलने की बात कही है मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के लागू होने से अब तक इस सम्बन्ध में कितना कार्य हुआ है । मेरा निवेदन है कि इस पर तथ्य और वास्तविकता को दृष्टिगत रख कर विचार करना चाहिए ।

यदि हम भारत के मानचित्र पर दृष्टिपात करें तो हमें दो प्रकार के राज्य दिखाई पड़ते हैं एक तो औद्योगिक राज्य है और दूसरे कृषि करने वाले राज्य । औद्योगिक राज्यों में खाद्यान्नों की कमी रहती है इसलिये कृषि उत्पादक राज्य उन्हें खाद्यान्न देते हैं । औद्योगिक राज्यों में कृषि उत्पादन करने वालों राज्यों की अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति की आय अधिक है । अब प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार खेती पर निर्भर रहने वाली जनता को औद्योगिक क्षेत्रों में ले जाया जाये और उन्हें उद्योगों में लगाया जाये । भूमि से गरीबी की समस्या का हल होना संभव नहीं है । इसलिये अब यह प्रश्न उठता है कि किस प्रकार कृषि करने वाले राज्यों में व्यवसाय को बदला जाये । जब तक इन राज्यों का व्यवसायिक ढांचा नहीं बदला जायेगा तब तक सब कुछ व्यर्थ है । इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

यह कहा गया है कि अनुद्योगिक क्षेत्रों में औद्यागिक इकाइयां बनाई जायें । किन्तु मैं इसका विरोध करता हूं क्योंक आजकल जितने भी उद्योग डाले जा रहे हैं वे सब स्वयंचालित हैं जिनमें अधिक व्यक्तियों को रोज़गार देने का प्रश्न नहीं उठता । इसलिये ये बेकार हैं । इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयां उस क्षेत्र की शोभा तो बढ़ाती हैं किन्तु क्षेत्रीय विषमता को दूर नहीं करतीं । इसलिये मेरा सुझाव है कि इन क्षेत्रों में ऐसे उद्योग खोले जायें जिनका सम्बन्ध कृषि से हो जैसा कि जापान में है । वहां उद्योग कृषि के सहयोग से चलते हैं । सहकारिता की बात करने की अपेक्षा यह अच्छा था कि सरकार कृषि-उद्योग खोलती जिनमें देश की ८० प्रतिशत जनता काम पाती । मेरा विचार था इससे इस समस्या का बहुत कुछ समाधान हो जाता ।

मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान करने के लिये सरकार के पास क्या साधन हैं । गत वर्ष जब मैंने इसी प्रकार का संकल्प रखा था तो आश्वासन दिया गया था कि सरकार इस बारे में—क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिये—सक्रिय परिश्रम कर रही है । ठीक है सरकार प्रयत्न कर रही होगी । हम तो चाहते हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में हमारे संशय को दूर करे क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यों ज्यों योजना का कार्य बढ़ रहा है त्यों त्यों पिछड़े क्षेत्र और पिछड़े रहे हैं और विकसित क्षेत्र और भी विकास कर रहे हैं ।

[श्री महन्ती]

अब मैं यातायात का प्रश्न लेता हूं। उद्योगों के साथ इनका सम्बन्ध है। मैं देखता हूं कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल जैसे राज्यों की इस क्षेत्र में अवहेलना की गई है जबकि बम्बई, मद्रास और बंगाल की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। क्षेत्रीय विषमता ही भावनात्मक दृष्टि से भारत को मिलाने में असफल रही है। प्राय देखने में यह आता है कि सरकार के जो प्रिय क्षेत्र हैं उनका निरन्तर विकास हो रहा है और जो अप्रिय क्षेत्र हैं वे बराबर पिछड़ रहे हैं।

अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि सरकार कृषि उद्योगों को चालू करने के प्रश्न पर ध्यान देगी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : मैं तो यही कहूंगा कि सरकार ने जो नीति अपनाई है उससे कुछ अच्छे परिणाम नहीं निकले हैं। यदि अनुज्ञप्तियों सम्बन्धी आंकड़े आप देखें तो आपको ज्ञात होगा कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता क्षेत्रों को अधिक अनुज्ञप्तियां मिलती हैं जबकि राजस्थान आदि अन्य राज्यों को बहुत ही कम मिलती हैं। इससे यह प्रकट हो जाता है कि सरकार इस नीति के बावजूद भी अविकसित क्षेत्र अविकसित रह जाते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने उन क्षेत्रों में उद्योग चालू करने के सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किया है जो क्षेत्र कि औद्योगिक दृष्टि से अविकसित हैं। वहां की जनता को उद्योग डालने के लिये सरकार ने क्या प्रेरणा दी है। इसलिये सरकार की यह नीति होते हुए भी विषमता की यह खाई बराबर बढ़ती जा रही है।

मैं जानता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार ने एक दो कार्यवाही की है। सबसे पहले इस्पात के मूल्य में समानता लाना है। मैं स्वीकार करता हूं कि अविकसित क्षेत्रों में इस्पात उसी दर पर मिल जाने से जिस दर पर कि वह उत्पादन करने वाले राज्य में मिलता है इससे उन क्षेत्रों में उद्योगों के विकास में प्रोत्साहन मिलता है। फिर भी मैं इस बात पर बल देता हूं कि सरकार की इस नीति के होते हुए भी दिन प्रति दिन दशा बिगड़ती जा रही है। अतः सरकार को चाहिये कि वह ऐसी स्थिति उत्पन्न करे जिस से कि उन अविकसित क्षेत्रों में उद्योगों का विकास हो।

केरल राज्य ने सुझाव दिया था कि हमें गैर-सरकारी क्षेत्रों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये। किन्तु योजना आयोग ने इसे टाल दिया। राजस्थान सरकार ने भी इसी प्रकार का सुझाव दिया था जिसे भी सरकार ने टाल दिया। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि सरकार राज्यों में कोई भेदभाव नहीं करती। किन्तु फिर भी इस प्रकार के सुझावों के बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिये। एक माननीय सदस्य ने एक समिति की नियुक्ति करने पर बल दिया है किन्तु मैं बता देना चाहता हूं कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। मेरा विचार है कि एक निगम की स्थापना की जाये जिसका दायित्व इन अविकसित क्षेत्रों का विकास करना हो। इस निगम को धन देना चाहिये जो इन क्षेत्रों को आवश्यक सहायता दे सके। इस निगम में इस प्रकार के कार्यकर्ता तथा इतनी निधि हो जो इन क्षेत्रों का आसानी से विकास कर सके।

किसी राज्य में अथवा देश में यहां वहां एक दो उद्योग चालू करने से देश का विकास नहीं हो सकता। सारे देश का विकास एक साथ होना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास होना चाहिये। छोटे छोटे उद्योगों के विकास में सबसे बड़ी कमी विद्युत् की है। अविकसित राज्यों को ५०० किलोवाट के २०—३० सेट दे देने चाहियें जिससे कि वे अपने यहां बिजली का उत्पादन कर सकें। निगम यह कार्य

†मूल अंग्रेजी में

अपने हाथ में ले ले। जब बिजली आजायेगी तो इस प्रकार के उद्योग डालने में आसानी हो जायेगी। और इस प्रकार गांवों में रहने वाले व्यक्तियों को बहुत लाभ होगा। यह कुटीर उद्योगों तथा कृषि सम्बन्धी आर्थिक व्यवस्था में भी सहायता करेगी।

सरकार की नीति का पालन कराने के लिये एक बलशाली अभिकरण होना चाहिये अन्यथा नीति का अनुसरण नहीं होगा। हम क्या देखते हैं प्रायः कुटीर उद्योग धंधे एक ही स्थान पर लगा दिये जाते हैं। किन्तु अविकसित क्षेत्रों में भी इन कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिये। और इसके लिये यह आवश्यक है कि निगम की स्थापना की जाये।

राजस्थान के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। उस राज्य ने कुछ मांगें रखी हैं किन्तु उनकी पूर्ति नहीं की गई है। हम कोटा में एक ट्रैक्टर फैक्टरी डालना चाहते हैं किन्तु मालूम नहीं कि इसके बारे में क्यों इंकार कर दिया गया। गैर-सरकारी क्षेत्र इस उद्योग को डालना चाहते थे और मेरा विचार है कि यह उद्योग भारत के लिये एक गौरव की वस्तु होता किन्तु मालूम नहीं कि इसे क्यों अस्वीकृत कर दिया गया। यह तो सारे भारत के लिये परियोजना थी। राजस्थान खाद्यान्न के मामले में न केवल आत्म निर्भर ही है अपितु अबकी बार इसने खाद्यान्न दूसरे भागों को भेजा भी है। वहां नहर बन रही है इसके बन जाने से यह क्षेत्र और भी विकसित हो जायेगा। अतः यह अच्छा है कि आप इस क्षेत्र का और भी विकास करें।

यहां खड़िया मिट्टी बहुतायत से पाई जाती है फिर क्यों न वहां फैक्टरी डाली जाये। इसके अतिरिक्त वहां देश में पाई जाने वाली कुल ऊन का ३५ प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। किन्तु फिर भी यहां तत्सम्बन्धी कोई उद्योग—छोटा अथवा बड़ा—नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देता हूं कि केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाये और इस विषय पर चर्चा करे और कुछ प्रभावकारी उपाय ढूंढे जिससे कि कुछ व्यावहारिक परिणाम निकलें।

†**श्री पाणिग्रही :** इस संकल्प के प्रस्तावक ने भारत के आर्थिक विकास की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत में जो औद्योगिक ढांचा मिला था, अभी तक वह ज्यों का त्यों बना हुआ है। प्रथम योजना के आरम्भ के समय जो औद्योगिक ढांचा था, उसका विश्लेषण करने से पता चलता है कि विभिन्न राज्यों का जो औद्योगिक बंटवारा किया गया था, उसमें जूट, इंजीनियरिंग और कागज के मामले में बंगाल का नम्बर पहला था। रासायनिकों के मामले में उसका दूसरा और लोहा तथा इस्पात में तीसरा स्थान था। गैर-पटसन के सूती कपड़ा उद्योग के मामले में बम्बई का स्थान प्रथम था। और इंजीनियरिंग में उसका स्थान दूसरा तथा कांच में तीसरा था। चीनी और कांच के मामले में उत्तर प्रदेश को और लोहा तथा इस्पात में बिहार को प्रथम स्थान दिया गया था। मैसूर का स्थान लोहा तथा इस्पात में दूसरा और रासायनिकों में तीसरा था। प्रथम योजना के आरम्भ में, हमारे उद्योग इसी नमूने पर ढले थे। क्या इसमें कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है ?

अब इस समय जूट उद्योग कलकत्ता में, ऊन उद्योग कानपुर, अमृतसर और बंगलौर में, चमड़ा उद्योग कानपुर और मद्रास में, चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश और बिहार में, कागज कलकत्ता में, कांच उत्तर प्रदेश में, रासायनिक कलकत्ता में, ढलाई और इंजीनियरिंग उद्योग हुगली नदी के किनारे, मद्रास तथा बम्बई में केन्द्रित है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाणिग्रही]

मुख्य प्रश्न तो यही है कि भारत को ब्रिटिश शासन से जो औद्योगिक ढांचा विरासत में मिला था, क्या उसमें परिवर्तन हो रहा है।

पहले की भांति आज भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो अन्य औद्योगिक केन्द्रों के लिये कच्चा माल ही जुटाते हैं। हमारा औद्योगिक विकास वास्तव में एकांगी हुआ है, उसमें संतुलन नहीं है। मोटर उद्योग और उसके सहायक उद्योग पश्चिमी बंगाल, बम्बई, जमशेदपुर और मद्रास में भी स्थित हैं। यही हाल अन्य उद्योगों का है। यदि आप भारत के औद्योगिक मानचित्र को देखें, तो स्पष्ट हो जायेगा कि हमारे उद्योग कुछ ही केन्द्रों में स्थित हैं।

[श्री मोहम्मद इमाम पीठासीन हुए]

१९५१ की जनगणना के प्रतिवेदन में भी यह कहा गया था कि देश में कुल ५०० कस्बे ही ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या २०,००० है; और कुल २८ औद्योगिक नगर हैं। औद्योगिक अनुज्ञप्तियों के वितरण में प्रादेशिक असमानता के इसी प्रश्न को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बम्बई के मुकाबले उत्तर प्रदेश की उपेक्षा करने की बात कही थी। प्रधान मन्त्री ने उस पर कहा था कि उत्तर प्रदेश को उसका उचित भाग मिल रहा है। लेकिन इससे उनकी चिन्ता मिटी नहीं है। सभी पिछड़े हुए राज्यों के मुख्य मंत्री इस से चिन्तित हैं। भारत सरकार यह तर्क देती है कि राज्यों को तभी किसी उद्योग को खड़ा करने की अनुमति दी जा सकती है जबकि सम्बन्धित राज्य उसका खर्च उठाने की सामर्थ्य रखता हो। लेकिन इस विषय पर इस दृष्टि से भी तो विचार करना चाहिये कि देश के कम विकसित भागों को विकसित करना है। तृतीय योजना का यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। जिन राज्यों के पास कच्चा माल हो और विद्युत् की सम्भावना हो और जहां उद्योग के विस्तार की गुंजाइश हो, उन्हीं राज्यों को नये उद्योग खड़े करने के मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

मेरा एक सुझाव यह है कि योजना आयोग को एक औद्योगिक स्थिति समिति गठित करनी चाहिये, जो विभिन्न राज्यों की प्रादेशिक योजनाओं, कच्चे माल और संसाधनों तथा विद्युत् की संभावनाओं के प्रश्न की छान-बीन करे। कम विकसित राज्यों को भी उद्योग खड़े करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

†**श्री पुन्नूस:** इस संकल्प के सिद्धान्त से तो सभी सहमत हैं। इसलिये सभा को माननीय मंत्री के उत्तर से इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी कि इस बात से कि वह इस दिशा में करते क्या हैं। प्रश्न यह है कि इसे कार्यान्वित किस तरह किया जाये?

यह कहना ग़लत है कि प्रादेशिक आवश्यकताओं को सभा के सामने रखने वाले माननीय सदस्यों का दृष्टिकोण प्रादेशिक होता है। बात सिर्फ इतनी है कि वह अपने प्रदेश को ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। प्रादेशिक असमानता दूर करना तो समूचे देश के हित में है।

प्रादेशिक असमानता दूर किये बिना, देश की वास्तविक उन्नति नहीं होगी। सब से अधिक घने बसे क्षेत्रों और सब से अधिक बेरोज़गारी वाले क्षेत्रों के लिये कुछ करना ही पड़ेगा।

इस नीति की कार्यान्वित में मंत्री को सफलता नहीं मिली है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उदाहरण के लिये केरल को लीजिये। केरल में कई व्यावसायिक फ़सलें होती हैं। केरल में नीबू, घास के तेल का उद्योग भी खड़ा किया जा सकता है। केरल में समूचे भारत की ९५ प्रतिशत रबर होती है। वहां पता नहीं क्यों टायर उद्योग आरम्भ नहीं किया जाता।

माननीय मंत्री ने तो रबर बोर्ड द्वारा प्रस्तुत योजना पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है। केरल में ३—४ करोड़ रुपये के विनियोजन से ही प्राकृतिक रबर का उद्योग खड़ा किया जा सकता है।

भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री देशमुख के काल में एक प्रस्ताव आया था कि केरल के तटी क्षेत्र में कांच का एक कारखाना खड़ा किया जाये। लेकिन उसका भी कोई फल नहीं निकला। पता नहीं सरकार उसकी ओर क्यों ध्यान नहीं देती।

केरल में कई प्रकार के बड़े महत्वपूर्ण उद्योग आरम्भ किये जा सकते हैं, लेकिन सरकार उस ओर ध्यान ही नहीं देती। साथ ही केरल राज्य को विदेशों से व्यापार करने की अनुमति भी नहीं देती। क्या संविधान की सीमाओं में रहते हुए किसी भी नागरिक को विदेशों से व्यापार करने का अधिकार नहीं है? तब राज्य को उससे वंचित क्यों किया जाता है? केरल की प्रादेशिक असमानता दूर होने से समूचे भारत का भी हित सधेगा।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: मैं विभिन्न सुझावों के लिये माननीय सदस्यों का आभारी हूं। इस संकल्प का विषय भारत के राष्ट्रीय विकास, आर्थिक विकास से बड़ा गहरा संबंध रखता है। इसीलिये, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लगभग हर साल यह संकल्प सभा के सामने आता रहा है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि न तो सरकार और न मैं ही प्रादेशिक आवश्यकताओं को पेश करना राष्ट्रीय हित के विरूद्ध समझता हूं। हम उसे प्रांतीयता नहीं कहते। हमारी वैसी कोई भावना नहीं है।

हमारे नीति संबंधी वक्तव्यों और योजना आयोग की टिप्पणियों में भी बार-बार यही कहा गया है कि प्रादेशिक असमानताओं को यथाशीघ्र मिटाया जाना चाहिये। उसके लिये सभी वित्तीय और आर्थिक तरीके अपनाने की बात कही गई है। सभा उनसे भली भांति परिचित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में संलग्न वक्तव्यों, औद्योगिक विकास (नियंत्रण तथा विनियमन) अधिनियम की धारा १५, और १९५६ में प्रधान मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखे गये नीति संबंधी वक्तव्य में—, जो १९४९ के औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य का ही निरुपण था,—इन सभी बातों को बार-बार दुहराया गया है।

इस विषय पर चर्चा करते समय हमें अपने देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को सदा ही ध्यान में रखना चाहिये। हम २०० वर्षों से गुलाम थे। संसार में जब औद्योगिक क्रांति आई थी, उस अठारहवीं सदी से अब तक हम गुलाम रहे। इसीलिये हमारा देश विज्ञान और टेकनोलॉजी के कारण होने वाले अपार आर्थिक विकास की होड़ में पिछड़ गया। दो सौ वर्ष तक हम विज्ञान और टेकनोलॉजी से वंचित रहे। इसीलिये हमारे कम विकसित देश के लिये संसार की औद्योगिक और प्रौद्योगिक प्रगति के साथ कदम मिलाने में कठिनाई पैदा हो गई है।

इस पृष्ठ भूमि के देखते हुए, यह तय करना आसान नहीं है कि हमारे देश का कौनसा भाग कम या अधिक विकसित है। बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, इत्यादि कुछ शहरों को छोड़

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

कर शेष सभी क्षेत्र कम-विकसित हैं। जिन राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक विकसित भी माना जाता है, उनमें भी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इत्यादि कुछ शहरों के अलावा, अन्य सभी क्षेत्र कम विकसित पड़े हुए हैं। उन राज्यों के शेष क्षेत्र भी देश के अन्य कम विकसित क्षेत्रों जैसे ही पड़े हैं।

श्री जैन ने यह बिल्कुल सही कहा है कि कुछ प्रदेशों को जरूरत से ज्यादा और बहुत से प्रदेशों को बहुत ही कम विकसित प्रदेश नहीं कहा जा सकता। असलियत तो यह है कि हमारा सारा देश औद्योगिक रूप से बुरी तरह पिछड़ा हुआ है। उद्योगों से होने वाला, हमारा कुल राष्ट्रीय उत्पादन, सारे संसार के कुल औद्योगिक उत्पादन के एक प्रतिशत का एक-तिहाई मात्रा है, जब कि हमारी जन संख्या सारे संसार की जन संख्या की लगभग $^1/_5$ है। इसलिये सब से मुख्य आवश्यकता तो इस चीज़ की है कि आर्थिक विकास की सभी प्रणालियों से देश के व्यवसायिक ढांचे को अधिकाधिक बदल दिया जाये: इसके लिये तीन स्तरों पर कार्यवाही करनी पड़ेगी: केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के स्तरों पर। सरकारी क्षेत्र के बारे में, मैं बाद में कहूंगा।

इस विषय में, केन्द्रीय सरकार यथासम्भव इसी नीति को कार्यान्वित करने का प्रयास करती रही है। उदाहरण के तौर पर, सूती कपड़ा उद्योग के लिये अनुज्ञप्ति देने के मामले में, हम संसद् की दोनों सभाओं द्वारा अनुमोदित और निर्धारित नीति के अनुसार बम्बई या मद्रास प्रदेश के सूती कपड़ा उद्योग को उसकी अनुमति नहीं देते, क्योंकि वहां तो वह उद्योग काफी विकसित है ही। इसी प्रकार, पंजाब के एक माननीय सदस्य ने रोलिंग मिलों के संबंध में शिकायत की थी। हम उस प्रदेश में रोलिंग मिल खड़ी करने के लिये अनुज्ञप्ति नहीं देते, इसलिये कि पश्चिमी बंगाल, और उत्तर प्रदेश, पंजाब, बम्बई और मद्रास के कुछ भागों में काफ़ी अधिक रोलिंग मिल मौजूद हैं। उन स्थानों में और अधिक विकास की अनुमति नहीं दी जाती। इसीलिये नयी रोलिंग मिलों के लिये आसाम, केरल, उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को ही अनुज्ञप्तियां दी गई थीं। उसमें उड़ीसा भी शामिल है। राजस्थान में भी कई रोलिंग मिलें हैं।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चीनी की पर्याप्त मिलें हैं इसलिए अधिकांशतः नई मिलें, आन्ध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उन क्षेत्रों में जिनमें गन्ना अधिक उगाया जा सकता है, परन्तु चीनी उद्योग का विकास नहीं हुआ है बनाई जा रही है। सीमेंट उद्योग का विकास बिहार, सौराष्ट्र के कुछ भागों, और आन्ध्र तथा मद्रास के कुछ भागों में काफ़ी हुआ है। इसीलिए जब भी अनुज्ञप्ति लेने के बारे में कोई नया आवेदन पत्र होता है तो हम, जहां तक संभव होता है, उसको उन क्षेत्रों को देते हैं जहां पर सीमेंट उद्योग का विकास नहीं हुआ है।

परन्तु हमारे जैसे देश में प्रदेशों के आधार पर उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में एक सीमा से आगे नहीं जाया जा सकता है क्योंकि यदि केन्द्र अलग-अलग एककों को स्थापित करने के स्थानों के बारे में फैसला करने लगेगा तो देश की एकता के लिए यह सब से अधिक हानिकर सिद्ध होगा। यदि टायर उद्योग का एक एकक स्थापित करने के लिए यह सुझाव दिया जाये कि उसको एक निश्चित स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए, ठीक नहीं होगा। इस पर भी हमने यही प्रयत्न किया कि टायर कारखाना बनाने के लिए हम किसी उद्योगपति को ढूंढ़ने में केरल राज्य सरकार की सहायता करें। परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो केरल में टायर का कारखाना बनाने को तैयार होता। किसी भी औद्योगिक योजना को पूरा करने के लिए बहुत सी बातों पर विचार करना पड़ता है। हम यही प्रयत्न करते हैं और हमारी यही नीति है कि चाहे किसी एकक में पूरी क्षमता

से उत्पादन होने लगा हो और उसके लक्ष्य पूरे हों, फिर भी, जब नया एकक बनाने का कोई प्रस्ताव आये, हम उन्हीं क्षेत्रों को प्राथमिकता दें जिनमें उस प्रकार का उद्योग नहीं हो।

इसके लिये मैं चार उपाय सभा के सामने रखता हूं जिनके आधार पर राज्य सरकार अपने क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। पहला उपाय यह है कि हरेक राज्य अपने प्रत्येक क्षेत्र का प्रविधिक व आर्थिक सर्वेक्षण करे। यह सर्वेक्षण कई राज्यों में किया जा रहा है। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि सामान्य संभाव्य संसाधनों का ही केवल सर्वेक्षण न किया जाये अपितु परियोजना के बारे में, संभाव्यताओं, यानी प्रस्तावित एकक के आकार, आदि का सर्वेक्षण भी किया जाय। मुझे प्रसन्नता है कि बिहार ने इस प्रकार का सर्वेक्षण कर लिया है। और अब वह और व्यौरों पर विचार कर रहे हैं। केरल ने भी हमारा परामर्श मांगा और हमने उनसे नेशनल काउंसिल आफ एकनॉमिक्स के परामर्श से सर्वेक्षण करने को कहा है। इस प्रकार का सर्वेक्षण किये जाने के बाद व्योरेवार परियोजना प्रतिवेदन तैयार होने चाहियें।

दूसरा उपाय यह है कि जिस प्रकार हम ने केन्द्र में एक विकास विभाग बनाया है उसी प्रकार राज्य भी अपने उद्योग निदेशालय में प्रविधिक पदाधिकारी रखें। हम ने यह भी सोचा था कि मंत्रालय में हम कुछ क्षेत्रीय पदाधिकारी इसके लिए नियुक्त करें। परन्तु बाद में हमने यही ठीक समझा कि इससे आन्तरिक खींच-तान बढ़ जायेगी और हमें प्रादेशिक गड़बड़ियों में पुन: पड़ना पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकारों को ३ अथवा ४ प्रविधिक पदाधिकारी नियुक्त करने चाहिएं जिससे वह सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में उद्योगों के शीघ्र विकास के लिये उद्योगपतियों की सहायता कर सकें।

तीसरा उपाय यह है। मेरे मित्र श्री माथुर ने कहा था कि योजना आयोग किन कारणों से राज्यों द्वारा वित्त लगाने के सम्बन्ध में आपत्ति करता है। कारण स्पष्ट हैं जिनको सभा में मैं कई बार बता चुका हूं। मेरे मित्र श्री श्या० नं० मिश्र भी कई बार बता चुके हैं। यदि हम ने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी तो विशेष एकक को स्थापित करने के लिए राज्यों में होड़ लग जायेगी और वह एक दूसरे से बढ़ कर अच्छी शर्तों पर उद्योग स्थापना के लिये कहेंगे। हमें तीन अथवा चार एककों के सम्बन्ध में अनुभव हो चुका है जिनको उद्योगपति भारत के एक कोने से दूसरे कोने में इसी आधार पर ले गये।

मेरा इस सम्बन्ध में यही कहना है कि सभी राज्यों में राज्य वित्त निगम हैं तथा राज्य उद्योग अधिनियम हैं, जो औद्योगिक विस्तार के लिए उदारता से ऋण दे सकते हैं। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक एकक के लिये १० लाख रुपये की सीमा है और उस सीमा तक राज्य द्वारा वित्तीय सहायता दी जा सकती है। श्री हरिश्चन्द्र माथुर के सुझाव के अनुसार उद्योगों के लिये सारे भारत के लिये एक निगम बनाना ठीक नहीं होगा। इस सम्बन्ध में हम योजना आयोग को ही सारे देश का निगम मान सकते हैं। इसलिए सभी राज्य सरकारों को अपने संविहित निगमों तथा संस्थाओं के द्वारा तथा केन्द्रीय संस्थाओं और राज्य वित्त निगमों के द्वारा, उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक सभी प्रकार की सहायता देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

चौथा उपाय मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण है अर्थात् औद्योगीकरण के लिए बिजली का उपबन्ध करना। योजना आयोग तथा केन्द्रीय विद्युत् तथा सिंचाई मंत्रालय भी इस पर बहुत ज़ोर दे रहा है। मैं भी राज्य सरकारों से कह रहा हूं कि जहां तक संभव हो, औद्योगिक कार्यों के लिए प्रत्येक जिले में बिजली का पर्याप्त उपबन्ध किया जाना चाहिए और इसको योजना का एक अंग

[श्री मनुभाई शाह]

बनाना चाहिए। माननीय सदस्यों को राज्य सरकारों की सहायता करनी चाहिए जिससे राज्य के सीमित आवंटन में से औद्योगिक बिजली के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जाये और इसको प्राथमिकता दी जाये।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप): माननीय मंत्री ने बताया कि बिजली की कमी के कारण उद्योगों को स्थापित नहीं किया जाता है। परन्तु ट्रांसफार्मरों के लिए अनुज्ञप्ति न दिये जाने पर बहुत से व्यक्तियों को बड़ी कठिनाई होती है।

†**श्री मनुभाई शाह**: यह छोटी सी कठिनाई है। इस समय हमारे पास बहुत ट्रांसफार्मर हैं। और यदि माननीय सदस्या इस प्रकार की किसी कठिनाई को मुझे बतायेंगी तो मैं या तो भारत में बने ट्रांसफार्मर दिलाने की व्यवस्था करूंगा अथवा अनुज्ञप्ति दिला दूंगा। मैं तो आपका ध्यान औद्योगिक विकास के उस अंग की ओर दिला रहा था जोकि औद्योगिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है और इसीलिए मेरा यही कहना है कि बिजली का पर्याप्त उपबन्ध किया जाना चाहिए।

अब मैं कुछ विशेष उद्योगों के बारे में, जिनका सभा में उल्लेख किया गया है, कुछ कहना चाहता हूं। केरल के सम्बन्ध में अगियाघास (लैमन ग्रास) तेल का जिक्र किया गया। जब भी कभी यह प्रश्न हमारे सामने आया हम ने तभी उद्योगपतियों से राज्य सरकारों को सहायता करने को कहा जिससे यह उद्योग स्थापित हो जाये। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य सरकारों तथा उद्योगपतियों, दोनों को ही मैंने इस सम्बन्ध में उत्साह नहीं पाया। मैं किसी राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये यहां खड़ा नहीं हुआ हूं। परन्तु इतना अवश्य कह सकता हूं कि राज्य सरकारों को सभी प्रकार के ऐसे प्रयत्न करने चाहिएं जिससे उद्योगपति इस प्रकार की परियोजनाओं को पूरा करने में हिचकें नहीं। इससे मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि सभी राज्यों में ऐसी स्थिति है परन्तु हमारे सामने ऐसे कई मामले आये हैं जिनमें उद्योगपतियों ने अपना धन लगाने में हिचकिचाहट दिखाई है। मुझे इस में कोई संदेह नहीं है कि मेरे जिन मित्रों ने इन समस्याओं को यहां पर प्रस्तुत किया है वह प्रयत्न करेंगे कि समस्त देश में इस प्रकार का उत्साही वातावरण बनाया जायेगा। जिससे उद्योगपति अपना धन उद्योगों में अपनी इच्छा से लगायेंगे।

अब मैं सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है, इस्पात संयंत्र, भारी इंजीनियरिंग उद्योग अथवा भारी विद्युत् परियोजनाओं की स्थापना आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही की गई है। हम भारी उद्योगों को क्षेत्रीय पिछड़ेपन के आधार पर स्थापित नहीं कर सकते। क्षेत्रीय पिछड़ापन दूर करने के लिये बहुत से तरीके काम में लाये जा सकते हैं। परन्तु फिर भी दवाइयों के कारखानों की स्थापना के लिये हम ने योजना आयोग में एक प्राविधिक समिति नियुक्त की है, जो सभी क्षेत्रों के दावों पर तथा आर्थिक दृष्टिकोण से इस विषय पर विचार करेगी, ताकि जिन स्थानों पर भारी उद्योगों की स्थापना अभी नहीं हुई हैं, वहां दवाइयों के कारखाने बनाये जा सकें। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम पिछड़े क्षेत्रों के बारे में पूरी तरह विचार करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पो० रा० रामकृष्णन् (पोल्लाची) : भोपाल में भारी बिजली परियोजना बनाने का क्या औचित्य है ?

†श्री मनुभाई शाह : इस प्रश्न पर सभा में वाद-विवाद हो चुका है । मैं प्रत्येक परियोजना के बारे में यहां पर चर्चा नहीं करूंगा । भारी बिजली परियोजना के लिये एक विशेष प्रकार की पथरीली भूमि चाहिए थी तथा जो दल जांच करने आया था उसने कितने ही स्थानों को देखा और उनकी जांच की । मैं सभा को बताना चाहता हूं कि जब भी ऐसे भारी उद्योगों की स्थापना का प्रश्न आयेगा, जिनमें कच्चे माल की उपलब्धता अथवा परिवहन की उपलब्धता का इतना महत्व नहीं, वहां सरकार और योजना आयोग सभी संभव प्रयत्न करेगी कि उनको जितना संभव हो, अलग अलग स्थानों पर स्थापित करे ।

अन्त में, मैं छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । इस सभा के माननीय सदस्यों ने छोटे पैमाने के उद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा तथा कुटीर उद्योगों के बारे में अधिक रुचि दिखाई है । सभा को पता है कि द्वितीय योजना में योजना आयोग ने इस के लिये २०० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है । जब यह व्यवस्था की जा रही थी उस समय इस प्रकार की शंकायें उपस्थित की गई थीं कि क्या सरकार सारी राशि व्यय कर सकेगी क्योंकि प्रथम योजना में २० अथवा २५ करोड़ रुपये ही व्यय किये गये थे । परन्तु सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि हम ने बड़ी शीघ्र गति से समस्त धनराशि व्यय कर दी है ।

†श्री पाणिग्रही : क्या माननीय मंत्री राज्यवार वितरण बतायेंगे ?

†श्री मनुभाई शाह : राज्यवार वितरण के आंकड़े सभा पटल पर रखे जा चुके हैं । यदि माननीय सदस्य किसी विशेष स्थान के आंकड़े जानना चाहते हों तो वह भी सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे । द्वितीय योजना में ही प्रत्येक राज्य के लिये किये उपबन्ध दिये जा चुके हैं । इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य के बारे में कार्यवाही की जा चुकी है । केवल चार क्षेत्रीय केन्द्रों के बजाय, छोटे उद्योगों की विस्तार-सेवा संस्था इस चालू वर्ष में स्थापित की जा रही है ; हम प्रत्येक राज्य में एक-एक केन्द्र स्थापित कर रहे हैं क्योंकि चार पांच राज्यों का एक केन्द्र बना देने से यह कठिनाई आती कि राज्यों को परामर्श के लिये दूर जाना पड़ता ।

कुछ छोटे उद्योगों में प्रत्येक वर्ष उत्पादन बढ़ता जा रहा है । इस उत्पादन के आंकड़े राष्ट्रीय देशनांक में नहीं दिये गये हैं । हम देश भर के आंकड़े इकट्ठे नहीं कर पाये हैं । परन्तु उत्पादन गत तीन वर्षों में दो सौ से तीन सौ प्रतिशत तक बढ़ गया है । उदाहरण के लिये खादी में हम जानते हैं कि उत्पादन कितना बढ़ा है । इस वर्ष अम्बर चर्खे पर तथा पुराने चरखे पर हम १५ लाख व्यक्तियों को रोज़गार दे चुके हैं । उसी प्रकार हथकरघे और नारियल जटा उद्योग में द्वितीय योजना में १.३ करोड़ रुपये से ३½ करोड़ रुपये के उत्पादन की वृद्धि हुई है । इस सम्बन्ध में, मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, श्री महन्ती तथा श्री हरिश्चन्द्र माथुर तथा अन्य कुछ सदस्यों ने जो व्यावसायिक व्यवस्था अपनाने के सम्बन्ध में बताया है वह केवल बड़े पैमाने के उद्योगों से प्राप्त नहीं हो सकती, बल्कि उस के लिये छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग ज्यादा ज़रूरी हैं । इसलिये मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं कि वह अपने क्षेत्रों में मध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों की वर्तमान संभावनाओं को प्रोत्साहित करें और मैं सरकार की ओर से सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस दिशा में सभी संभव कार्यवाही हम करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†चौ० रणवीर सिंह (रोहतक): इस्पात के कोटों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है?

†श्री मनुभाई शाह: रूरकेला और भिलाई में लगभग एक साल में उत्पादन प्रारम्भ हो जायगा और अधिक इस्पात उपलब्ध होने लगेगा। १९६० में २२ लाख टन, १९६१ में ३१ लाख टन और १९६२ तक लगभग ४५ लाख टन की आशा की जाती है।

†चौ० रणवीर सिंह: इस बीच के समय में क्या होगा?

†श्री मनुभाई शाह: उस समय को पिछले दो वर्षों की तरह ही काटना होगा। परन्तु उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। कच्चे लोहे की कठिनाई प्रायः समाप्त हो चुकी है।

चूंकि संकल्प के पीछे जो भावना है वह सदन द्वारा अनुमोदित नीति में सन्निहित है और वह क्रियान्वित की जा रही है इसलिये मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावक अपने संकल्प को वापस ले लेंगे।

†श्री दा० रा० चावन: कोल्हापुर में एल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है?

†श्री मनुभाई शाह: मेरे विचार से वह क्षेत्र विकसित समझा जाता है। दूसरी योजना में दो एल्युमिनियम संयंत्रों का उपबन्ध किया गया था, एक रेहन्ड में और दूसरा सलम में। राष्ट्रीय आवंटन में अग्रिमता का क्रम इस प्रकार है। और किसी एल्युमिनियम संयंत्र का उपबन्ध नहीं किया गया था और इसलिये अभी इस के लिये कोई अधिक संभावना नहीं दिखाई देती, परन्तु यदि कोई व्यक्ति जो विद्युत् शक्ति का प्रयोग कर सकता हो इस के लिये प्रस्ताव करे और विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हमारे सामने रखे तो हम उस पर विचार करेंगे। यही बात हम ने उर्वरक के सम्बन्ध में कही है जिसमें श्री रंगा बहुत रुचि ले रहे हैं। हम इन परियोजनाओं की प्रगति को रोकना नहीं चाहते और जहां कहीं भी संभव होगा उन्हें अधिकतम सहायता देंगे।

†श्री वासुदेवन् नायर: मुझे मंत्री जी के भाषण से बहुत निराशा हुई है। मैं ने जिन बातों का निर्देश किया था उन का उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया।

†श्री मनुभाई शाह: मैं ने टायर के कारखाने का उल्लेख किया था। संभवतः माननीय सदस्य उस समय यहां उपस्थित नहीं थे। मैं ने कहा था कि प्रायः सारा काम पूरा हो चुका है। हम ने लाइसेंस दे दिया है और मैं आशा करता हूं कि उनके, उन की सरकार के और केन्द्रीय सरकार के प्रयत्न से वह संयंत्र स्थापित हो जायगा।

†श्री वासुदेवन् नायर: तीन लाइसेंस दिये गये हैं जिन में से दो अन्य राज्यों को दिये गये हैं।

†श्री मनुभाई शाह: सारे लाइसेंस एक ही राज्य को नहीं दिये जा सकते।

†श्री वासुदेवन् नायर: प्रश्न यह है कि ऐसे उद्योग उन स्थानों में प्रारम्भ किये जाने चाहियें जहां अधिकांश कच्चा माल पैदा होता हो?

फिर, उन्होंने सुरक्षा मुद्रणालय का भी निर्देश नहीं किया। संभवतः सरकार की कठिनाई के कारण ही उन्होंने ऐसी बातों को छोड़ दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्री जी ने अभी वातावरण के सम्बन्ध में संकेत किया। वे जिन स्थानों को ठीक समझते हैं वहां भी उद्योगों की स्थापना नहीं हो रही है। उदाहरणार्थ राजस्थान और मध्यप्रदेश को ले लीजिये। वहां की स्थिति केरल से भी अधिक खराब है। इसलिये सरकार को इस प्रकार के थोथे तर्क नहीं उपस्थित करने चाहियें।

मैं आशा करता हूं कि सरकार तीसरी योजना में इन अविकसित राज्यों का ख्याल रखेगी। मैं मंत्री जी के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हुआ हूं। इसलिये मैं अपना संकल्प वापस नहीं ले सकता हूं।

†सभापति महोदय: कुछ संशोधन भी हैं।

†श्री वासुदेवन् नायर: मैं श्री पुन्नूस का संशोधन स्वीकार करने को तैयार हूं।

सभापति महोदय द्वारा श्री पुन्नूस का संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अन्य संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिए गए।

सभापति द्वारा संकल्प मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सहकारी कृषि के संबंध में संकल्प

†श्री उ० च० पटनायक (गंजम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"यह सभा सिफारिश करती है कि देश के कृषि विकास तथा भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम में सहकारिता के आधार पर कृषि को चालू करने के प्रश्न को सब से अधिक प्राथमिकता दी जाये।"

इस संकल्प को पुरःस्थापित करते हुए मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य उस विवाद को हल करना है जो नागपुर के सहकारी कृषि संबंधी संकल्प के कारण हमारे देश में उत्पन्न हो गया है। मैं चाहता हूं कि "संयुक्त सहकारी कृषि" के संबंध में जो मतभेद है उसको दूर करने का प्रयत्न किया जाए। हमें समझौता करके ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए जो इस प्रकार का समाजार्थिक उद्यम प्रारंभ करने के लिए उपयुक्त हो। मैं ने संकल्प इसी दृष्टि से प्रस्तुत किया है कि माननीय सदस्य इस विषय की ओर ध्यान दें और उस पर विचार करें। इसीलिए मैंने इसकी पद रचना ऐसी रखी है कि वह वाद-विवाद का आधार प्रस्तुत कर सके।

कृषि के संबंध में सहकारिता के महत्व पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से हम १४,०० करोड़ रुपए का खाद्यान्न बाहर के देशों से मंगा चुके हैं। परन्तु फिर भी हम अभी तक आत्मनिर्भर नहीं बन सके हैं। हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिससे खाद्यान्न के उत्पादन की गति बढ़ सके और इसके लिए सहकारी पद्धति सर्वोतम होगी। जिन देशों में भी सहकारी कृषि प्रणाली का प्रयोग किया गया है उसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना ही रहा है। इस संबंध में पथ प्रदर्शन करने के लिए ही मैंने यह संकल्प रखा है। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इतने सदस्यों ने इसमें संशोधन भेजे हैं क्योंकि इससे मालूम होता है कि वह इस विषय में रुचि ले रहे हैं। इनमें से कुछ संशोधन बहुत रचनात्मक हैं और मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इनकी अच्छी तरह से छानबीन करें। मैं चाहता हूं कि हम इस

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री उ० च० पटनायक]

संकल्प तथा संशोधनों पर व्यवहारिक दृष्टि से विचार करें। इस संबंध में हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि करोड़ों रुपए व्यय किए जाने पर भी सामुदायिक परियोजना संगठन से देश को अपेक्षित लाभ क्यों नहीं हो सका है। एक बात यह भी विचारणीय है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा जो भूमि कृषि योग्य बनाई गई है उसमें सहकारी कृषि का परीक्षण क्यों नहीं किया गया और जमींदारी उन्मूलन के समय इसका विचार क्यों नहीं उत्पन्न हुआ ?

ग्रामदान आन्दोलन की ओर मैं विशेष रूप से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विनोबा जी को हजारों गांव दान किए गए जिनमें से अधिकांश को उन्होंने अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ को सौंप दिया है। इस संबंध में मैं कोरापट जिले के १४९२ गावों के बारे में संकेत करना चाहता हूं जो १९५३ और १९५६ के बीच विनोबा जी को दान किये गए थे और जिनके भाग्य का निबटारा अभी तक नहीं किया गया है। इनमें से केवल ७४० गांवों का वितरण अभी तक किया गया है। इन ७४० गांवों के लिए गृह तथा आदिम जातीय कार्य मंत्रालय ने अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ को लगभग ७५ लाख रुपए दिए थे। श्री सहस्त्रबुद्धे को इस कार्य का भार सौंपा गया था। उन्होंने एक प्रेस वक्तव्य में उन कारणों पर प्रकाश डाला है जिनके कारण इस कार्य में प्रगति नहीं की जा सकी ;

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा)** : मैं चाहता हूं कि श्री सहस्त्रबुद्धे का वक्तव्य तथा अन्य संबंधित कागजात सभा-पटल पर रखे जायें।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य उन्हें सभा-पटल पर रख सकते है।

†**श्री पु० र० पटेल (मेहसाना)** : उन्हें सदस्यों में परिचालित भी किया जाए।

†**सभापति महोदय** : परिचालित करने में कठिनाई होगी।

†**श्री उ० च० पटनायक** : उनसे मालूम होता है कि यह कार्यक्रम किस प्रकार असफल रहा है। हम एक नया कार्यक्रम प्रारम्भ करने जा रहे हैं इसलिए हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रकार का प्रयोग क्यों असफल रहा।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अभी उन्हें सभा-पटल पर रख सकते हैं। बाद में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उनकी प्रतियां सदस्यों को वितरित की जा सकेंगी।

अब ५ बज गए हैं। माननीय सदस्य अगले दिन अपना भाषण जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, १६ मार्च, १९५९/२५ फाल्गुन, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[शुक्रवार, १३ मार्च, १९५९]
[२२ फाल्गुन, १८८० (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३०५१—७६
तारांकित प्रश्न संख्या		
११९२	राइफल शूटिंग क्लब	३०५१–५२
११९३	औद्योगिक वित्त निगम	३०५३–५४
११९४	प्रशासनिक पदों के लिये प्रविधिक कर्मचारी	३०५४–५६
११९६	विज्ञान मन्दिर	३०५६–५८
११९८	प्रतिरक्षा कालेज .	३०५८–६०
११९९	ज्यामितीय सर्वेक्षण .	३०६०–६१
१२००	विदेशियों की मूर्त्तियां	३०६१–६२
१२०१	सेवा निवृत्ति की आयु . . .	३०६३–६५
१२०३	ग्राम उच्चतर शिक्षा संस्थाओं सम्बन्धी समिति .	३०६५
१२०५	देहू रोड डिपो सैनिक ट्रक तथा गाड़ियां . .	३०६५–६७
१२०८	राष्ट्रीय छात्र सेना दल	३०६८
१२०९	आदिम जातियों में खानाबदोशी कम करने के लिये समिति .	३०६९–७०
१२१२	दिल्ली प्रशासन	३०७०
१२१३	मलयालम विश्व-कोष	३०७१
१२१६	मद्रास में तेल की सम्भावनायें . . .	३०७१–७२
१२१८	सिखों के इतिहास सम्बन्धी प्रलेख . .	३०७२
१२२०	कोयले का उत्पादन . .	३०७२–७३
१२३०	आयात लाइसेन्स	३०७३–७६
प्रश्नों के लिखित उत्तर .		. ३०७६—३११५
तारांकित प्रश्न संख्या		
११९१	डिस्टिलरी का बचा-खुचा माल	३०७६
११९५	नगर तथा ग्राम आयोजना का स्कूल . . .	३०७६–७७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
११९७	उत्तर प्रदेश के जमींदारी बांड	३०७७
१२०४	भारत की वनस्पति तथा पशु-पक्षी	३०७७
१२०६	विस्थापित छात्रों को पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा दी गई रियायत	३०७८
१२०७	इस्पात संयंत्र	३०७८
१२१०	मध्य प्रदेश में तेल सर्वेक्षण	३०७८—७९
१२११	नव-साक्षरों के लिये साहित्य	३०७९
१२१४	मनीपुर में तांबा गिलट	३०७९—८०
१२१५	अंधे बच्चों के लिये आदर्श स्कूल	३०८०
१२१७	ज्वालामुखी तथा कैम्बे में छिद्रण कार्य	३०८०
१२१९	दिल्ली के होटलों में नृत्य	३०८०
१२२१	शाहदरा का कुष्ठ-गृह	३०८१
१२२२	दिल्ली स्कूलों की वार्षिक परीक्षायें	३०८१—८२
१२२३	औद्योगिक कर्मचारियों के लिये आचरण नियम	३०८२
१२२४	केन्द्रीय शिक्षा संस्था	३०८२—८३
१२२५	सैनिकों के बच्चों को शिक्षा	३०८३
१२२६	सरकारी भवनों के लिये इस्पात	३०८३
१२२७	दक्षिणी भारत में केन्द्रीय विश्वविद्यालय	३०८४
१२२८	त्रिपुरा परिषद्	३०८४
१२२९	मेंगनीज़ और काला सीसा	३०८४
१२३१	केरल में लौह-अयस्क निक्षेप	३०८५
१२३२	पब्लिक स्कूलों में भारत सरकार की योग्यता छात्रवृत्तियां	३०८५
१२३३	इंजीनियरिंग शिक्षा का तदर्थ बोर्ड, उत्तर प्रदेश	३०८५—८६
१२३४	दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम के बीच सहयोग	३०८६
१२३५	टेपिओ का मकरोनी	३०८६
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१८६६	केन्द्रीय आपात सहायता संगठन	३०८७
१८६७	बेसिक स्कूल	३०८७
१८६८	पंजाब में बेसिक स्कूल	३०८७
१८६९	पंजाब और राजस्थान में पाकिस्तानी	३०८७—८८
१८७०	पुस्तकाध्यक्षों के प्रशिक्षण के लिये संस्था	३०८८

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१८७१	खेल-कूद	३०८८—८९
१८७२	पंजाब में खेल	३०८९
१८७३	भारतीय अधिनियमों का जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू होना	३०८९
१८७४	उड़ीसा में राइफल शूटिंग क्लब	३०८९
१८७५	उड़ीसा राज्य को खेलों के विकास के लिये अनुदान	३०८९
१८७६	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	३०९०
१८७७	दुर्गापुर में ब्रिटिश प्रविविज्ञ	३०९०
१८७८	पंजाब में लोक सहायक सेना शिविर	३०९०—९१
१८७९	तम्बाकू की खेती	३०९१
१८८०	ऋणों की प्रत्याभूतियां	३०९२
१८८१	पंजाब को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सहायता	३०९२
१८८२	नारनौल में लौह-अयस्क	३०९२—९३
१८८३	धन और व्यय कर	३०९३
१८८४	स्कूलों के भवन	३०९३
१८८५	हिन्दी को प्रोत्साहन	३०९३—९४
१८८६	भारत का भू-परिमाप विभाग	३०९४
१८८७	भारत के भू-परिमाप विभाग के कर्मचारियों के लिये चिकित्सा	३०९४—९५
१८८८	भारत के भू-परिमाप विभाग द्वारा भू-भौतिकीय वर्ष में भाग लेना	३०९५
१८८९	भारत के भू-परिमाप विभाग के कर्मचारियों के लिये विभागीय चिकित्सालय	३०९६
१८९०	भारत के भू-परिमाप विभाग के क्षय रोग से पीड़ित कर्मचारी	३०९६—९७
१८९१	शराब का आयात	३०९७
१८९२	नेपाल की सहायता	३०९८—९९
१८९३	भूतत्वीय तथा खनन निर्देशालय, उत्तर प्रदेश	३०९९
१८९४	अमरीकी निर्यात-आयात बैंक द्वारा दिये गये ऋण	३०९९
१८९५	वरकलई का भूतत्वीय अनुसंधान	३१००
१८९६	युद्ध सामग्री कारखाने	३१००
१८९७	गृहकार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त किये गये आयोग तथा समितियां	३१०१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१८९८ विदेशी ऋणों का चुकाया जाना . . . ३१०१
१८९९ आयकर के मामले ३१०१–०२
१९०० उड़ीसा में कल्याण विस्तार परियोजनाएं . . . ३१०२
१९०१ दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये टैक्नीकल सेवायें . ३१०२–०३
१९०२ जीवन बीमा निगम ३१०३
१९०३ त्रिपुरा में शिक्षा ३१०३
१९०४ जम्मू व काश्मीर में लिग्नाइट के निक्षेप . . . ३१०३–०४
१९०५ भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के पदाधिकारी . . . ३१०४
१९०६ टैक्निकल संस्थाओं के अध्यापक . . . ३१०४
१९०७ भिलाई परियोजना तक रेलवे लाइन के स्लीपर . . ३१०४–०५
१९०८ चोरी छिपे लाये गये सोने का बरामद किया जाना . ३१०५
१९०९ नांदेड़ (बम्बई) में लौह-अयस्क . . . ३१०५
१९१० चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना . . . ३१०५
१९११ विदेशी मुद्रा का अर्जन ३१०६
१९१२ नागाओं से मुठ भेड़ ३१०६–०७
१९१३ मद्रास का भूतत्वीय सवक्षण . . . ३१०७
१९१४ ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ३१०७–०८
१९१५ इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय द्वारा नियुक्त आयोग और समितियां ३१०८
१९१६ वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त आयोग और समितियां . . ३१०८
१९१७ शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त किये गये आयोग और समितियां . ३१०९
१९१८ देखभाल कार्यक्रम ३१०९
१९१९ जीवन बीमा निगम ३१०९–१०
१९२० प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई तदर्थ समितियां . ३११०
१९२१ मनीपुर मंत्रणा समिति ३११०
१९२२ नई पैन्शन संहिता ३१११
१९२३ दिल्ली में हाई और हायर सैकन्डरी स्कूल . . ३१११
१९२४ सैनिक अश्व प्रदर्शनी ३१११
१९२५ भारतीय मुद्रा बरामद होना . . . ३११२
१९२६ चीनी भाषा . . . ३११२–१३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६२७ राष्ट्रीय अनुशासन योजना ३११३

१६२८ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये नौकरियां रक्षित करना ३११३

१६२९ मद्रास में स्कूल होस्टल ३११३

१६३० चंडीगढ़ के निकट भूमि में से निकली वस्तुएं . . ३११४

१६३१ सिक्किम में नियुक्त सरकारी कर्मचारी . ३११४–१५

१६३२ मोटर गाड़ियों पर विकास व्यवहार . . . ३११५

१६३३ भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विश्व-विद्यालयों के सम्मेलन की संयुक्त बैठक . ३११५

स्थगन प्रस्ताव ३११६–१७

अध्यक्ष महोदय ने सुधार-शुल्क लगाने के विरुद्ध आन्दोलन के सिलसिले में १२ मार्च, १९५९ को पंजाब के एक गांव में पुलिस द्वारा गोली चलाने के सम्बन्ध में तीन स्थगन प्रस्तावों को, जिन की सूचना निम्नलिखित सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, और सर्वश्री तंगामणि, प्रभु नारायण सिंह, स० म० बनर्जी और हेम बरुआ ।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य ३११७–२१

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने अमरीका और टर्की, ईरान तथा पाकिस्तान के बीच हाल में हुए सैनिक सहायता के तीन करारों के बारे में एक वक्तव्य दिया और अमरीका-पाकिस्तान द्विपक्षीय करार के मूल पाठ की एक प्रति भी सभा-पटल पर रखी ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ३१२१–२२

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा २९ के अन्तर्गत भारत के जीवन बीमा निगम की १ सितम्बर, १९५६ से ३१ दिसम्बर १९५७ तक की अवधि के प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेख सहित ।

(२) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र--(क्रमशः)

द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या ३, छठा सत्र, १९५८।

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ७, पांचवां सत्र, १९५८।

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या १६, चौथा सत्र, १९५८।

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १८, तीसरा सत्र, १९५७।

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या २२, दूसरा सत्र, १९५७।

(छः) अनुपूरक विवरण संख्या २०, पहला सत्र, १९५७।

(३) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४९४ की एक प्रति।

(४) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वापसी (ब्राण्ड दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २८ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २२८।

(दो) दिनांक २८ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २२९।

(तीन) दिनांक २८ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २३०।

(५) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २८ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २३२।

(दो) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (ब्राण्ड दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २८ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २३३।

विषय	पृष्ठ
विधेयक पारित	३१३३-३७
अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा समाप्त हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के बाद विधेयक, संशोधित रूप में, पारित हुआ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत	३१३७
सैंतीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—अस्वीकृत	३१३८-५५
नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने सम्बन्धी श्री वासुदेवन नायर के संकल्प पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और संकल्प अस्वीकृत हुआ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन	३१५५-५६
श्री उ० च० पटनायक ने सहकारी कृषि के सम्बन्ध में संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
सोमवार, १६ मार्च, १९५९/२५ फाल्गुन, १८८० (शक) के लिये कार्यावलि—	
अणुशक्ति विभाग तथा वैदेशिक कार्य-मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा।	

408(Ai) L.S.D.—8.